# योजना

सितंम्बर 2007 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 10 रुपये

## जल

महात्मा (गांधी) का जन्म जिस कमरे में हुआ था, उसके ठीक सामने एक बरामदा है जो घर के तीनों छोर से घिरा है। इसी बरामदे के तलहटी में एक कुंड है। 20 फुट लंबे, 20 फीट चौड़े और 15 फीट गहरे 20 हज़ार गैलन क्षमता वाले इस कुंड में घरेलू उपयोग के लिये बारिश का पानी इकट्ठा होता है। समुद्र के निकट होने के कारण पोरबंदर में कुएं का पानी खारा और भारी है तथा रसोई के लायक नहीं है। इसलिये बारिश के पानी को तलहटी में बने जलाशय में इकट्ठा कर सालभर इस्तेमाल में लाते हैं। मानसून की पहली बारिश से पहले घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल की छत की बड़ी सावधानी से सफ़ाई की जाती थी। यह छत पानी के थाले के रूप में काम करता था। वहां से एक पाइप जुड़ा हुआ था जो सीधे जाकर जलाशय में खुलता था। पाइप के मुहाने पर चूने के ढेले रखे होते थे जो पानी को फिल्टर करने और साफ़ करने का काम करते थे। इस घर में गांधी परिवार की पांच पीढ़ियां रहीं और खूब तरक्की की। ❑

(प्यारे लाल रचित *महात्मा गांधी*, प्रथम खंड के (प्रारंभिक चरण से)

# योजना

वर्ष : 51 • अंक 6 सितंबर 2007 भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1929 कुल पृष्ठ : 56



प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

कार्यकारी संपादक
राकेशरेणु

सहायक संपादक
रेमी कुमारी



संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in



संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण सी.एच. पटेल


## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| संपादकीय | – | 5 |
| आर्थिक संकेतक | – | 6 |
| पेयजल और स्वच्छता-मुद्दे | डॉ. मनमोहन सिंह | 7 |
| जल के अधिकार का क्रियान्वयन | वसुधा पंगारे व गणेश पंगारे | 8 |
| जल क्या वास्तव में सामाजिक वस्तु है? | अमृत पांडुरंगी | 11 |
| सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत वृद्धि की संभावना | – | 14 |
| भारतीय जल पोर्टल | रोहिणी निलेकणी | 15 |
| एक तालाब का काया-कल्प | अमृत अभिजात | 18 |
| आहार और स्वरोज़गार के लिये जलकृषि | राजीव रंजन प्रसाद | 21 |
| अनुकरणीय पहल : हिमालय की पहाड़ियों में आटा चक्कियां | पी.सी.बोध | 24 |
| आज़ादी की लड़ाई : अभी ख़त्म नहीं हुआ है आंदोलन | लक्ष्मी सहगल | 26 |
| झरोखा जम्मू-कश्मीर का : नियंत्रण रेखा बने शांति रेखा : प्रधानमंत्री | – | 29 |
| कश्मीरी बच्चे नये मार्ग पर अग्रसर | कविता सूरी | 31 |
| भारतीय पर्यटन के नये आयाम | सुभाष सेतिया | 34 |
| मज़बूती की डगर पर रुपया | रहीस सिंह | 37 |
| खाद्य सब्सिडी विधेयक में क्या है | – | 42 |
| ख़बरों में | – | 44 |
| स्वास्थ्य चर्चा : जल ही जीवन है | सुनील कुमार खण्डेलवाल | 46 |
| मंथन : अभ्यास से असंभव को बनाएं संभव | शोभ नाथ | 49 |
| नये प्रकाशन : लोक जीवन से उद्भूत शब्दावली | शक्ति द्विवेदी | 51 |



योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. द्विवार्षिक : 180 रु.; त्रैवार्षिक : 250 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.



'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

# आपकी राय

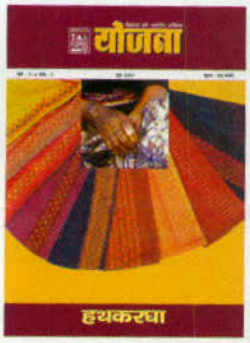


## कुटीर उद्योग बेरोज़गारी दूर करने में सहायक

मैं *योजना* का पिछले 2 वर्षों से नियमित पाठक हूं। हथकरघा पर केंद्रित जून 2007 अंक हस्तगत हुआ। इस अंक के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि कृषि के बाद आजीविका उपलब्ध कराने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र हथकरघा है। भारत की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या तथा इसके कारण बढ़ती बेरोज़गारी को दूर करने में हथकरघा उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योग-धंधे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लघु व कुटीर उद्योगों के लिये जहां अल्प पूंजी की आवश्यकता होगी वहीं रोज़गार की खोज में नगरों की ओर पलायन में भी कमी आएगी। इस संदर्भ में एल.सी. जैन व बी. के. सिन्हा के लेख प्रासंगिक व समीचीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। श्याम सुंदर सिंह के लेख के माध्यम से भारतीय हथकरघा उद्योग की संपूर्ण जानकारी देने के लिये धन्यवाद। उर्वरक सब्सिडी की जानकारी अत्यंत ही ज्ञानवर्धक व रोचक थी। 'मंथन' के अंतर्गत आरती श्रीवास्तव के लेख ने हमें पुन: आत्मविश्वास तथा ऊर्जा से लबरेज़ कर दिया। इस प्रकार के लेख समय-समय पर प्रकाशित करके प्रतियोगी छात्रों को बौद्धिक व मानसिक मज़बूती प्रदान करते रहें।

**विवेक सिंह बन्नी**
**जौनपुर, उत्तर प्रदेश**

## बेसब्री से इंतजार है

*योजना* का जून 2007 अंक हथकरघा उद्योग पर आधारित होने के कारण कुछ विशेष रहा। लेखकों का बुनकरों के साथ काम करने का अनुभव होने के कारण लेखों में याथार्थपरकता नज़र आई। एल. सी. जैन के 'सवाल रोज़गार का' व श्याम सुंदर सिंह चौहान के 'भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संवाहक' शीर्षक लेखों ने हथकरघा उद्योग के दो अलग-अलग आयामों से रूबरू कराया। हथकरघा उद्योग जहां बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करने में सहायक सिद्ध होगा, वही भारतीय संस्कृति व सभ्यता का परिचायक भी साबित होगा। *योजना* के जुलाई 2007 अंक, जो कि हथकरघा उत्पादों के विपणन पर केंद्रित है, का बेसब्री से इंतजार है। बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिये यह अंक मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

**राजीव प्रकाश सिंह**
**वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल**
**विश्वविद्यालय, जौनपुर**

## ज़रूरत साझे प्रयास की

*पारंपरिक* हस्तशिल्प को प्रतिबिंबित करते चित्ताकर्षक आवरण से सुसज्जित *योजना* का जून अंक पढ़ा। हथकरघा पर केंद्रित यह खूबसूरत अंक राष्ट्रीय विकास परिषद में नेहरूजी के विचारों और महालनोबिस के उद्गारों को समेटता हुआ मन को मोह लेता है। लेकिन कारपोरेट कल्चर, उन्नत विज्ञान और तीव्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में, जैसा कि एल.सी. जैन ने अपने लेख में लिखा है, सवाल हथकरघे का नहीं बल्कि रोज़गार का है। विकसित राष्ट्रों का भोंपू बन चुके विश्व व्यापार संगठन ने तीसरी दुनिया के निर्धन हस्तशिल्पियों का कितना ध्यान रखा है? अर्थव्यवस्था की तेज़ी या सेंसेक्स का उछाल बुनकरों या कारीगरों के दयनीय जीवन पर कितना प्रभाव डाल पाती है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ने हथकरघा क्षेत्र की शक्तियों को रेखांकित किया है? इन सब सवालों से जूझते सारे लेख समस्या के सभी आयामों को अनावृत करते हैं। प्रांजल धर का 'पर्यावरण एक साझी समस्या है' शीर्षक लेख पर्यावरण को लेकर संसार में फैली विषमताओं और विसंगतियों को बड़ी गहराई से रेखांकित करता है और समस्या के मूलभूत कारणों पर प्रहार करता है। क्या यह सच नहीं है कि पूंजीवादी देश पर्यावरण की समस्या को साझी मानने को तैयार ही नहीं हैं? अगर तैयार भी हैं तो सिर्फ़ कागज़ी घोषणाओं में? आखिर जैव-विविधता से समृद्ध तीसरी दुनिया के निर्धन राष्ट्रों को अनुदान देने में विकसित देश क्यों आनाकानी करते हैं? लेखक ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पर्यावरण की साझी समस्या से निबटने के लिये साझे प्रयासों की दरकार है।

**निखिल मणि त्रिपाठी**
**सल्टौआ, बस्ती, उ.प्र.**

## आर्थिक संकेतक

*योजना* के निरंतर बदलते स्वरूप को देखकर आनंद हो रहा है। अपेक्षा करता हूं कि यह प्रकाशन पुस्कालयों में संग्राह्य दस्तावेज़ बने। जून 2007 से आर्थिक संकेतक नामक नवीन परिशिष्ट एक अच्छा प्रयास है। इसमें यदि विदेशी मुद्रा विनिमय दर, न्यूनतम और अधिकतम, का समावेश हो तो यह और सूचनात्मक तथा व्यवहार में उपयोगी होगा।

कुछ परिशिष्ट नियमित तथा आरक्षित स्थान पर पत्रिकाएं होने से पाठकों की रुचि बढ़ेगी।

**शाम ग. दमढेरे**
**झांसी, उ.प्र.**

## प्रेरणा और उत्साह से भर देते हैं

*हथकरघा* पर केंद्रित *योजना* का जून अंक तथ्यों, विश्लेषणों, सूचनाओं और दृष्टिकोणों के लिहाज़ से अद्वितीय है। अंक का संपादकीय ठीक ही प्रस्थापना करता है कि आज की दुनिया में बहुत ही थोड़े से पारंपरिक शिल्प उत्पादक अपना निर्वहन कर पाते हैं। मार्शल मैक्यूहान की ग्लोबल विलेज़ की अवधारणा से पश्चिमी देशों को भले ही लाभ हुआ हो लेकिन दक्षिण एशियाई देशों की हालत उदारीकरण व निजीकरण के बड़े-बड़े कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने का अवसर उपलब्ध कराती है। केरल व जगाधरी में निर्मित कलात्मक बर्तन, असम या बनारस का रेशम आधारित हस्तशिल्प तथा भदोही व हाथरस के हस्तनिर्मित कालीन उचित नियोजन, सशक्त प्रोत्साहन व न्यायपूर्ण संरक्षण की मांग करते हैं। इनमें बहुभाषी भारत की सांस्कृतिक विविधता व कलात्मक समृद्धता के दर्शन होते हैं। अपनी प्राचीन परंपराओं और ज्ञान के प्रचुर भंडार के चलते ही भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है। पर क्या वर्तमान राष्ट्रीय नीतियां विदर्भ के किसानों, पूर्वोतर के बुनकरों, असम में रेशम का काम करने वाले कारीगरों, राजामुंदरी के रत्नों व आभूषणों के

शिल्पियों की आजीविका के अनुकूल हैं? हम अनेक हथकरघा व शिल्प योजनाओं के बावजूद ग्रामीण व अर्द्धशहरी इलाकों में अपनी कल्पना व सृजनशीलता का उत्कृष्ट नमूना पेश करने वाले दस्तकारों का कितना ध्यान रख पाते हैं?

मालेगांव के बुनकरों की कहानी को समाहित करता प्रथम लेख काफी प्रभावशाली है। एल.सी. जैन का लेख 'सवाल रोज़गार का' व बी.के. सिन्हा का लेख 'कारीगरी की परंपरा ' कई बुनियादी बातों की जानकारी देते हैं। क्या यह सच नहीं कि हथकरघा बुनाई मनुष्य द्वारा अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये तन को ढकने के प्रारंभिक प्रयासों का ही प्रतीक है? सवाल है कि प्राथमिक प्रयास की इस प्रशंसनीय विरासत को हम कितना संभाल पाए हैं? 'अग्नि की अग्नि परीक्षा' 'सेना ने कारगिल की महिलाओं को ताकतवर बनाया' और लिज्जी नाइगर द्वारा लिखा 'इंफोमीडिया' शीर्षक लेख पाठकों को प्रेरणा व उत्साह से भर देते हैं।

'पर्यावरण एक साझी समस्या है' में प्रांजल धर ने जो गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि विकसित पश्चिमी देश पर्यावरण की कितनी चिंता करते हैं, बहुत अर्थपूर्ण और प्रासंगिक है। ये वही पश्चिमी देश हैं जो पहले तो हमारी जीवनदायी सुंदर धरा को प्रदूषण से गंदा करते हैं और बाद में 'औषधि-औषधि' चिल्लाते हैं। प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य से लेकर जॉन मिल्टन, शेक्सपियर और पर्ल एस. बक तक सभी ने यह बात बार-बार दोहराई है कि औषधि का सेवन करने से रोग दूर होता है, 'औषधि-औषधि' चिल्लाने से नहीं। वास्तव में विकसित देशों ने यह समझने की कोशिश नहीं की है कि पर्यावरण की समस्या सबकी समस्या है और साझी समस्या है। शायद इसीलिये वे आरोपों का ठीकरा 'असभ्य' और 'जंगली' तीसरी दुनिया के ग़रीब देशों के सिर पर ही फोड़ते हैं जबकि सच्चाई यह है कि इसके लिये विश्व के प्रत्येक नागरिक और मानचित्र के प्रत्येक राष्ट्र को सजग, सचेत व सावधान रहना होगा। आपने 'आर्थिक संकेतक' नामक जो नया स्तंभ शुरू किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम ही है। 'क्या आप जानते हैं?' के अंतर्गत सब्सिडी के औचित्य पर की गई परिचर्चा काफी ज्ञानवर्धक व रोचक है। कुल मिलाकर *योजना* निरंतर सफलता की नयी कसौटियां गढ़ती जा रही है।

**राहुल द्विवेदी**
**गोमतीनगर, लखनऊ**

## शादियों में तड़क-भड़क कम क्यों होनी चाहिए?

*योजना* जून 2007 में 'क्या शादियों की तड़क-भड़क कम नहीं हो सकती' पर चित्रमय रिपोर्ट पढ़ी। जो देश जितनी सामग्री-सेवाओं का उपभोग करता है उतना ही समृद्ध देश वह माना जाता है। जिन लोगों ने धन कमाया है वे इस प्रकार धन का विज्ञापन करते हैं तो अनुचित क्या है? आप जानते हैं कि हमारे देश की प्राचीन कलाएं-संस्कृतियां और रीति-रिवाज़ मॉडर्न युग में संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही हैं? अत: कलाकारों को इन शादियों में दो पैसे कमाने का अवसर मिल जाता है तो हम इन शादियों की निंदा की बजाय प्रशंसा क्यों न करें।

यह भी सही है कि दिन पर दिन मुद्रास्फीति के कारण रुपये की क्रय शक्ति घटती जा रही है। अत: ज़ेवरों के रूप में बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को संरक्षित रखने से वास्तविक धन बढ़ता है। हमारे यहां दान के नाम पर मुफ़्त की खाने वाला एक वर्ग है जो यह चाहता है कि यह तामझाम कम हो। लेकिन इन शान वाली शादियों में हर आदमी को काम के बदले या सेवा के बदले पैसा मिलता है जिससे स्वाभिमानपूर्वक कमाने का भाव बढ़ता है। इन शादियों को देखकर यदि हममें भी धन कुबेर बनने की इच्छा पैदा होती है तो बुरा क्या है?

**ठाकुर सोहन सिंह भदौरिया**
**बीकानेर, राजस्थान**

## मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों?

*आपका* कदम आर्थिक संकेतक प्रारंभ करने का अत्यंत सराहनीय एवं स्वागत योग्य है, जो जून से प्रारंभ हुआ है। आपकी पत्रिका के अंक चार में छपा हुआ लेख 'हथकरघा विपणन: एक नवीन दृष्टि' काफी पसंद आया। साथ ही यह भी कहना है कि इस अंक में प्रकाशित कृषि संबंधी बातें भी इस ओर इशारा करना चाहती हैं कि सरकार आम आदमी को अपनी नीतियों में जगह दे रही है, फिर भी आम आदमी मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित है? इसमें समाज के जागरूक लोगों को आगे आना होगा और जागरुकता फैलाकर लोगों को सरकारी नीति से अवगत कराना होगा, तभी विकास संभव है। यह पत्रिका गागर में सागर है तथा सामान्यजन से लेकर प्रतियोगियों तक उपयोगी है।

**चंद्र भूषण कुमार**
**हरसिद्धि, पूर्वी. चंपारण, बिहार**

## लेखों ने उम्मीदें जगाईं

*योजना* का जुलाई 2007 अंक मिला। यह अंक अपने आप में काफी सारगर्भित है। इसमें आपने हथकरघा उद्योग एवं विपणन की तमाम पहलुओं को समग्रता से प्रकाशित किया है। चाहे वह कृषि उत्पादन का विषय हो अथवा हथकरघा शिल्प उद्योग से जुड़ी बातें, सब का सब स्पष्टत: लोगों के सामने प्रस्तुत है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, का वक्तव्य 'कृषि उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएं' संक्षिप्त होते हुए भी काफी तथ्यपरक है। इसके अलावा अन्यान्य लेखकों ने भी इस संदर्भ विशेष पर एक नयी दृष्टि देने की भरपूर कोशिश की है। चाहे वह बी. श्यामा सुंदरी हों या पूनम बीर कस्तूरी, पाथरी राजशेखर, वी. बाला कृष्णा आदि सभी ने विभिन्न मुद्दों को अपने ज्ञान कोष व अनुभव के जरिये तथा लेखों के माध्यम से लोगों तक तथ्यों, संभावनाओं व उम्मीदों को प्रेषित किया है।

'ख़बरों में' स्तंभ के अंतर्गत कई प्रमुख समाचार जानने को मिले जो शायद इस रूप में आम लोगों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। 'मंथन' में सीताराम गुप्ता अपनी बात को जो त्याग की अपूर्व भावना में निहित है, संप्रेषित करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। सच तो यह है कि उन्होंने जो सलाह हमें दी है उसका पालन हर इंसान के लिये अपरिहार्य है।

'सर्वजन हिताय तुलसी' में रूपेश कुमार चौहान ने जो तथ्य प्रस्तुत किया है उससे ज्यादातर लोग भली भांति परिचित हैं। इसी स्तंभ के अंतर्गत अरिमर्दन सिंह व सूर्यकांत शर्मा के लेख 'बारह गुना बारह फार्मूला' में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। देश की आधी आबादी, भारतीय नारी के सशक्तीकरण पर भी नये प्रकाशन के अंतर्गत पर्याप्त प्रकाश डालने की कोशिश की गई है।

**राकेश कुमार**
**गढ़पर उदंतपुरी, नालंदा, बिहार**

## विपणन को प्रोत्साहन दें

*जुलाई* 2007 का हथकरघा बाज़ार पर केंद्रित अंक पढ़ा। हथकरघा न केवल बाज़ार के प्रमुख मानदंडों को बदल रहा है बल्कि बाज़ार के स्वरूप को भी बदल रहा है। इससे हमें मौजूदा बाज़ार की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। हथकरघा के व्यापार में उठाए गए नीतिगत मुद्दे अच्छे लगे।

इसके लिये हमें बुनकरों को विपणन प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है।

**आलोक कुमार**
**शास्त्री मार्ग, बुलंदशहर**

## यातना की गहराई ने पत्र लेखन के लिये बाध्य किया

*योजना* के जुलाई अंक में 'आज़ादी की पहली लड़ाई के 150 वर्ष: कहानी अंडमान जेल की' पठनीय बन पड़ा है। वास्तव में देश के स्वतंत्रता के दीवाने भारत की दासता की बेड़ियां काटने के लिये फिरंगियों के कितनी यातनाएं व प्रहार झेले यह पढ़कर हृदय कांप गया। इसमें भारतीय मीडिया ने भी उनमें देश के लिये लड़ने में बहुत ज़ज्बा पैदा किया।

**चंद्रकांत यादव**
**चांदीतारा**
**चंदौली, उत्तर प्रदेश**

## अंडमान की जानकारी के लिये उत्सुक था

*जुलाई* 2007 का हथकरघा बाज़ार विशेष अंक पढ़ा। यह अंक हथकरघा के बारे में जानने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। भारत जैसे देश में हथकरघे से बहुत बड़ी आबादी की जीविका चलती है, यह जानकर काफ़ी आश्चर्य लगा। बी. श्यामा सुंदरी का लेख 'हथकरघा विपणन: एक नवीन दृष्टि' और पूनम बीर कस्तूरी का लेख 'सूत-सूत बुनी कहानी' बहुत पसंद आई। इसमें जो हथकरघा उद्योग की समस्याएं और चुनौतियां उज़ागर की गई हैं, शाश्वत हैं। क्योंकि हमारे देश का हथकरघा उद्योग बहुत बड़ी चुनौतियों से गुज़र रहा है। अंक में मध्य पृष्ठ पर में अंडमान की सेलुलर जेल के बारे में विनोद कुमार सिन्हा द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी बहुत ही पसंद आई। इस जानकारी के लिये मैं उन्हें साधुवाद देता हूं क्योंकि इस जेल के बारे में जानने के लिये मैं काफ़ी उत्सुक था।

**आशीष कुमार दुबे**
**औरेई , फतेहपुर, उ.प्र.**

## याद आए गांधी

*यह* महज़ संयोग नहीं है कि पिछले ही वर्ष गांधी जी के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और पिछले वर्ष से ही योजना आयोग की प्रत्येक बैठक में 'समेकित विकास' का मुद्दा ज़ोर-ज़ोर से उठता रहा। वास्तव में गांधीजी के सत्याग्रह और आम आदमी के उत्थान का गहरा संबंध है। गांधी का सत्याग्रह एक देश की स्वतंत्रता का आंदोलन मात्र नहीं बल्कि उस राष्ट्र के जीवन की गति है। इसी गति को भूलकर हम समृद्धि का चश्मा पहनकर भटक गए थे। आज हम फिर 'समेकित विकास' की ओर लौटे हैं, तब हमें चरखे की याद पुन: आई है।

भारत के चरखे को नष्ट करके ही अंग्रेज़ों ने शासन किया फिर उसी चरखे को लेकर गांधी ने आंदोलन खड़ा कर दिया। आज़ादी के बाद हम चरखे को भूल गए और सूत फांसी का फंदा बनकर बुनकरों का गला नापने लगा। *योजना* ने हथकरघे पर अपना अंक प्रकाशित करके भारत के विकास की नींव की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कृषि और हथकरघा ही वह नींव है, जिसके ऊपर विकास का ढांचा टिका रह सकता है। अत: आज फिर वक़्त है कि हम 65 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

**रामानंद मिश्र**
**नरैनी, बांदा**
**उत्तर प्रदेश**

## पुन: चिंतन की आवश्यकता

*जून* अंक मिला। आज के खुले व्यापार के दौर में जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वे हमारे लघु कुटीर उद्योग हैं। भारत में यों तो एक उफान आया है जहां देश इंडिया और भारत, दो भागों में विभक्त हो गया है।

इस प्रकार का असमान विकास आने वाले वाले समय में कई समस्याओं को जन्म देगा, जिसमें बंद होते कुटीर उद्योगों से बेरोज़गारी, आम आदमी के लिये रोजी-रोटी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इन पर स्वयं प्रधानमंत्री अपनी चिंता जता चुके हैं।

उन्होंने समय-समय पर उद्योगों को अपने सामाजिक भागीदारी के लिये प्रोत्साहित किया है।

21वीं सदी में विकास इस प्रकार से हो कि सभी वर्गों और सभी प्रदेशों को समान रूप से उनका लाभ मिले। इसके लिये हमारी शिक्षा प्रणाली, विशेष तौर पर प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम सर्वे के आधार पर युगांडा के बराबर हैं, ध्यान देना होगा। योजनाएं तो हमारे देश में शुरू से बनती रहीं हैं पर उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उसके लिये हमारी प्रशासनिक प्रणाली दोषी रही, जिसके विषय में राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से भेजे जाने वाले एक रुपये में से गांवों में 10 पैसे ही पहुंचते हैं।

इस पर पुन: चिंतन करना होगा ताकि 21वीं सदी के भारत का निर्माण हो।

**घनश्याम सिंह**
**देहरादून, उत्तराखंड**

## प्रोत्साहन की ज़रूरत

*हथकरघा* विशेषांक बढ़िया लगा। भारत वर्ष में हथकरघा से तकरीबन 65 लाख लोग जुड़े हैं। भारत का हथकरघा क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है। हमें इसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हमें इस क्षेत्र में और रोज़गार तलाशने होंगे। '1857: कहानी मालेगांव की अच्छी लगी।

'आर्थिक संकेतक' शीर्षक से नया स्तंभ रोचक है। एल.सी. जैन द्वारा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव अच्छे हैं।

**आलोक कुमार**
**बुलंदशहर**
**उत्तर प्रदेश**

## अच्छी सामग्री

*आपकी* पत्रिका का नियमित पाठक हूं इसीलिये कि इसमें आर्थिक विषयों पर अच्छी सामग्री रहती है। मैं इससे पहले भी आपको पत्र लिख चुका हूं उस बार मेरा पत्र 'रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता' पर आपको साधुवाद देने का था क्योंकि उससे मुझे सिविल सेवा के साक्षात्कार में काफी सहयोग मिला, क्योंकि बोर्ड ने उसी पर प्रश्न पूछे। उस बार विदेशी मुद्रा भंडार पर जो आपने सामग्री दी है इसके लिये मैं इसके लेखक रहीस सिंह को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बेहतर सामग्री दी है।

**रोहित द्विवेदी**
**त्रिवेणी नगर, लखनऊ**

संपादकीय

# मौलिक अधिकार है जल का अधिकार

हर साल दुनियाभर में एक अरब से भी अधिक लोगों को मज़बूरन हानिकर स्रोतों से जल इस्तेमाल करना पड़ता है। इस आपदा से रोज़ाना 3,900 से ऊपर बच्चे काल-कलवित हो जाते हैं। स्थिति की गंभीरता का आकलन इस सपाट किंतु दुखदायी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व के दस में से चार लोगों के पास एक साधारण गड्ढे वाला शौचालय तक नहीं है और तकरीबन दस में से दो लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह औसतों पर आधारित स्थिति है, विकासशील देशों में वास्तविक स्थिति तो और भी ख़राब है।

जीवन और उसका पोषण करने वाले पानी जैसे संसाधनों का अधिकार लोगों का अधिकार है। जीवन के लिये पानी इतना ज़रूरी है कि जल पर अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना गया है। जल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है, "जल का मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्तियों को निजी तथा घरेलू उपयोग के लिये समुचित, सुरक्षित, स्वीकार्य, सुलभ और सस्ते पानी का अधिकार देता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली मौत रोकने, जल जनित बीमारियों का ख़तरा कम करने और पीने, भोजन पकाने, व्यक्तिगत एवं घरेलू साफ़-सफ़ाई संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति के लिये समुचित मात्रा में सुरक्षित जल ज़रूरी है।"

जल अधिकार में मनमाने तरीके से आपूर्ति रोकने अथवा उसमें अवरोध उत्पन्न करने तथा जलाधिकार के इस्तेमाल का समान अवसर सुनिश्चित करने वाले आपूर्ति एवं प्रबंधन तंत्र का अधिकार शामिल है।

केंद्र सरकार ने पानी से जुड़े मुद्दों को फ़ोकस करने और देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिये 2007 को 'जल वर्ष' घोषित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जल स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय वर्षा जल क्षेत्र प्राधिकरण वर्षा जल संचयन के अनेकानेक चालू और प्रस्तावित कार्यक्रमों के संचालन के दौरान उनमें तारतम्य और गत्यात्मकता बनाए रखेगा तथा विस्तृत वर्षाजल वाले इलाकों में उपलब्ध जल का आदर्श उपयोग करेगा।

*योजना* के इस अंक में हम अनेक संबद्ध विषयों पर विमर्श करेंगे। क्या जल सामाजिक वस्तु है? क्या सरकार को इसे नि:शुल्क उपलब्ध कराना चाहिए जल की उपलब्धता के प्रति हमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अथवा कि स्वामित्व आधारित? अंक में सरकार और पंचायती राज संस्थाओं तथा लोगों के बीच परवान चढ़ी सफल साझेदारियों पर भी सामग्री शामिल की गई है। ❑

# आर्थिक संकेतक

| संकेतक: वार्षिक | इकाइयां | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (अनु.) | 2007-08 (प्रक्षेपित) |
|---|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या (1 अक्तूबर तक) | | 1090 | 1107 | 1122 | |
| जीएनपी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर | करोड़ रुपये | 3104221 | 3542208 | | |
| जीडीपी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर | करोड़ रुपये | 3126596 | 3567177 | 4125725 | |
| जीएनपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य) | रुपये | 28479 | 31998 | | |
| जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य) | रुपये | 28684 | 32224 | 36771 | |
| सकल राजकोषीय हानि | अरब रुपये | 1258 | 1464 | 1523 | 1509 |
| | जीडीपी का प्रतिशत | 4.0 | 4.1 | | |
| **मूल्य (वार्षिक औसत)** | | | | | |
| थोक मूल्य सूचकांक (सभी सामग्रियां) | प्रतिशत परिवर्तन | 6.4 | 4.4 | 5.4 | |
| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्यो. कर्म. आम सूचकांक) | प्रतिशत परिवर्तन | 3.8 | 4.4 | 6.7 | |
| **कृषि: उत्पादन** | | | | | |
| खाद्यान्न | मि.टन | 198.4 | 208.6 | 211.8 | 214.3 |
| मोटा अनाज | मि.टन | 185.2 | 195.2 | 197.7 | |
| चावल | मि.टन | 83.1 | 91.8 | 91.1 | 91.2 |
| गेहूं | मि.टन | 68.6 | 69.3 | 73.7 | 74.2 |
| दलहन | मि.टन | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.2 |
| तिलहन | मि.टन | 24.4 | 28.0 | 23.3 | 26.9 |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 8.4 | 8.2 | 11.5 | 9.1 |
| **विदेश व्यापार** | | | | | |
| निर्यात | मिलि. अमरीकी डॉलर | 83502 | 103086 | 124514 | |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 30.7 | 23.5 | 20.8 | |
| आयात | मिलि. अमरीकी डॉलर | 111472 | 143409 | 181221 | |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 42.5 | 28.7 | 26.4 | |
| विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर) | अरब अमरीकी डॉलर | 135.6 | 145.1 | 191.9 | |
| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शेयर अधिग्रहण सहित) | मिलि. अमरीकी डॉलर | 5987 | 7661 | 19442 | |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 9911 | 12494 | 7004 | |
| रुपया विनिमय दर | रुपये /यूएडी | 44.95 | 44.28 | 45.28 | |

| आर्थिक संकेतक: मासिक | इकाइयां | जून 2006 | जुलाई 2006 | अगस्त 2006 | सित. 2006 | अक्तू. 2006 | नव. 2006 | दिस. 2006 | जन. 2006 | फर. 2006 | मार्च 2007 | अप्रैल 2007 | मई 2007 | जून 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **मूल्य** | | | | | | | | | | | | | | |
| थोक मूल्य सूचकांक | 1993-94=100 | 203.1 | 204 | 205.3 | 207.8 | 208.7 | 209.1 | 208.4 | 208.8 | 208.9 | 209.8 | 211.5 | 212.3 | 212 |
| (सभी सामग्रियां) | प्रतिशत परिवर्तन | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 4.4 |
| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | आधार 2001=100 | 123 | 124 | 124 | 125 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| (आई.डब्ल्यू. सा. सूचकांक) | प्रतिशत परिवर्तन | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 5.7 |
| **कृषि** | | | | | | | | | | | | | | |
| चावल भंडार (केंद्रीय पूल) | मि. टन | 11.1 | 9.5 | 7.8 | 6.0 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 13.2 | | | |
| गेहूं भंडार (वही) | मि. टन | 8.2 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | | | |
| **उद्योग** | | | | | | | | | | | | | | |
| औद्योगिक उत्पादन सूचकांक | 1993-94=100 | 234.4 | 235.5 | 234.8 | 243.5 | 234 | 248.8 | 263.7 | 265.5 | 252.2 | 288.5 | 253.1 | 264.2 | |
| (भार = 100) | प्रतिशत परिवर्तन | 9.7 | 13.2 | 10.3 | 12.0 | 4.5 | 15.8 | 13.4 | 11.6 | 11.0 | 14.5 | 12.4 | 11.1 | |
| **ऊर्जा/बुनियादी ढांचा** | | | | | | | | | | | | | | |
| कोयला उत्पादन | मि.टन | 31.9 | 31.1 | 29.1 | 29.2 | 33.6 | 36.4 | 39.5 | 42.2 | 39.3 | 48.5 | 31.7 | 33.5 | 32.3 |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 11.8 | 10.9 | 0.6 | -0.8 | 2.3 | 4.6 | 3.0 | 10.0 | 6.6 | 10.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| कच्चा तेल उत्पाद | मि.टन | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 1.2 | 4.1 | 12.1 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 1.4 | -1.6 | -1.8 |
| विद्युत उत्पादन | बिलियन कि.वा. | 53.5 | 53.8 | 54.3 | 54.4 | 57.5 | 52.0 | 59.0 | 58.4 | 51.9 | 58.9 | 58.0 | 60.8 | 57.1 |
| (सार्वजनिक संस्थानों द्वारा) | प्रतिशत परिवर्तन | 4.9 | 8.2 | 4.3 | 11.7 | 10.0 | 5.2 | 12.9 | 8.6 | 3.4 | 7.6 | 8.7 | 9.3 | 6.8 |
| रेलवे : मालभाड़ा परिवहन | मि.टन | 58.2 | 57.4 | 55.3 | 55.8 | 58.8 | 61.1 | 63.6 | 65.7 | 61.7 | 72.1 | 60.7 | 63.9 | 60.5 |
| | प्रतिशत परिवर्तन | 11.0 | 11.7 | 7.3 | 10.8 | 10.0 | 11.0 | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 4.5 | 7.2 | 3.9 |
| **निवेश** | | | | | | | | | | | | | | |
| तिमाही के अंत में बकाया परि. निवेश | करोड़ रुपये | 3055052 | | 3616013 | | | 4056048 | | | 4480243 | | | 4697985 | |
| (सीएमआईई कैप-एक्स डेटाबेस) | प्रतिशत परिवर्तन | 42.0 | | 52.4 | | | 51.0 | | | 59.2 | | | 53.8 | |

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई), योजना आयोग में स्थित आई क्यूब

# पेयजल और स्वच्छता-मुद्दे

○ डॉ. मनमोहन सिंह

सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तथा स्वच्छता की सुविधा हमारे देश के लोगों की तंदुरुस्ती की कुंजी है। कार्यकुशल और आधुनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के मुख्य अवयवों में पेयजल का अहम स्थान है। इसीलिये, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है। पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान आवंटित 45 अरब 60 करोड़ रुपये की राशि में पर्याप्त रूप से वृद्धि कर वर्तमान वित्तवर्ष में इसे 65 अरब रुपये कर दिया गया है। अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है कि वे इन संसाधनों को सही रूप से इस्तेमाल कर आम आदमी की भलाई के लिये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएं और बेहतर सेवा प्रदान करें।

1972-73 में जब से त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक देशभर की बस्तियों और बसाहटों में सुरक्षित जल प्रदाय के मामले में काफी प्रगति हुई है। परंतु प्रतिवर्ष ऐसी बसाहटों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां स्रोतों की विफलता के कारण अब तक सुरक्षित पेयजल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सका है। अब तक यह कार्यक्रम जिस प्रकार चलाया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी खामी यही रही है। अत: यह ज़रूरी है कि जल स्रोतों को दीर्घजीवी बनाए रखने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएं। जल स्रोतों का पता लगाने वाली वैज्ञानिक दक्षता के साथ-साथ पानी को रिचार्ज़ करने के लिये सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करने वाली समुचित संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दक्षता और सामुदायिक कार्रवाई को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना होगा। दुर्भाग्यवश, स्रोत खोज समितियों जैसी राज्य स्तरीय संस्थाएं आमतौर पर अक्षम साबित हुई हैं। इनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और हमारे पास जो उन्नत वैज्ञानिक विशेषता उपलब्ध है, उसका इस उद्देश्य के लिये पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

पेयजल क्षेत्र के प्रबंधन से जुड़ी हमारी एक समस्या यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित यह एक ऐसी गतिविधि है जिस पर प्रांतीय स्तर पर कार्रवाई राज्य की राजधानी में होती है, जिला स्तर पर नहीं। जिन कार्यक्रम से इसको जोड़े जाने की ज़रूरत है, उनका संचालन भी ज़िला स्तर पर होता है। समय आ गया है, जब आपूर्ति संबंधी अन्य कार्यक्रमों के लिये भी वैसे ही कदम उठाए जाएं।

पानी की आपूर्ति के प्रबंधन के लिये राज्य सरकारों को जिला स्तरीय संस्थागत ढांचों को ही अधिकार प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए। यह एक संवैधानिक दायित्व भी है; क्योंकि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार जलापूर्ति ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्यों में से एक है।

दूसरा प्रमुख मुद्दा है वित्तीय संसाधनों और जल स्रोतों की संपोषणीयता का। जहां साधनों का अभाव हो, वहां पानी की रिचार्ज संबंधी गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम और कृषि एवं सिंचाई विभागों के जिला आधारित योजनाओं के माध्यम से संसाधनों का प्रबंध किया जाना चाहिए। पंचायती राज्य संस्थाओं को इन नवनिर्मित जल प्रणालियों के संचालन और पोषण के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने और प्रबंधन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तीसरा मुद्दा पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधकों की तकनीकी क्षमता से संबंधित है। पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में आजकल जो अधिकारी कार्यरत हैं, उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि सिविल यांत्रिकी की है, जबकि भू-जल आधारित प्रणालियों के लिये भू-जल विज्ञान की पृष्ठभूमि की विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। इसलिये लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के कर्मचारियों की क्षमता के विकास के लिये उन्हें भू-जल विज्ञान का प्रशिक्षण दिलाने के लिये योजना बनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि ये कर्मचारी पर्यावरण-संपोषनीयता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से समझ कर अपना काम कर सकें।

पेयजल प्रणाली के पीछे यदि पर्यावरण का मुद्दा जुड़ा है, तो उसके आगे आता है, स्वास्थ्य।

इन दिनों हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब लोक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बीमारियों, अनेक प्रकार के संचारी रोगों, विशेषकर जलीय रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जल और उसके उपयोग के बारे में जागरूक बनाने की ज़रूरत है। कई बार पानी से होने वाले रोगों की घटनाएं उन क्षेत्रों में भी होती हैं, जहां सुरक्षित पेयजल दिया जा रहा है।

यदि हम बहुमूल्य और दिनोंदिन क्षीण होते जा रहे देश के जल संसाधन के संरक्षण और परिरक्षण के लिये अभी से सावधान नहीं होंगे तो अगले कुछ दशकों में हमें पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने देश में जल संरक्षण के लिये नागरिकों और सरकार के बीच भागीदारी को मज़बूत बनाने की दिशा में कदम उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा। सरकारी एजेंसियों को गैरसरकारी संगठनों और समाज के व्यापक हित के लिये दोनों के साथ मिल कर सामूहिक कार्रवाई के लिये माकूल ढांचागत व्यवस्था करनी होगी। ❑

**(पेयजल और स्वच्छता पर वार्षिक सम्मेलन में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण से)**

# जल के अधिकार का क्रियान्वयन

○ वसुधा पंगारे
गणेश पंगारे

जल को अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयोग किया जाता है और यह अनेक प्रकार के कार्यों में काम आता है। इन उपयोगों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जीवन के लिये जल, नागरिकों के लिये जल और विकास के लिये जल। जीवन के लिये जल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका संबंध न केवल मानव मात्र के अस्तित्व के लिये जल के प्रदाय से है, बल्कि अन्य प्राणियों के जीवन से भी है। जल का यह कार्य पर्यावरण प्रणालियों की संपोषणीयता की गारंटी को आवश्यक रूप देता है ताकि न्यूनतम मात्रा में अच्छा पानी सभी के लिये उपलब्ध हो सके। नागरिकों के लिये जल का संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक संस्थाओं के लिये पानी का प्रावधान करना है और इसका संबंध व्यक्ति और समुदाय के सामाजिक अधिकारों से भी है। इस कार्य में समग्र रूप से समाज के हितों का ख्याल रखा जाता है। इसमें सामाजिक समरसता और समानता के मूल्य निहित हैं। विकास हेतु जल एक आर्थिक क्रिया है और इसका ताल्लुक उन उत्पादक गतिविधियों से है जो कृषि के लिये सिंचाई, पनबिजली अथवा उद्योग जैसे निजी हितों को पूरा करते हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जिसको सबसे अंतिम वरीयता मिलनी चाहिए। परंतु विकासार्थ जल सभी सतहों और भू-जल स्रोतों से प्राप्त होने वाले पानी की सर्वाधिक मात्रा की खपत करता है, और यही जल के स्थानीय अभाव के साथ-साथ प्रदूषण की समस्याएं पैदा करने के लिये मुख्यत: उत्तरदायी है। लोगबाग परंपरा से ही स्थानीय रूप से उपलब्ध सतही और भू-जल संसाधनों का उपयोग जीवन और आजीविका के लिये करते रहे हैं। वृहद सिंचाई, औद्योगीकरण और शहरीकरण जैसी आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ जनसंख्या के बढ़ते दबाव से इन जल स्रोतों की मांगे पर विपरीत प्रकार का प्रभाव पड़ा है। प्राय: इसका अर्थ 'जीवन के लिये जल' को 'नागरिकों के लिये जल' और 'विकास के लिये जल' की ओर मोड़ देने के लिये निकाला जाता है। अर्थात पीने के काम और घरेलू उपयोग जैसी जीवनरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले और लोक स्वास्थ्य से जुड़े उपयोगों से इसे परे ले जाना है। अत: आशा है कि जल के मानवाधिकार को मान्यता देने से 'जीवन के लिये जल' की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जल के अधिकार को अनेक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियों में स्वीकार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा (इंटरनेशनल कवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966) में सम्मिलित जीवन के अधिकार जैसे अन्य मानवाधिकारों के अभिन्न अंग में इसे मान्यता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (इंटरनेशनल कॅवनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, 1966) में शामिल स्वास्थ्य, भोजन, आवास और उपयुक्त जीवन स्तर के अधिकारों में भी जल के अधिकार को स्वीकार किया गया है। ये अधिकार अन्य अनेक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों में भी दिए गए हैं। ये संधियां उन सभी देशों के लिये मानना आवश्यक है जिन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन मुख्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में दो हैं - महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्मेलन (कंवेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, 1979) और बाल अधिकारों पर सम्मेलन (द कंवेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989)तथा विश्व जल परिषद, 2006।

**जल का मानवाधिकार**

जल का अधिकार जल पर अधिकार नहीं है। जल का अधिकार प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं के लिये आवश्यक जल की मात्रा पर केंद्रित है, जबकि जल पर अधिकार किसी विशेष प्रयोजन के लिये पानी के उपयोग अथवा पानी की उपलब्धता से संबंधित होता है। जल पर अधिकारों से संबंधित कानून में पानी का इस्तेमाल कौन और किन हालात में कर सकता है, जैसे मुद्दे समाहित होते हैं, और यहां तक कि यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रयोजनों के लिये पूर्व निर्धारित

पानी की मात्रा का आवंटन भी कर सकता है। जल का मानवाधिकार प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं के लिये पानी की आवश्यक मात्रा पर केंद्रित है, जोकि लगभग 50 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। पेयजल का अधिकार पर्यावरण संरक्षण अथवा संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन से जुड़े आम मुद्दों की ओर ध्यान नहीं देता। अधिकांश मामलों में, जल के मानवाधिकार के क्रियान्वयन के लिये पानी लेने से, जल पर आम अधिकारों के तहत अन्य उपयोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (विश्व जल परिषद्, 2006 द्वारा जारी 'जनरल कमेंट सं. 15')

जल मानवाधिकार विषय पर 2002 संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ में जारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति (सीईएससीआर) के जनरल कमेंट सं.15 में पहली बार स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया था। जनरल कमेंट सं. 15, सीईएससीआर के प्रावधानों और जीवन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार जैसे मौलिक मानवाधिकारों की आम स्वीकृति पर आधारित अधिकारिक वैधानिक व्याख्या है।

"जल का मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके निजी और घरेलू उपयोग हेतु पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से और कम क़ीमत पर उपलब्ध पानी का अधिकार प्रदान करता है। डिहाइड्रेशन से होने वाली मृत्यु को रोकने, जलीय रोगों के ख़तरे को कम करने और उपभोग, खाना पकाने, निजी और घरेलू स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुरक्षित जल की उपयुक्त मात्रा प्रदान करना आवश्यक है।"

(जनरल कमेंट सं. 15, सीईएससीआर, 2002)

**जल के मानवाधिकार के घटक**

जनरल कमेंट सं. 15 में जल के मानवाधिकार की जो व्याख्या की गई है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- जल अस्तित्व के लिये मौलिक शर्त है और समुचित जीवनस्तर के लिये अपरिहार्य है।
- जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह मात्रा लगभग 50 लीटर प्रतिदिन की है। 20 लीटर प्रतिदिन न्यूनतम तो होना ही चाहिए।
- जल उपभोग के लिये समुचित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर काम के लिये पानी की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए।
- पेयजल रंग, गंध, स्वाद के हिसाब से स्वीकार्य होना चाहिए। उपभोग के लिये सुरक्षा के सर्वोच्च स्तर का पालन होना चाहिए।
- पानी प्राप्त करना सभी लोगों के बूते में होना चाहिए और आवश्यक वस्तुओं के क्रय में किसी व्यक्ति के सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- पानी लोगों की सहज़ पहुंच में होना चाहिए; या तो घर के अंदर या फिर घर के आसपास ही उपलब्ध होना चाहिए।
- जल के मानवाधिकार में स्वच्छता या अधिकार भी निहित है। जनरल कमेंट सं. 15 इस बारे में आगे कहता है, राज्यों (सरकारों) का यह दायित्व है कि पानी विशेषकर ग्रामीण और वंचित शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाए।

**जल के अधिकार का क्रियान्वयन**

जल के अधिकार का क्रियान्वयन सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि वह लोगों के जल के अधिकार का सम्मान करे ताकि उसे अनुचित तरीके से पानी की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सके। अन्य लोगों के हस्तक्षेप से लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा उपयुक्त कानून पारित कराने, कार्यक्रमों की योजना तैयार करने और उस पर अमल करने, बजट आवंटित करने और उसकी प्रगति पर निगरानी रखने जैसे जल अधिकारों पर अमल करने के लिये आवश्यक उपायों को अपनाना भी इन दायित्वों में शामिल है।

भारत में सुरक्षित पेयजल का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धारा 21 में निहित जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। मानव उपभोग के लिये पानी के प्राथमिक आवंटन को भी राष्ट्रीय जल नीतियों के माध्यम से स्थापित किया गया है। पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिये पानी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे में विशाल राशि का निवेश किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में संस्थागत सुधारों, कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा समान वितरण के जरिये शत-प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

भारत के संविधान, राष्ट्रीय जल नीतियों और पंचवर्षीय योजनाओं में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान को महत्व देने के बावजूद 48 करोड़ से भी अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार, प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष मामूली रूप से केवल 1880 घन मीटर पानी की उपलब्धता के कारण, 180 देशों में भारत का स्थान 133वां है। जल प्रदाय सेवा पूरी तरह से असंतोषजनक है। इस क्षेत्र को अनेक जटिल समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और उनका कोई आसान समाधान भी नहीं है।

तथापि, जल के अधिकार और इसके साथ जुड़े दायित्वों के नज़रिये से भारतीय संदर्भ में कार्रवाई के लिये निम्नांकित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है :

- इस बात को स्वीकार किया जाना ज़रूरी है कि पानी और स्वच्छता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे खैरात में बांटा जाए। पानी और स्वच्छता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अत: राज्य को उसे प्रदान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए।
- सरकार को और लोगों को जल के अधिकार और उसके कारण सरकार पर आए दायित्वों के बारे में जागरूक बनाना होगा।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आबादी के सभी वर्गों को पानी और स्वच्छता की सुविधा मिले। वंचित समुदायों, प्रवासी बसाहटों से दूर रहने वाले

समाज के वर्गों की पहचान कर और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने से समान वितरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

- विभिन्न स्तरों पर परामर्शकारी मंचों का गठन किए जाने की आवश्यकता है ताकि पानी के संभरण और संरक्षण के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जा सके। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये लोगों को शक्ति और अधिकार प्रदान करने होंगे। परामर्शकारी प्रक्रियाओं से नागरिकों के जल अधिकार की सुरक्षा के लिये जनहित याचिकाओं का सहारा लेने की ज़रूरतों में कमी आएगी।
- एक ऐसी व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता है जहां सरकारी अधिकारियों और जल प्रदाय निकायों को पानी और स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सके। निर्णय लेने की प्रक्रिया के उपयुक्त स्तरों को परिभाषित कर इसे हासिल किया जा सकता है। जल के अधिकार संबंधी विभिन्न पहलुओं पर अमल के लिये प्रभारी सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक प्राधिकारी को चिह्नित किए जाने से इस काम में मदद मिलेगी। इसका अर्थ होगा कि संस्थागत प्रबंध, वित्तीय तंत्र और संचालन के विकल्पों को स्पष्टत: और पारदर्शिता से परिभाषित किया जाएगा और सभी शामिल प्राधिकारियों ने इसे समझ लिया है।
- पानी की आपूर्ति और साफ़-सफ़ाई के लिये जल संसाधनों की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये इन संसाधनों के दुरुपयोग को रोक कर सरकारी नीति में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि 'जीवन के लिये जल' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
- पीने और घरेलू उपयोग के लिये दिए जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि जल के मानव अधिकार पर अमल करने का जितना दायित्व सरकारी अधिकारियों का है, उतना ही उपभोक्ताओं का भी। उपभोक्ताओं का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि न केवल उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है बल्कि पानी को बर्बाद और प्रदूषित होने से बचाने, सेवाओं के लिये उचित मूल्य और प्रभार अदा करने, अभाव के समय लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने और व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने अथवा स्वच्छता सेवाओं का लाभ उठाने में सरकार के साथ मिल कर काम करना भी उनका ही कर्तव्य है। ❑

**(लेखकद्वय पुणे स्थित विश्व जल संस्थान से संबंधित हैं)**


## जवाहर की अद्भुत प्रस्तुति

**आई.ए.एस. व पी.सी.एस. मुख्य परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की एम 'एन'एम शृंखला**

- भारत का भूगोल : एक संक्षिप्त परिचय
- भारतीय अर्थव्यवस्था : एक संक्षिप्त परिचय
- भारतीय संस्कृति
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी : एक संक्षिप्त परिचय
- भारतीय राजव्यवस्था : एक संक्षिप्त परिचय
- समसामयिक, सामाजिक मुद्दे और अन्तर्राष्ट्रीय मामले

सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों आदि का केवल संग्रह ही परीक्षा की तैयारी का महत्त्वपूर्ण पहलू नहीं है अपितु सभी को उत्तर में सूत्रबद्ध करना महत्त्वपूर्ण है। एक गहन शोध यानी आई.ए.एस. व पी.सी.एस. के पाठ्यक्रमों के अध्ययन व विगत वर्षों के प्रश्नों के विश्लेषण के बाद हमलोगों ने एक सामान्य पाठ्यक्रम तैयार किया है और उसी पाठ्यक्रम को मानक बनाकर उपर्युक्त पुस्तकों की रचना की गई है। सभी में संक्षिप्त व सारगर्भित तथ्यों का अनूठा संग्रह है। भाषा व उत्तर लेखन शैली पर विशेष बल दिया गया है ताकि आपकी तैयारी स्तरीय हो सके।

**राजस्थान पी.सी.एस. प्रा. परीक्षा हेतु**

### जवाहर वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन

**क्यों पढ़ें इस पुस्तक को?**

- केन्द्रीय बजट (2007-08), रेल बजट (2007-08), आर्थिक सर्वेक्षण (2006-07) पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- इंडिया 07, दैनिक समाचार पत्र (द हिन्दू व नवभारत टाइम्स) के तथ्यों पर बना बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न

### जवाहर सामान्य अध्ययन अभ्यास पत्र

**इसकी विशेषताएं**

- बिल्कुल पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पैटर्न पर आधारित।
- इसके अभ्यास से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी।
- बिल्कुल ताजा समसामयिकी के प्रश्न और विस्तृत जानकारी के साथ।
- आई.ए.एस., पी.सी.एस. व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी।

**निकट पुस्तक बिक्रेता से संपर्क करें अथवा लिखें।**

**जवाहर पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स**
15. डी.डी.ए. मार्केट, बेर सराय, नई दिल्ली-110016,
फोन : (ऑफिस) 26515047, 26962507, (प्रो.) 26962973

YH-9/07/7

# जल क्या वास्तव में सामाजिक वस्तु है?

❍ अमृत पांडुरंगी

*सीमित प्राकृतिक संसाधनों के भलीभांति प्रबंधन में ही बुद्धिमानी है*

इस बात पर गौर करना हमेशा ही दिलचस्प रहा है कि समय के साथ-साथ हमारी विचार शैली कैसे बदलती रहती है। सौ वर्ष पहले किसी ने शायद कभी सोचा भी न होगा कि एक दिन हमें खरीदकर पानी पीना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल हम सब स्वच्छ हवा के बारे में सोचते हैं कि यह तो प्रकृति की देन है, इसे भी क्या खरीद कर सांस लेनी होगी? प्राकृतिक संसाधन के तौर पर पानी तब प्रचुरता से उपलब्ध था। अत: इसके लिये पैसे अदा करने का सवाल ही नहीं था। अगर स्वच्छ रूप में पानी को आप तक पहुंचाने में किसी को कुछ ख़र्च करना भी था तो यह ज़िम्मेदारी शासक की थी, सरकार की थी। परंतु, आज हम पानी के लिये पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं और समझदारीभरा दृष्टिकोण यही है कि हमें इसके बारे में बातें बंद कर इस पर अमल शुरू करना चाहिए।

यदि हम विश्व में चारों ओर नज़र डालें कि वे देश जो पानी के लिये पैसा वसूलते हैं वहां पीने के पानी की क्या स्थिति है, और जो नहीं वसूलते वहां क्या स्थिति है, तो हम पाएंगे कि हमारा देश भारत ग़लत समूह में है। यहां शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत थोड़े से लोगों को ही सौभाग्यशाली कहा जा सकता है जिन्हें 4 घंटे तक पीने का पानी प्रतिदिन मिलता है। औरों के लिये अनेक विकल्प हैं या तो दो बूंद पानी के लिये रातभर लंबी-लंबी लाइनों में लगकर इंतज़ार करें; अपने नलों से मटमैला पानी प्राप्त करें और उसे सुरक्षित बनाने के लिये तमाम प्रकार के तरीक़े और उपकरण आज़माएं; या फिर अपने पड़ोस में बिछे बड़े पाइपों में सक्शन पंप लगा कर पानी की चोरी करें; इत्यादि। स्पष्ट है, कि आसान तरीका यही होगा कि पानी के चंद व्यापारियों से क़ीमत चुका कर पानी ले

लिया जाए। यह स्थिति केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। चाहे हम मानें या न मानें, देश में कुछ ऐसे गांव भी हैं, जहां पानी के व्यापार में निजी उद्यमी जुटे हुए हैं।

जैसा कि अन्य समस्याओं के बारे में होता है, हम पानी का संकट अभी आया है या नहीं, इसके बारे में तर्क-वितर्क करते रहते हैं, जबकि सभी को पता है कि यह संकट पहले से ही यहां मौजूद हैं। इस तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में सबको पता है, परंतु जो कदम उठाए गए हैं (अक्सर सरकार की ओर से), उनका समस्या के समाधान से कोई ज्यादा ग़हरा रिश्ता नहीं होता। ज्यादातर उपाय, अधिक धन ख़र्च करके और अधिक परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित होते हैं। जबकि वास्तव में हमें करना यह चाहिए कि हम इस मिथ्या धारणा को तोड़ें कि पानी एक सामाजिक भलाई है, जिसको सरकार को मुफ़्त प्रदान करना है।

सभी पहलुओं से यह मिथ्या धारणा है। पहला, क्योंकि पानी कोई सामाजिक हित नहीं है। दूसरे, इसे मुफ़्त नहीं दिया जाना चाहिए और अंत में, इस को लोगों तक पहुंचाने में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आइए, इन तर्कों का एक-एक कर समर्थन करें। शुरुआत अंतिम बात से करते हैं।

सैद्धांतिक तर्कों के बावजूद, कोई भी इस तर्क से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 60 वर्षों में जल सेवा प्रदाता के रूप में सरकार का हमारा अनुभव एक बड़ी विफलता ही कहा जाएगा। सभी संकेत, बिना इस बात की चिंता किए कि उनकी माप-तौल किसने और कैसे की है, इस ओर इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र में हम बुरी तरह से असफल रहे हैं। सभी स्तर पर सरकारों ने चाहे वे स्थानीय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर, हमेशा अपने आप को जल संपत्तियों के निर्माता के रूप में देखा है, देखभाल करने वाले के रूप में नहीं; उपयोगकर्ताओं को जल सेवा प्रदाता के रूप में भी नहीं। सरकार के लिये उचित यही होगा कि वह अपने आपको नीति-निर्माता और नियोजक की भूमिका तक ही सीमित रखे। नियामक की भूमिका सही मायनों में एक स्वतंत्र इकाई के लिये छोड़ देनी चाहिए। यदि हम पहले से ही विद्यमान संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं और जल सेवा में शीघ्र, क्रांतिकारी और लाभकारी परिवर्तन देखना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि उपयोगकर्ता को पानी पहुंचाने का दायित्व सेवा प्रदाता पर

***यदि हम जल सेवा में शीघ्र, क्रांतिकारी और लाभकारी परिवर्तन देखना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि उपयोगकर्ता को पानी पहुंचाने का दायित्व सेवा प्रदाता पर हो। इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिये, स्वयं समाज, स्वयंसेवी संगठन और निजी क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं***

हो न कि चुने हुए राजनीतिज्ञों पर। सेवा प्रदान करने की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिये, स्वयं समाज, स्वयंसेवी संगठन और निजी क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं। ये तीनों ही एक-दूसरे के पूरक भी हैं। और अब मुफ्त पानी के मुद्दे पर आते हैं। देश में ऐसे अनेक अध्ययन हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि ग़रीबों को दरअसल पानी काफी महंगा पड़ता है। प्रत्यक्ष तौर पर तो उन्हें पानी के व्यवसाय में लगे बिचौलियों को नकद भुगतान करना पड़ता है। और परोक्ष रूप यह है कि ख़राब गुणवत्ता के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है जिसका नतीज़ा यह होता है कि उनकी उत्पादकता और आय में भी गिरावट आ जाती है। इन सभी सर्वेक्षणों में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है कि लोग पानी का भुगतान करने को तैयार हैं। समस्या तो केवल प्रभार लगाने (क़ीमत वसूलने) की इच्छा भर है। दुर्भाग्य है कि सुधारवादी राजनीतिज्ञ भी इस मामले में दिग्भ्रमित अल्पज्ञानी हैं।

पानी की क़ीमत लेने के पीछे आखिर तर्क़ों क्या है? यह बहुत सरल है। जिस प्रकार से आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ है उसके कारण हमें अब अधिक पानी की ज़रूरत (अक्सर अपव्ययी कार्यों के लिये) होती है। पानी के ये स्रोत या तो हमसे काफी दूर होते हैं, या फिर ये गहरे-चट्टानी जल स्रोत हैं, अथवा ये काफी प्रदूषित होते हैं और यह प्रदूषण भी हम ही करते हैं। इन सब कारणों से पानी देना भलाई की जगह एक महंगा काम हो गया है। यहां तक कि पानी की असली क़ीमत भी काफी अधिक होती है। और भला हो अक्षमता, चोरी और बरबादी का, सरकार का असली ख़र्च तो और भी अधिक होता है। यदि हम वित्तीय संपोषणीयता और हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने में ज़रा भी संतुलन बिठाना चाहते हैं तो असल लागत को वसूलने के अलावा हमारे पास ओर कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि निर्धनों और वंचितों के नज़रिये से भी, मुफ्त पानी देना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे मौजूदा बुराइयां आगे भी बनी रहती हैं और इनसे सबसे अधिक वे ही प्रभावित होते हैं।

बहुत से लोगों का तर्क़ है कि बिना किसी कानूनी ढांचे के पानी की क़ीमत वसूलने का परिणाम सेवा प्रदाताओं द्वारा शोषण के रूप में बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जल सेवा प्रदाय की क्या व्यवस्था की गई है। कुछ स्थितियों में तो जल सेवा

एकाधिकारवादी गतिविधि में भी बदल सकती है। इन परिस्थितियों में, नियमन (कानून) महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। परंतु एकाधिकार वाली स्थिति से डरकर पानी का मूल्य वसूलने से संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

लागत की वास्तविक गणना की जानी चाहिए और इसी के आधार पर पानी का मूल्य तय किया जाना चाहिए। लागत की गणना वास्तविक व्यय के आधार पर नहीं बल्कि कुशलता और दक्षता की धारणा पर की जानी चाहिए। जल संसाधनों एवं जल प्रणाली की संपोषणीयता को भौतिक और वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के आधार पर ही नागरिकों से क़ीमत वसूली जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र से आर्थिक लागत पर प्रभार वसूला जाना चाहिए, परंतु यहां पर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे उनकी स्पर्धात्मक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी क्षेत्र को कुछ उचित कारणों से रियायत दी जानी है तो यह सहायता पारदर्शी, समयबद्ध और लक्षित होनी चाहिए।

उदाहरणार्थ, भू-जल का प्रभार और नियमन इसको सामुदायिक परिसंपत्ति मानने के आधार पर तय किया जाना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि वह कहां स्थित है, कैसे प्रवाहित होता है और कि वह किसी बड़ी जलधारा से निकला है या फिर एकाकी जलाशय से। पानी उपलब्ध कराने और उसके उपयोगानुसार प्रभार वसूलने की तर्कसंगत प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। इस पर अमल करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए न कि इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि प्रभार को उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए जैसा कि किसी आर्थिक हित के लिये किया जाता है। विरोधाभासी पैरामीटर्स को संतुलित करने के प्रयासों को पूरा महत्व देते हुए ही प्रभार के दर तय किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिये, इस पर विचार करते समय समानता, संरक्षण पर निवेश पुनर्उपयोग, आर्थिक लागत और लाभ, प्रशासकीय कुशलता तथा लेवी और उगाही की सरलता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नियमन केवल आर्थिक कानूनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पानी एक सीमित संसाधन है और समाज की केवल एक ही पीढ़ी की ज़ागीर नहीं है। उदाहरणार्थ, हमें अभी यह मालूम ही नहीं है कि अनुचित दोहन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा। पानी और पानी के संसाधनों को नियमबद्ध करने के लिये भौतिक और वित्तीय, दोनों ही ढांचों का उपयोग किया जाना चाहिए। यथा, किसी भी निश्चित क्षेत्र में, भू-जल के मोटे तौर पर परिभाषित दीर्घकालीन मास्टर प्लान से ही पानी के दोहन और उपयोग की योजना तैयार करनी चाहिए।

आइए, अब अंतिम रूप से परीक्षण करें कि पानी देना क्या वास्तव में सामाजिक हित का कार्य है। परिभाषाओं के बौद्धिक पहलुओं के चक्कर में पड़े बिना सामाजिक हित की सरल परिभाषा पर नज़र डाली जा सकती है। एक प्रकार से कोई भी सामाजिक हित ऐसा सार्वजनिक हित होता है जो निजी वस्तु के तौर पर दिया जा सकता है, परंतु विभिन्न कारणों से सरकार इसे प्रदान करती है और इसके लिये धन की व्यवस्था करों जैसी लोक निधि से होती है। यदि हम इस सरल तथ्य को स्वीकार कर लें कि सेवा प्रदाता के रूप में सरकार पूरी तरह से असफल रही है तो स्पष्ट है कि इस परिभाषा को पानी पर लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। डबलिन सम्मेलन में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि 'अपने स्पर्धात्मक उपयोगों के कारण पानी का आर्थिक मूल्य होता है और इसे एक आर्थिक हित के रूप में ही मान्यता दी जानी चाहिए।'

अनेक लोग कहेंगे कि कम से कम उन क्षेत्रों में जहां लोग पानी पर धन व्यय करने में असमर्थ हैं, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शहरी क्षेत्रों की तुलना में लोग अधिक व्यय करने में असमर्थ होते हैं, वहां तो उसे सामाजिक हित के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस तरह के तर्क के साथ दो समस्याएं हैं - एक, स्थान या स्थिति संबंधी मुद्दा और दूसरा, वहन क्षमता के बारे में समझ। किसी भी वस्तु को निर्धनों के लिये सामाजिक हित मानना और दूसरों के लिये आर्थिक मानना ग़लत है। इस वस्तु को आवश्यक रूप से सामाजिक हित मानने की बजाय, उसके लिये लक्षित रियायतें (सहायता) दी जा सकती हैं। वहन क्षमता के मुद्दे को हमेशा ग़लत समझा जाता रहा है। हालांकि यह सही है कि वहन क्षमता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, विशेषकर; राशि और आय के अनुपात के बारे में। तथापि अध्ययनों से स्पष्ट है कि लोग (खासकर ग़रीब लोग), इन परिभाषाओं में दी गई सीख से कहीं अधिक ख़र्च कर रहे हैं। इन लोगों के लिये वहन करने की लागत काफी अधिक होती है और वह संभवतः उनके बूते की बात नहीं।

अंत में, हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के भलीभांति प्रबंधन में ही बुद्धिमानी है। इसके लिये ज़रूरी है कि हम इस बुद्धिमानी को काम में लाएं और कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझ कर उन पर तेज़ी से अमल करें। हमें अपनी संस्थागत व्यवस्थाओं पर फिर से काम करने की आवश्यकता है ताकि उनकी जवाबदेही और कार्य कुशलता में इज़ाफा हो। हमें सेवा को आगे लाना और ज़ागीर बनाने (संपत्ति निर्माण) के काम को पीछे छोड़ना होगा।❑

(लेखक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स
नयी दिल्ली के अधिशासी
निदेशक हैं)

# सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत वृद्धि की संभावना

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि मानसून और अन्य बाहरी स्थितियों को सामान्य मानते हुए देखा जाए तो वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी, 2006-07 के मुक़ाबले 0.4 प्रतिशत कम होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की इसी वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.5 प्रतिशत की दर से विकास के आकलन की तुलना में ईएसी का मूल्यांकन अधिक आशाजनक है।

वर्ष 2007-08 के लिये आर्थिक परिदृश्य के बारे में अपना अनुमान प्रस्तुत करते हुए परिषद ने ज़ोर देकर कहा कि यह विकास दर आगे भी बनी रहेगी; क्योंकि पहले जो विश्वास किया जा रहा था, उसके विपरीत विकास का वृहत्तर भाग निवेश पर आश्रित है न कि उपभोग पर। परिषद के आकलन के अनुसार, मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत के आसपास बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था के आवश्यकता से अधिक नियत्रंण से बाहर जाने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पिछले चार वर्षों में जीडीपी औसतन 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि 2006-07 में तो यह बढ़कर 9.4 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

परिषद के आकलन के अनुसार, 2006-07 के दौरान 21 प्रतिशत की तुलना में इस वित्त वर्ष में निर्यात में कुछ कमी आने की संभावना है और इसके 18 प्रतिशत के निकट रहने की आशा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में अनुमान है कि 2006-07 के 8 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर के मुक़ाबले इस वर्ष इसके क़रीब दोगुना, यानी 15 अरब अमरीकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली ईएसी ने कृषि क्षेत्र में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है जबकि इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत की उम्दा वृद्धि होने की संभावना है। इन सब अनुमानों में सबसे बड़ी अनिश्चितता इस वर्ष दक्षिणी-पश्चिम मानसून की वर्षा की मात्रा और उसकी व्यापकता को लेकर ही लगाया गया है।

**तालिका**

| | 2006-07 | 2007-08 अनुमानित |
|---|---|---|
| जीडीपी | 9.4 प्रतिशत | 9 प्रतिशत |
| निर्यात | 21 प्रतिशत | 18 प्रतिशत |
| आयात | 26 प्रतिशत | 23 प्रतिशत |
| निवल एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) | 8 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर | 15 अरब डॉलर |
| निवल पोर्टफोलियों | 7 अरब 10 करोड़ | 12 अरब 50 करोड़ |
| पूंजी अंतर्प्रवाह | अमरीकी डॉलर | अमरीकी डॉलर |
| चालू खाता घाटा | 9 अरब 60 करोड़ | 17 अरब 40 करोड़ |
| | अमरीकी डॉलर | अमरीकी डॉलर |
| चालू खाता | 44 अरब 90 करोड़ अमरीकी डॉलर | 58 अरब अमरीकी डॉलर |

क़ीमतों के मोर्चे पर उदार परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए ईएसी ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में भविष्य में होने वाले सुधारों की संभावना के बावजूद मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत के आसपास ही रहने का अनुमान है। इस ने आशा व्यक्त की है कि उपयुक्त मौद्रिक प्रबंधन से मुद्रास्फीति की दर में निरंतर कमी होने के संकेत हैं। श्री रंगराजन ने कहा कि "मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और पूंजी के अंतर्प्रवाह से जुड़ी रहेगी।" ईएसी के अनुमान के अनुसार चालू खाता घाटा इस वर्ष बढ़ कर 17 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर अथवा जीडीपी के 1.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है, जबकि पिछले साल के दौरान यह केवल 9 अरब 60 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी जीडीपी के 1 प्रतिशत के बराबर था। परिषद ने कहा कि क़रीब 50 अरब अमरीकी डॉलर के पूंजी अंर्तप्रवाह, जो कि चालू खाता घाटे के तीन गुने से भी अधिक है, कि संभावना को देखते हुए बाज़ार में रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप 'व्यवस्थित परिस्थितियों' की ओर ही ज़ारी रहना चाहिए, परंतु इसे रुपये की वास्तविक क्रमिक सुदृढ़ता से संगति बैठाना होगा।❑

# भारतीय जल पोर्टल

○ रोहिणी निलेकणी

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 12 जनवरी, 2007 को अपने निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर भारतीय जल पोर्टल का शुभारंभ किया। अवसर था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की 2006 की रिपोर्ट सौंपने का। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान पोर्टल (नॉलेज पोर्टल) शुरू किए जाने का विचार आगे बढ़ाया था, और पहले कदम के तौर पर जल और ऊर्जा पर दो पोर्टल शुरू किए गए थे। ये पोर्टल वस्तुत: उनके क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दों को समर्पित वेबसाइट हैं। उनको बिना किसी बेजा दबाव अथवा स्वार्थ के सामुदायिक भागीदारी के तौर पर चलाया जाता है।

भारतीय जल पोर्टल (आईडब्ल्यूपी) का उदय एक ऐसे निष्पक्ष परंतु खुले मंच की आवश्यकता से हुआ जहां व्याख्यान अथवा निबंध की शक्ति को शासन के तौर-तरीकों को सुधारने और समस्याओं के समाधान के लिये किया जाना था। इसका समन्वयन और वित्तपोषण बंगलुरू स्थित एक सार्वजनिक दातव्य ट्रस्ट 'अध्यर्म' करता है। यह ट्रस्ट पानी के लिये किए जाने वाले अभिनव प्रयासों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

आईडब्ल्यूपी की परिकल्पना वास्तव में परस्पर सहयोगी दो दर्जन से अधिक भागीदारी संगठनों के मंच के रूप में की गई है जिसका विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है। यह एक ऐसा वर्चुअल हब है जहां विभिन्न पक्षकारों के परिसंवाद से जल ज्ञान का सृजन, आदान-प्रदान और उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सतत रूप से प्रगतिशील इस नेटवर्क का दर्शनशास्त्र आईडब्ल्यूपी में भलीभांति दर्शाया गया है। हम सबका विश्वास है कि ज्ञान का आदान-प्रदान और तदनुसार साझी समझ का समान रूप से विकास लोकतंत्र की जड़ें जमाने और निर्धनता, विशेषकर जल की कमी की निर्धनता, से लड़ने में शक्तिशाली भूमिका निभा सकते हैं।

अत्यधिक दोहन से नैसर्गिक संसाधनों के हमारे आधार को जो ख़तरा पैदा हो गया है (पानी के बारे में यह विशेष रूप से कहा जा सकता है) उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य अब प्राकृतिक संपदा पर कम, और देशवासियों की ज्ञान के सृजन, प्रसार और उसके उपयोग की रचनात्मक क्षमता पर अधिक निर्भर करेगा। आजमाए और परखे हुए तरीकों के उपयोग; अतीत और हमारी पारंपरिक पद्धतियों की समझ तथा भावी आवश्यकताओं के अध्ययन से उद्भूत नये ज्ञान के सृजन का भी भारत के भविष्य निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा।

आईडब्ल्यूपी की रूपरेखा समावेशी और मुक्त मंच की है जिसमें अनेक प्रकार की सूचनाओं के प्रवाह की छूट है। हमने पोर्टल को व्यापक व सक्रिय स्वरूप प्रदान करने के लिये नवीनतम पीढ़ी (जनरेशन) वाली 2.0 प्रविधियों का उपयोग किया है। इसमें से अधिकांश सामग्री हमारी विचारधारा के अनुसार, सोफ्टवेयर के मुक्त स्रोतों से प्राप्त की गई है।

जल पोर्टल अनेक संसाधनों और उपयोगों से भरा पड़ा है। हमें यकीन है कि इनमें से कुछ बड़े उत्तेजक और नयी खोज करने वाले हैं।

हमने जो अभिनव प्रयास मुख्य रूप से किए हैं, उनमें से एक है जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणालियों) की शक्ति का उपयोग। जीआईएस अनेक प्रकार के ढेर सारे ऐसे जटिल आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकता है जिनसे प्रवृत्तियों, कारणों और अवसरों का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है। इसके लिये, हमने पहले से विभिन्न साइलोज़ में मौजूद आंकड़ों को एकाकार कर दिया है और इनको एकल दस्तावेज़ अथवा एक परत वाले चित्र (वन लेयर्ड इमेज़) का रूप दे दिया है। इस प्रकार आंकड़ों का एकाकार रूप पानी की मांग और आपूर्ति के जटिल मुद्दों को समझने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

वाटरशेड प्रबंधन और वर्षा जल संचय जैसे विषयों के बारे में व्यावहारिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये आडियो, ग्राफिक्स, एनीमेशन और सिगुलेशन तकनीक (टूल्स) का भी उपयोग किया गया है। पोर्टल का लक्ष्य जहां तक हो सके द्विभाषी रूप बनाए रखना है। उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप अन्य भारतीय भाषाओं में भी सामग्री का समावेश किया गया है। चूंकि यह काम केवल हमारे नेटवर्क के लिये करना संभव नहीं है, इसलिये हमें नये सहयोगियों की आवश्यकता है जो जितनी संभव हो उतनी भाषाओं में सामग्री प्रदान कर सकें।

अत: प्रश्न यह उठता है कि यह पोर्टल किस के लिये तैयार किया गया है और उपभोक्ताओं की इससे क्या अपेक्षाएं हैं

पानी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के

साथ अनेक दौर की बातचीत के बाद यह तय किया गया कि पोर्टल कोई ऐसा जड़ साइट नहीं होगा जिसमें ढेर सारी ऐसी असंबद्ध जानकारी भरी हो, जो आसानी से किसी अच्छे सर्च इंजन के जरिये हासिल की जा सकती है।

अत: यह पहला संस्करण केवल उन्हीं लोगों को लक्ष्य कर तैयार किया गया है जो पानी के क्षेत्र से गंभीरता से जुड़े हों। चाहे वे गैरसरकारी संगठन हों, पंचायती राज प्रतिनिधि हों, सरकारी अधिकारी हों या फिर नागरिक, जो व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक स्तर पर जल संबंधी गतिविधियों की योजना बनाते हों और उन पर अमल करते हों।

उपभोक्ता इसमें चार मुख्य खंडों की अपेक्षा कर सकते हैं :

**उपस्कर और प्रविधियां**

इस खंड में 10 प्रमुख क्षेत्रों में जल प्रबंधन के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। हमने शुरू में उन क्षेत्रों को लिया है जिनको आमतौर पर जल संसाधनों को दीर्घावधि तक जीवित बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हैं: वर्षाजल संचय, कृषि, पेयजल, जलीय निकायों का पुनरुद्धार, शहरी पानी, भू-जल, वाटरशेड विकास, स्वच्छता, व्यर्थजल (वेस्टवाटर) और पानी की गुणवत्ता।

ई-लर्निंग पाठ्यक्रम एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काफी ध्यान और निवेश किया गया है। इन पाठ्यक्रमों का विकास तीन क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है। वाटरशेड विकास के लिये समाज प्रगति सहयोग, भू-जल प्रबंधन हेतु एसीडब्ल्यू एडीएएम और फ्लोराइड को निष्प्रभावी बनाने के लिये बर्ड-के ने हाथ बढ़ाया है। ये सहयोगी अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित सामग्री प्रदान करते हैं। इन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि ऑडियो, एनीमेशन और त्रि-आयामी अनुकृतियों (थ्री-डी सिमुलेशंस) के इस्तेमाल से क्षमता का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिल सके। अन्य संगठनों के

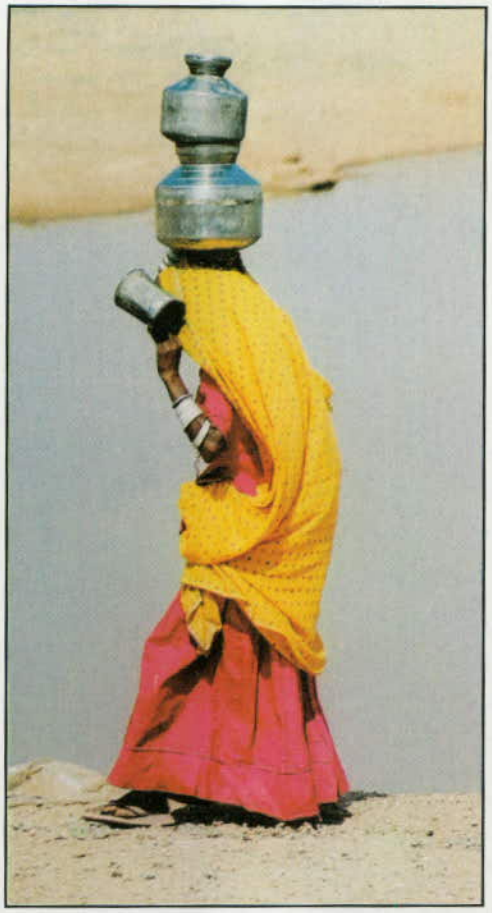

पाठ्यक्रमों को भी हमने अपने पोर्टल से जोड़ा है। आशा है कि समय के साथ-साथ इसको और भी व्यापक रूप दिया जा सकेगा।

**आंकड़े और संसाधन**

यहां पर अन्य बातों के अलावा, पूरे देश की सौ वर्षों की मौसम संबंधी जानकारी वर्ष 2002 तक दी गई है। इन जानकारियों में वृष्टि, बादलों का आच्छादन आदि जैसे नौ संकेतकों का संग्रह है। जो आधारभूत जानकारी (डेटाबेस) इस कार्य के लिये इस्तेमाल की गई वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ब्रिटेन के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय के टिंडाल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, रिसर्च से लिये गए जलवायु अनुसंधान एकांश टीएस 2.1 आंकड़ा संचय (डेटासेट) से इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा वाटर बैलेंस प्रदर्शन और ट्यूटोरियल की भी व्यवस्था है जो अन्य आंकड़ों के पूरक का काम करते हैं।

उपयोगकर्ता के लिये इसका लाभ यह है कि वह सीधे मानचित्र पर जूम कर अपनी पसंद के क्षेत्र का चयन कर सकता है। वह जलवायु के पैरामीटर और अपनी पसंद की समयावधि चुनकर वेबसाइट से तुरंत ही टेबल्स और चार्ट दोनों ही रूप में आंकड़े प्राप्त कर सकता है। मौसम संबंधी आंकड़ों का इस तरह नि:शुल्क और सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का देश में यह संभवत: प्रथम प्रयास है। हमें आशा है कि अब तक सार्वजनिक रूप से अनुपलब्ध इन आंकड़ों का बेहतर और लाभकारी उपयोग किया जाएगा। हम अब अपनी सरकारी एजेंसियों के सहभागी बनने के इच्छुक हैं ताकि ताज़ा जानकारियां और आंकड़े नियमित रूप से प्राप्त होते रहें।

इस खंड में, हमने एक आर्गनाइज़ेशन लोकेटर भी शामिल किया है, जो कि जीआइएस से लैस है। इसका इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता देश के किसी भी भाग में वर्षाजल संचयन, स्वच्छता आदि जल संबंधी विषयों पर काम कर रहे संगठनों का एक सरल-सी सर्च सुविधा से पता लगा सकते हैं। इन संगठनों को देश के परस्पर सक्रिय (इंटरेक्टिव) नक्शे पर दिखाया गया है और प्रत्येक संगठन को एक मार्कर के जरिये दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जल के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों के बारे में महज़ एक नक्शे पर क्लिक करके पता लगा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ता स्वयं अपने संगठन के बारे में भी सूचनाएं एक सरल सा फॉर्म भरकर मास्टर नक्शे पर दे सकता है। डेटाबेस की डायेरक्टरी को प्रासंगिक जानकारियों से संपन्न बनाने का यह एक उम्दा तरीका है। सैकड़ों या यूं कहें हज़ारों संगठनों की जानकारियां इसमें शामिल की जा सकती हैं। यदि कोई मांग या ज़रूरत होती है तो हम सरकारी एजेंसियों और निजी संगठनों का विवरण भी इसमें दे सकते हैं।

पोर्टल पर हमने आज़माइश के तौर पर नदी-घाटियों पर एक महत्वपूर्ण विचार मंच शुरू किया है। आमतौर पर अब यह स्वीकार

किया जाने लगा है कि प्राकृतिक वाटरशेड सीमाओं पर आधारित नदी-घाटी नियोजन से ही जन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। इसके लिये हमने जलवायु, संस्कृति, भू-उपयोग, जल-उपयोग, भू-जल, जल-गुणवत्ता और जल के अपव्यय के बारे में सरकारी और अन्य प्रकाशित स्रोतों से विविध प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए हैं। कावेरी के कछार को हमने इसके मार्गदर्शक के रूप में अपनाया है। ये आंकड़े नक्शे पर दर्शाए गए हैं। इससे हमें जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों और प्रशासकीय सीमाओं के बारे में समग्र चित्र प्रस्तुत करने की संभावना का पता लगता है। परंतु ये आंकड़े अभी पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और हमें उपयोगकर्ताओं के फीडबैक की प्रतीक्षा है कि वे बताए कि क्या इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

**नेटवर्क**

यहां पर आपको जल क्षेत्र से जुड़े चर्चा समूह, समाचार, घटनाएं आदि जैसे एक आधुनिक पोर्टल के सभी सक्रिय उपस्कर (टूल्स) मिलेंगे। हमारे प्रारंभिक चर्चा समूहों में से कुछ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम और वाटरशेड विकास, भू-जल नियमन और शहरी पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की है।

**परियोजना निगरानी**

यह हमारा चौथा खंड है जिसको आशा है कि जल प्रबंधन की लोक परियोजनाओं में प्रभावी भागीदारी के लिये नागरिकों और सरकार को एक साथ लाया जाना चाहिए। इस खंड में यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार कहां और किस कार्य के लिये कितना धन ख़र्च कर रही है। प्रोजेक्ट वाच परियोजना निगरानी में राज्य एजेंसियों और नागरिकों के सहयोग से धीरे-धीरे देशभर में चल रही अधिकांश परियोजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। यह एक नया खंड है और इसको लोगों के समर्थन की प्रतीक्षा है।

इन चारों खंडों में से हरेक खंड प्रासंगिक फिल्मों, वृत्तांत (केस स्टडी), दृश्यध्वनि माड्यूल्स और संबंधित नीति और कानून की दिग्दर्शिका से भरा पड़ा है।

हमें इस बात का अहसास है कि बहुत से लोगों का नाता अभी तक विश्वव्यापी संचार व्यवस्था (वर्ल्डवाइड वेब) से नहीं जुड़ा है। लोगों को इस उच्च प्रविधि वाली व्यवस्था के वास्तविक उपयोग के बारे में कुछ संदेह हो सकता है। फिर भी, हमें विश्वास है कि पोर्टल पर संग्रहीत ज्ञान का पिटारा लोगों के लिये सर्वथा अनूठा साबित हो सकता है। इसी विश्वास के साथ हमने काल्पनिक (वर्चुअल) पड़ोस द्वारा पोर्टल पर दी गई सूचना/जानकारी को ज़मीनी स्तर पर वास्तविक पड़ोस को देने का एक ज़ोरदार कार्यक्रम बनाया है। अपने इस प्रयास में हम मुद्रित सामग्री, रेडियो, सीडी, फिल्मों और रंगमंच जैसे प्रचार माध्यमों का सहयोग लेना ज़ारी रखेंगे ताकि जिन लोगों के पास वेब की दुनिया उपलब्ध नहीं है, वे भी आईडब्ल्यूपी से लाभ उठा सकें।

हम पोर्टल का प्रचार सम्मेलनों में, सरकारी एजेंसियों के जरिये और अन्य मंचों पर करते रहेंगे। हमारी मंशा देशभर में चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में पोर्टल को एक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में देखने की है।

तथापि, यह सब तो महज़ एक शुरुआत है। आईडब्ल्यूपी के भागीदार इसके अर्थपूर्ण विकास में सहायता देने के लिये प्रतिबद्ध हैं जिससे यह जल के क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के इच्छुक लोगों के हाथ का एक ताक़तवर हथियार बन सके। यह कहने का यह सही समय है कि हमारा सभ्य समाज इस बात से प्रसन्न है कि सरकार की सभी एजेंसियों में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, सार्वजनिक उपयोग के लिये आंकड़ों के आदान-प्रदान में लचीलापन बढ़ गया है। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार के लिये मानचित्रों की मुक्त शृंखला तैयार की गई है। इससे लोगों को अपना और पूरे समुदाय का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इसके बावजूद, हम सरकार से यह ज़ोर देकर कहना चाहेंगे कि उसकी विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध अनंत आंकड़ों की जानकारी देने में उसे और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले आंकड़ों को एक नियमित अंतराल पर सार्वजनिक उपयोग के लिये जारी करते रहने की आवश्यकता है।

यदि ये आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं तो आईडब्ल्यूपी नवीनतम मीडिया प्रविधियों के उपयोग से इन सूचनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से एकत्र करने में सहायता दे सकता है ताकि ज़मीनी स्तर पर बेहतर फैसले लिये जा सकें। तब यह आंकड़े उन लोगों के लिये वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे, जिनके लाभ के लिये इनको संग्रहीत करने के बारे में सोचा गया था।

सरकार के सहयोग, उपयोगी आंकड़ों की उपलब्धता और नागरिकों तथा एनजीओ सहयोगियों के नेटवर्क की मदद से, हमें आशा है कि हम जल क्षेत्र में आख्यानों की मितव्ययिता को और भी बढ़ा कर इस क्षेत्र में पूर्णतया एक नये संसार की रचना कर सकेंगे।

इंडिया वाटर पोर्टल www.indiawaterportal.org पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कृपया हमारे पास आइए, और इस समुदाय का हिस्सा बनिए। हम फीडबैक, पोर्टल पर नयी सामग्री और दीर्घावधि की भागीदारी का स्वागत करते हैं ताकि पोर्टल की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

हमें विश्वास है कि आईडब्ल्यूपी उस लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद करेगा जो है तो नैतिक परंतु अब सभी के लिये सुरक्षित और सतत जल के लिये भारत की अनिवार्य रणनीति बनने की ओर अग्रसर हो रही है। ❑

**(लेखिका** अर्घ्यम, अक्षर **फाउंडेशन, बंगलुरु और** प्रथम **की अध्यक्ष है)**

# एक तालाब का काया-कल्प

❍ अमृत अभिजात

जल ही जीवन है। जीवन जल के बिना सुरक्षित नहीं है, इसलिये जल को सुरक्षित करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, जितना ज़रूरी जीवन को सुरक्षित रखना है। आज बहुत तेज़ी से जल का दोहन हो रहा है। धीरे-धीरे ज़मीन के नीचे के जल-स्रोत कम होते जा रहे हैं। यह मान कर चलना चाहिए यदि इसी तरह जल का दोहन होता रहा और जल संरक्षण को बढ़ावा नहीं मिला तो एक दिन पूरी दुनिया जल के अभाव में नष्ट हो जाएगी। हमारे पूर्वज जल को कितना महत्व देते थे, यह इसी बात से परिलक्षित होता है कि वे तालाब खुदवाते थे और तालाब खुदवाना एक पुण्य का कार्य माना जाता था। तालाब से कई लाभ होते हैं। पशु-पक्षी और जानवर तालाब के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा होकर जल-स्रोत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हम सब लोग कुओं, नलकूपों के माध्यम से पृथ्वी तल से पानी निकालकर अपने जीवन की रक्षा और फसलों की सिंचाई के काम में लाते हैं।

धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप जल दोहन बढ़ा और तालाबों को पाटकर उस पर भवनों का निर्माण होने लगा। परिणामस्वरूप अधिक जल दोहन होने और जल संरक्षण न करने की प्रवृत्ति के कारण आज हमारे सामने जल संकट की समस्या आ खड़ी हुई है। तालाबों को पाटने की बढ़ती प्रवृत्ति, नये तालाबों का निर्माण न कराया जाना, भू-जल स्तर धीरे-धीरे नीचे जाने के कारण, प्रत्येक वर्ष पेयजल की होती कमी एवं राजनेताओं/अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश पारित करना पड़ा कि पूर्व के सभी तालाबों की यथास्थिति बहाल की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तालाबों के संबंध में उक्त आदेश पारित कर दिए जाने के कारण लखनऊ जिला प्रशासन पर यह गुरूतर भार आया और प्रशासन कुछ सतर्क हुआ। नगर भ्रमण के दौरान तालाबों की दशा जानते हेतु लखनऊ के पर्यटन स्थल खुसरूबाग के निकट नुरूल्ला रोड पर स्थित गुड़िया तालाब के नाम से विख्यात तालाब की दुर्दशा देखकर इसके जीर्णोद्धार का संकल्प जगा। इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिये यह आवश्यक था कि सबसे पहले उसके इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिये गुड़िया तालाब के निकट रहने वाले कुछ वृद्ध व्यक्तियों से मुलाकात करके जानकारी प्राप्त की गई। उन लोगों ने गुड़िया तालाब के संबंध में रोचक जानकारी दी।

*तालाब का पुराना स्वरूप*

*तालाब का नया स्वरूप*

आज से 200 वर्ष पूर्व इस नगर के सुप्रसिद्ध मुगलकालीन पर्यटन स्थल खुसरूबाग के निकट नुरूल्ला रोड पर मन्नी लाल अग्रवाल के पूर्वजों ने एक पोखरा खुदवाया था, जिसमें आस पास के क्षेत्रों से बरसात का पानी एकत्रित होता था। तालाब से केवल जलसंरक्षण का ही लाभ नहीं होता, बल्कि यह जलप्लावन से

# कृषि क्षेत्र पर 25,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी सरकार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आजादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाए बिना ग्रामीण भारत की किस्मत नहीं बदली जा सकती। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार कृषि क्षेत्र पर 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमने किसानों का दिया जाने वाला ऋण दोगुना कर दिया है। ब्याज दर कम हुई है और जिन इलाकों में किसान संकट में है वहां ब्याज माफ़ कर दिया है और ऋणों का पुनर्निर्धारण किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए विशेष कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि किसानों की आजीविका बढ़े और खाद्यान्न उत्पादन में भी इज़ाफा हो।' उन्होंने कहा कि सूखे और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में किसानों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत निर्माण के जरिये सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निवेश कर रही है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटा जा सके। ❑

### आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- कृषि के लिये 25 हजार करोड़ का पैकेज
- असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की योजना। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा
- 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और ग़रीबी रेखा के नीचे के लोगों को मिलेगी पेंशन
- औद्योगीकरण सरकार की प्राथमिकता सूची में, देश के सभी क्षेत्रों में उद्योग फैलाने की कोशिश होगी
- लोगों को हुनरमंद बनाने के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर जोर
- हर साल एक करोड़ छात्रों को मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा
- 1,600 नये आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थान, 10 हजार व्यावसायिक स्कूल व 50 हजार कौशल विकास केंद्र खुलेंगे
- अब तक महरूम रहे राज्यों में 30 नये केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे
- अल्पसंख्यकों के विकास में संसाधन की कमी नहीं होगी

---

भी बचाता है।

सन 1858 के आसपास तालाब पर नागपंचमी का मेला लगने लगा तभी से इस तालाब का नामकरण 'गुड़िया तालाब' हो गया। इस अवसर पर युवतियां अपनी बनाई गुड़ियों को पीटकर इस तालाब में डालती थीं। आज़ादी से पूर्व मन्नी लाल अग्रवाल ने तालाब को देखरेख के लिये नगरपालिका को सौंप दिया था। जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस तालाब में पानी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खुसरूबाग वाटर वर्क्स से एक सुरंगनुमा चैनल बनवाया। इसी चैनल द्वारा तालाब में पानी भरा जाता है।

1970 के दशक में इस तालाब के सौंदर्यीकरण का ख़्याल नगर महापालिका को आया और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ भी करा दिया गया, किंतु तालाब के वारिसानों ने विरोध कर सौंदर्यीकरण का कार्य रुकवा दिया। तब से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

धीरे-धीरे गुड़िया तालाब का अधिकांश भाग गंदगी एवं मलबे से पट चुका था और चारों ओर अवैध अतिक्रमण एवं गंदगी का बोल-बाला था जिसके प्रदूषण से आसपास के लोगों का जीवन नारकीय बन गया था।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, नागपंचमी के एक दिन पहले नगरनिगम यहां थोड़ी-बहुत सफ़ाई करवा देता है, परंतु बाकी वर्षभर इसकी दुर्दशा पर तरस खाने वाला कोई नहीं होता। नागपंचमी का मेला समाप्त हो जाने के उपरांत पानी में सूअर लोटते रहते हैं जिससे जीना दूभर हो जाता है। कूड़ा-करकट और टायर-ट्यूब के दुकानों द्वारा कटे-फटे टायर-ट्यूब तालाब में फेंके जाने से उत्पन्न प्रदूषण से न केवल नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

गुड़िया तालाब के सारे पहलुओं पर चिंतन करने के बाद जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और तालाब के वारिसों व स्थानीय बासिंदों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के उपरांत 'गुड़िया तालाब' का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया।

इस तालाब के जीर्णोद्धार का दायित्व नगर निगम इलाहाबाद के अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया। अभियंत्रण विभाग ने कड़ी मेहनत कर इस पुनीत कार्य को 3 माह की अल्प अवधि में पूर्ण कर दिया गया। यहां पानी का टैंक, रेलिंग, मुख्य द्वार, शेड, बेंच तथा लॉन का निर्माण कराया गया। पानी का टैंक 2,140 वर्ग मीटर में स्थित है। टैंक के दोनों ओर 670 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में घासयुक्त लॉन विकसित की गई, जिसमें अब साइकिस, पुत्रगीवा, बाटलपाम, कचनार, सप्तपर्णी, गुलाचीन आदि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ मनमोहन छटा भी बिखेर रहे हैं। तालाब का प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र है। तालाब के चारों तरफ आकर्षक रेलिंगों पर लगाए गए 78 प्रकाश स्तंभ पूरे परिसर को अपने प्रकाश के आगोश में समेट कर मनोहारी बना रहे हैं।

पर्यटकों और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर यहां विश्राम हेतु 2 शेड तथा बेंच की व्यवस्था की गई है। यह तालाब वर्तमान में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ❑

झींगे, मौलस्क, शैवाल, जलीय वनस्पतियां शामिल हैं। जलकृषि का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना जलीय जीवों का भरपूर उत्पादन करना है।

**जलकृषि के घटक क्षेत्र**

- मछलियों में प्रेरित प्रजनन एवं हैचरियों का निर्माण
- मछलियों का मिश्रित पालन
- झींगा पालन एवं हैचरी का निर्माण
- वायु-स्वाशी मछलियों का संवर्द्धन एवं जनन
- मछलियों का समेकित पालन
- मोती उत्पादन
- मीठा जल केकड़ा पालन
- मानवमल पोषित मत्स्य पालन
- पेन एवं केज में मछली पालन
- जलीय शैवाल का पालन एवं औषधि निर्माण
- रंगीन मछलियों का पालन एवं प्रजनन
- जलीय जीवों से रसायन और बायोगैस का निर्माण
- खाऊ मछलियों का संवर्द्धन

**मत्स्य उत्पादन**

मत्स्य उत्पादन को दो चरणों में किया जा सकता है। क्षैतिक प्रसार (होरिजोंटल एक्सटेंशन) के तहत क्रमिक रूप से अविकसित जलकरों में सुधार कराकर मत्स्यपालन के अधीन लाया जाता है। उदग्र (वर्टिकल) प्रसार के तहत जिन तालाबों में मत्स्यपालन हो रहा है, उसमें गुणात्मक सुधार कर प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना है। अभी इस जिले में प्रति हेक्टेयर 2.5 टन मछली का उत्पादन होता है।

**मछली के बीज का उत्पादन**

मत्स्यपालन का मुख्य आधार मत्स्य बीज (मत्स्य स्पौन, फ्राई या जीरा और मत्स्य अंगुलिकाएं या फिंगरलिंग) होता है। मत्स्य स्पौन नदियों से या सरकारी अथवा निजी हैचरियों से प्राप्त कर जीरा एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के रूप में संवर्द्धित कर संचय किया जाता है।

**तालिका 1**

| भोज्य पदार्थ | प्रतिशत प्रोटीन |
|---|---|
| अन्न | 7.3-8.5 |
| सब्जी | 0.1-5.0 |
| दूध | 3.0-4.3 |
| अंडा | 13.0-13.5 |
| मांस | 18.0-19.3 |
| मछली | 18.0-23.0 |

मत्स्य स्पौन उत्पादन के लिये निजी क्षेत्र में मत्स्य हैचरियों का निर्माण कर समस्या का हल किया जा सकता है। बाढ़ के बाद निचले क्षेत्रों में जमा पानी से भी मत्स्य बीज पकड़े जा सकते हैं।

**महाझींगा पालन**

महाझींगा का उत्पादन कर मत्स्य कृषक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। झींगा पालन के लिये गहरे तालाबों की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इसके बीज मिलने में कठिनाई है। तिरहुत मुख्य नहर के दोनों ओर जल जमाव क्षेत्र में झींगा का सफल रूप से पालन किया जा सकता है। झींगे के बीज सतत रूप से किसानों को मिलते रहें, मछलियों तथा झींगे की बीज प्राप्ति के लिये सीड बैंक का गठन किया जाना चाहिए। यह कार्य निजी क्षेत्र या गैरसरकारी संस्थाओं के द्वारा कराया जा सकता हैं। झींगा पालन से प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 टन झींगे का उत्पादन किया जा सकता है।

**'पेन' एवं 'केज' कल्चर को प्रोत्साहित करना**

'पेन' या बाड़ा एक ऐसी कृत्रिम संरचना है जिसके द्वारा जलक्षेत्र में निश्चित स्थल पर अनावश्यक जीव-जंतुओं का प्रवेश निषेधकर उपयुक्त मत्स्य प्रजातियों को पाला जाता है। ये संरचनाएं बांस के कमाची द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें जलक्षेत्र के नितल को छोड़कर तीन या चारों किनारों का निर्माण जालीदार संरचनाओं द्वारा किया जाता है।

'पेन' का निर्माण मन और नदी के बेसिन से जुड़े स्थानों में भी किया जाता है। इसका आकार एक हेक्टेयर तक का हो सकता है। इसमें मत्स्यपालन करने से प्रतिवर्ष 3-4 टन मछली प्रति हेक्टेयर संभव है।

'केज' या पिंजड़ा एक ऐसा कृत्रिम जलनिकाय है, जिसका नितल और सभी पार्श्व लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक की जालियों से ढका होता है। इसका आकार 1,000 वर्गमीटर का हो सकता है। इसका उपयोग जलकृषि में जलजीवों, जैसे-मछली, झींगा, सीपी पालन में होता है।

## लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर सीडी में भेजें। साथ में एक मूल टंकित प्रति हो। वापसी के लिये टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न न होने पर अस्वीकृति की दशा में रचनाएं वापस भेजना संभव नहीं होगा। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

**- संपादक**

'केज' कल्चर द्वारा ऐसे बड़े जलाशयों का उपयोग संभव है, जहां अन्यथा जल कृषि उत्पादों का पालन संभव नहीं है। इसमें संचित मछलियों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, प्रदूषण आदि में इसका स्थान परिवर्तन कर मछलियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

केज के अंतर्गत सभी प्रकार की मछलियों, झींगे आदि का पालन संभव है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केज से मत्स्योत्पादन 0.3 किग्रा. से 16 किग्रा. प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष संभव हो पाया है।

**वायु श्वासी मछलियों का संवर्धन**

मछलियां सामान्यत: पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग अपने गिल्स के द्वारा श्वसन के लिये करती हैं। परंतु कुछ ऐसी मछलियां हैं जो गिल्स के अतिरिक्त सहायक श्वसन अंग की सहायता से सीधे ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। ऐसी मछलियों को वायुश्वासी मछली के नाम से जाना जाता है। इस समूह के अंतर्गत पाई जानेवाली मछलियों में मांगुर, सिंघी, कवई, गरई, सौरा आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ औषधीय गुण तथा उच्च बाज़ार भाव होने के कारण अधिक उपयोगी हैं।

इस समूह की मछलियां कम घुलनशील ऑक्सीजन वाले जलक्षेत्र जैसे, दलदल, मार्शी लैंड में पाली जा सकती हैं, जहां अन्य कोई खेती संभव नहीं है। यह कम उपजाऊ जलक्षेत्र में भी पाली जा सकती हैं। इन्हें जिंदा अवस्था में बाज़ार में लाकर बेचा जा सकता है। इन मछलियों में पोषक एवं खनिज तत्व अन्य मछलियों की तुलना में अधिक होता है।

**मछलियों का समेकित पालन**

समेकित मत्स्यपालन एक ऐसी विद्या है जिसमें मछलियों के साथ-साथ अन्य जीव-जंतु या वनस्पतियों का उत्पादन एक दूसरे को लाभ देते हुए एक साथ एक ही स्थान पर कम से कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है।

समेकित मत्स्यपालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार, पोषण और आय बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। इन पद्धति से प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा अधिकतम खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है। यह एक ऐसा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें कोई भी खाद्य अवयव व्यर्थ नहीं जाता।

**मोती उत्पादन**

मीठे जल में मोती पालन का कार्य 1989 से भारत में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत सीपों के शरीर में किसी बाहरी कण के प्रवेश पर मेटल में उपस्थित पर्ल निस्त्रवण से मोती का निर्माण होता है।

मेहसी में काफी पहले सीप उद्योग कार्यरत था। अब समय आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीपियों को पालकर मोतियों का उत्पादन शुरू किया जाए।

**सजावटी मछलियों का पालन**

रंगीन मछलियां अपनी सुंदरता और कौतुहलता के कारण मनुष्यों का मन मोह लेती है। यह गृह सज्जा के साथ-साथ होटलों, दुकानों एवं पर्यटन स्थलों को सुंदरता प्रदान कराने के लिये सारे विश्व में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थानीय एवं विदेशी मछलियों का संवर्धन, प्रजनन एवं विपणन तथा एक्वेरियम का निर्माण करा आय एवं रोज़गार को एक दिशा दी जा सकती है।

**मत्स्य उद्योग एवं मानव संसाधन**

जलकृषि उद्योग के सफलतापूर्वक कार्यान्वन के लिये सभी प्रकार के मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है - प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित। प्रशिक्षित कोटि के कर्मचारी मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान कराने तथा नये जल संसाधनों की खोज एवं उसकी उपयोगिता में लगाए जा सकते हैं। अप्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता मछलियों एवं अन्य जलीय उत्पादों की निकासी, भंडारण एवं विपणन में होती है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 अनुमान लगाया था कि एक टन मत्स्योत्पादन में 2.5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस तरह जिले के जलक्षेत्रों एवं उससे उत्पादित होने वाली मछलियों के आधार पर क़रीब 68,000 व्यक्तियों हेतु स्वरोज़गार का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इतना ही नहीं, मत्स्य भंडारण, विपणन, साज-सज्जाओं के निर्माण, मत्स्यपालकों के प्रशिक्षण, बैंक द्वारा वित्त पोषण, सजावटी मछलियों एवं एक्वेरियम निर्माण आदि कार्यों पर कई हज़ार कुशल और अकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक चीनी कहावत है कि यदि आप एक मछली किसी को एक दिन देते हैं तो वह उसका एक दिन का भोजन होगा, परंतु यदि आप उसे मत्स्यपालन का ज्ञान देते हैं, तो वह उसे आजीवन भोजन देगा। यदि बताए गए पहलुओं पर कार्यान्वन किया जाए, तो न केवल मत्स्य उत्पादन में स्वावलंबी हुआ जा सकता है, अपितु निर्यात करने में भी सक्षम हुआ जा सकता है। हरित क्रांति ने जहां खाद्य पदार्थों की कमी दूर की है, वहीं नीली क्रांति कुपोषण को दूर करने में सक्षम होगी। यदि हरित क्रांति एक पेड़ का तना है तो श्वेत और नीली क्रांति कुपोषण को दूर करने की उसकी दो शाखाएं हैं। जलीय आहार 21वीं सदी का चयनित आहार होगा और नीली क्रांति सब के पोषाहार की सुरक्षा करेगी। अत: नीली क्रांति को सफल बनाने का संकल्प लें।❑

**(लेखक मत्स्यपालन विशेषज्ञ हैं)**

# हिमालय की पहाड़ियों में आटा चक्कियां

○ पी.सी.बोध

ज़रा सोचिए हाथ से चलाई जाने वाली उन आटा चक्कियों को, जिनको देखते ही भारत के महान संत कबीर के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके मन में इन्हें देखते ही भाव जागा। कुदरत के उस चक्की के दो पाटों का जिन्हें हम धरती व आकाश कहते हैं और जिनके बीच में मानव उसी तरह पिसता है जैसे चक्की के दो पाटों के बीच में अनाज के दाने पिसते हैं। कबीर ने जिस चक्की से कुदरत के इस महान चक्की की परिकल्पना की वह आज भी भारत के गांव-गांव में देखी जा सकती है। फिर भी इस चक्की का एक और रूप है, जिसे 'घरत' कहा जाता है। जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी आन-बान-शान किसी तरह से भी इस आम चक्की से कम नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसने हिमालय के पहाड़ों को देखा है या कोई भी जिसने वहां की घाटियों के दर्शन किए हैं, आप को बता देगा कि पानी से चलने वाली आटा चक्की क्या होती है। हालांकि इसे आसानी से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी 'घरत' की इन पहाड़ों में खास स्थिति है, जिसके बिना ज़िंदगी शायद दूभर हो गई होती। ज़रा सोचिए, पहाड़ों में दिनभर के काम से भरी जिंदगी से उपजी थकान दिनभर खेतों में खटने की परेशानी दूरदराज जंगलों से घास और जलाऊ लकड़ी लाने का कमरतोड़ मेहनत का काम और बाज़ार से सामान का बोझ और इसके बाद घर आकर शुरू करना रोटी बनाना, लेकिन रोटी बनाने से पहले हाथ से आटा पिसना। ये तो पहाड़ जैसी ज़िंदगी को पहाड़ जैसा मुश्किल बनाने जैसी बात हुई।

शायद हिमालय पर्वतवासियों ने अपने बोझिल कामों से एक बोझ को कम करने के लिये ही पानी से चलने वाली आटा चक्की इज़ाद करने की ज़रूरत महसूस की। ज़रा जायज़ा लीजिए इस चित्र का जो भारत के गौरवशाली प्रांत हिमाचल प्रदेश के सरहान के पास स्थापित घरत का है। एक घरत में प्राचीन लोक संस्थानों और तकनीकी का निचोड़ देखा जा सकता है।

ये अमूमन गांवों से बहुत दूर स्थित होते हैं, क्योंकि ये विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में लगाए जा सकते हैं। एक लकड़ी की टोकरी में से पानी को गुज़ारा जाता है, इसमें से होता हुआ पानी नीचे एक उद्देलक से जा कर टकराता है। जो कि दो मंजिली पनचक्की के निचले हिस्से में लगा होता है। इस उद्देलक से आगे चलकर पनचक्की के पत्थरों को घुमाता है, अनाज के दाने एक शंकुनुमा लकड़ी की टोकरी में पड़े होते हैं। जहां से अनाज बाहर निकलता है वहां से चिड़िया के आकार की एक लकड़ी जोड़ी जाती है, जो कि चक्की के पाटों के निचले हिस्से को छूती है। जैसे ही चक्की के पाट घूमते हैं, यह जुड़ी हुई लकड़ी के निचले हिस्से में कंपन पैदा करती है ताकि चक्की के

पाटों के छेदों में सरकाने के लिये निकास के साथ-साथ गेहूं के दाने निरंतर गिरते रहें। इससे एक बड़ी मीठी नींद लाने वाली आवाज़ आती है।

यदि इन चक्कियों के मॉडल को देखें तो एकदम से आंखों के सामने आधुनिक पनबिजली परियोजनाओं की तस्वीर घूम जाएगी। पनऊर्जा उत्पादन इसी प्राचीन तकनीकी से पैदा होने वाली ऊर्जा का प्रौद्योगिकी प्रयोग मात्र है जिसमें केवल घर्षण से पैदा होने वाला सिद्धांत अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया गया है।

इन परिस्थितियों का रोचक पहलू है इनकी संस्थागत मज़बूती। यदि किराया देने का तरीका एवं ढांचा देखा जाए तो ये आज के आधुनिकतम मानदंडों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। ये आटा मिलें व्यावहारिक रूप में तो सार्वजनिक हैं लेकिन इनका स्वामित्व आमतौर से निजी हाथों में होता है। जहां तक इनके निजी होने का संबंध है, इस संदर्भ में है कि कोई व्यक्ति आमतौर पर इन्हें किसी नदी या छोटे नाले या छोटी नदी के प्रवाह के साथ-साथ बनाता है और एक बार जब यह बनाकर स्थापित कर दी जाती है तो हर एक इसको उपयोग में ला सकता है। और इसके लिये मालिक की उपस्थिति भी न्यूनतम ही रहती है। तरीका बड़ा सरल है। चक्की का उपयोग कीजिए और आटे के रूप में इसका किराया छोड़ जाइए। इसके दाम आमतौर पर परंपरागत रूप से तय किए जाते हैं। किराये में प्राप्त किया गया आटा अलग से रख दिया जाता है। चक्की को उपयोग में लाने वाला काम समाप्त हो जाने के बाद अनाज के निकासी की जगह को रोककर मिल बंद कर देता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर देखा जाए तो पनचक्की का उपयोग करने वालों के लिये यह बैठकर गपशप करने का बड़ा अच्छा स्थान है। गेहूं पिसाने के लिये लगने वाली लंबी कतारें और लंबा इंतज़ार चक्की का उपयोग करने आए लोगों और पास से गुजरने वाले लोगों के बीच सामाजिक संसर्ग का एक बड़ा अच्छा अवसर प्रदान करता है। और कई अन्य जगहों के बीच यह एक ऐसी जगह है, जहां गांव के लोग अपेक्षाकृत काम के बोझ से खाली होते हैं। इस आधुनिक प्रबंधक की इस संस्था से एक स्पष्ट पाठ तो अवश्य मिल सकता है कि यदि प्रणाली सरल और आदान-प्रदान के उसूल बिल्कुल पारदर्शी है तो सेवा प्रदान करने वाले को छोटी-छोटी बातों के लिये आदमी और सामान दोनों पर बेकार व्यय नहीं करना पड़ेगा।

सामाजिक तौर से देखा जाए तो पनचक्की की यह संस्था आवश्यक सेवाओं को सभी लोगों के लिये खुला रखने की आवश्यकता का मुखर प्रतीक है जिसमें जाति-पाति का प्रश्न नगण्य है और दाम इतना सही है कि ये किसी पर भी बोझ नहीं बनते। ❑

**(लेखक योजना आयोग में निदेशक रह चुके हैं)**


## सदस्यता कूपन

❑ नयी सदस्यता ❑ नवीकरण ❑ पता बदलने के लिये

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

**विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग**

ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

# अभी ख़त्म नहीं हुआ है आंदोलन

*आज़ाद हिंद फौज की प्रखर सेनानी डॉ. लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्तूबर, 1914 को मद्रास में हुआ था। पिता डॉ. एस. स्वामीनाथन अपने ज़माने में फौजदारी मामलों के अग्रणी वकील थे। लक्ष्मी के माता–पिता ने बेटी में देशप्रेम की भावना कूट–कूट कर भरी, जिससे उनमें देश की आजादी के लिये लड़ने और मर–मिटने का ज़ज्बा पैदा हुआ। 1940 में मद्रास से ही डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सिंगापुर चली गईं। वहीं 1943 में उनकी मुलाकात सुभाषचंद्र बोस से हुई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लिये काम करना शुरू कर दिया। उन्हें रानी झांसी रेजीमेंट की कमान सौपने के साथ–साथ नेताजी द्वारा स्थापित आजाद हिंद की अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया। वह बर्मा, इंफाल और मणिपुर के मोर्चे पर लड़ाई में शामिल रहीं। प्रस्तुत है उनसे हुई संस्मरणात्मक बातचीत के महत्वपूर्ण अंश :*

दिसंबर 1941 में जब जापानियों ने सिंगापुर पर हमला किया, तब तक आज़ाद हिंद फौज का कोई अस्तित्व वहां नहीं था। सिंगापुर को बचाने के लिये अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से 60 हज़ार हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिंगापुर के विभिन्न मोर्चों पर भेज दिया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई अफसर हिंदुस्तानी भी थे। अंग्रेज़ों ने सिंगापुर के तटीय क्षेत्रों के सभी अग्रिम मोर्चों और हवाई अड्डों पर हिंदुस्तानी फौज़ तैनात कर दी। अंग्रेज़ों का अनुमान था कि जापानी समुद्र के रास्ते सिंगापुर में आएंगे, लेकिन उनकी पूरी रणनीति बेकार हो गई। समुद्र की तरफ तनीं उनकी तोपें एक भी फायर नहीं कर पाईं। एक जबरदस्त तूफान की तरह जापानी मैदान के रास्ते आए और देखते ही देखते पूरे सिंगापुर में छा गए। बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई में भी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी फौज़ों को ही आगे रखा और खुद हमेशा उनकी कवर में रहे। हालात तेज़ी से बदले। इस भयंकर लड़ाई को देखकर आस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के सैनिकों ने कहना शुरू किया कि वे यहां मरने के लिये नहीं आए हैं। वे लोग सब वापस अपने-अपने देश जाने को तैयार हो गए।

इन हालात में अंग्रेज़ी फौज़ें पीछे हटने लगीं। जापानी फौज के साथ ही रास बिहारी बोस का भी आगमन हुआ। जहां-जहां जापानी फौज़ जाती थी वहां-वहां वह भी जाते थे और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शाखा खोल देते थे। जापानियों के कब्ज़े वाले देशों में, जैसे कि शंघाई में, मंचूरिया में और भी सभी जगह उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का झंडा फहराया। इस अभियान में उनके साथ एक जापानी अफसर मेजर फूजीवारा भी शामिल थे। सिंगापुर में उन्होंने मिलकर जनता के नाम खासतौर पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी, उर्दू और तमिल में पर्चे छपवाकर हवाई जहाज़ों से पूरे सिंगापुर में बरसाए। अपील में लिखा था, "हिंदुस्तानी सिपाहियों! आप किसके लिये लड़ रहे हैं? अंग्रेज़ों ने आपके देश पर कब्ज़ा कर रखा है। आप अपने हथियार छोड़ दीजिए और हमारी तरफ आ जाइए। हम आपके देश को आज़ाद करने में आपकी मदद करेंगे। क्यों आप इन अंग्रेज़ों के लिये लड़ रहे हैं?"

15 फरवरी, 1942 को सिंगापुर का युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो गया और 16 फरवरी को वहां एक बहुत बड़े मैदान में सारे हिंदुस्तानी जवानों और अफसरों की काफी बड़ी रैली आयोजित की गई। उस रैली में रासबिहारी बोस, फूजीवारा और मोहन सिंह ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को संबोधित किया और तब वहीं पर आज़ाद हिंद फौज़ का गठन हुआ।

उस वक़्त मैं सिंगापुर में ही थी। हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप भी था जो हिंदुस्तान के लिये कुछ करना चाहते थे। इसमें कुछ वकील, जिनमें जे.पी. के. मेनन, मिस्टर गुहा, पत्रकार राघवन, क्रांतिकारी प्रीतम सिंह, जो पंजाब से भाग कर आया था और थाईलैंड में काफी काम किया था तथा भारत में काम कर रहे क्रांतिकारियों को हथियारों वगैरह भी भिजवाए थे और इनके अलावा हमारे ग्रुप में स्वामी सत्यानंद भी थे। हम सब बस मौके की तलाश में थे।

सिंगापुर रैली के एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद मई 1943 में नेताजी सिंगापुर आए। नेताजी ने आने के बाद कहा कि अब हमारे पास वक़्त बहुत कम रह गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस विश्वयुद्ध से कोई मतलब नहीं है। हमारा सबसे पहला और अंतिम लक्ष्य है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना। नेताजी ने कहा कि हमारे पास अब जो भी वक़्त है उसमें हमें 24 घंटे के दिन में 48 घंटे के बराबर काम करना है। उन्होंने कहा कि यह फौज़ एक क्रांतिकारी फौज़ है। इसमें जनता और हमारे बीच कोई भी दूरी नहीं रहेगी। हम इसमें 18 से 25 साल के सभी सिविलियन नौजवानों को भर्ती करेंगे।

नेताजी के आने से पहले फौज़ की संख्या केवल तीस हज़ार ही थी, लेकिन उनके आने के दो हफ़्ते के भीतर ही फौज़ की संख्या बढ़कर 60 हज़ार से ज्यादा हो गई। नेताजी ने

महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज़ादी की सबसे ज्यादा ज़रूरत तो महिलाओं को है क्योंकि वह केवल गुलामी से ही नहीं बल्कि सामाजिक शोषण से भी पीड़ित हैं। इसलिये मुक्ति के इस अभियान में महिलाओं को शामिल करना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की एक अलग रेजीमेंट गठित करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप हमारा इतिहास देखिए। 1857 से पहले भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुक़ाबला किया है। 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई और बेग़म हजरत महल के अलावा, हमारे बंगाल में शांति और प्रीतिलता जैसी क्रांतिकारी महिलाएं हुईं और महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भी हज़ारों साधारण महिलाओं ने सड़कों पर लाठी-गोली खाकर पुलिस का मुक़ाबला किया है। इस तरह से हिंदुस्तान में तो बहादुर महिलाओं की एक परंपरा रही है। इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नेताजी ने कहा कि मुझे मालूम है कि हमारी लड़ाई उस आंदोलन से पूरी तरह से अलग और कहीं ज्यादा ख़तरनाक है। इसमें मैदाने-जंग में उतरना होगा और गोलियों की बौछार का सामना करना होगा। मैं आपको मौत के अलावा और कुछ तो दे नहीं सकती। लेकिन हमारी निजी तक़लीफों और ख़तरों से कहीं ज्यादा ज़रूरी देश को आज़ाद करना है। नेताजी ने हमसे कहा कि इस काम में हमें खून पानी की तरह बहाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि मैं एकदम तैयार हूं।

मैंने नेताजी को बताया कि एक मुश्किल है कि मध्यम वर्ग की पढ़ी-लिखी लड़कियां और औरतें युद्ध शुरू होने से पहले ही सिंगापुर से हिंदुस्तान चली गईं हैं। अब इधर सिवाय रबर के बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों, पीडब्लूडी की सड़कें बनाने वाले मज़दूरों के परिवारों और चंद क्लर्कों और वकीलों के परिवारों के कोई भी नहीं है। वे भी बहुत कम हैं। नेताजी ने कहा कि आप मध्यम वर्ग पर बिल्कुल भी यकीन मत करिए। मध्यम वर्ग क्रांतिकारी नहीं होता। किसान अभी क्रांतिकारी हैं और वे लोग कुर्बानी करने को तैयार हैं। नेताजी ने मुझे तीन-चार दिन का समय देकर कहा कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ ला सकें उन्हें ले आइए।

इन दिनों में मैंने जबरदस्त भागदौड़ की और सिंगापुर में छह हज़ार महिलाओं को बुलाकर एक सभा आयोजित की। मैंने नेताजी को बताया कि वे सभी अनपढ़ हैं और सिवाय तमिल और मलयालम के उन्हें कोई भी भाषा नहीं आती। नेताजी ने कहा कोई बात नहीं, हम अनुवाद करने का इंतजाम करेंगे। मीटिंग में नेताजी ने हिंदुस्तानी में बात की और मैंने उसका अनुवाद कर उन सभी महिलाओं को बताया। वे सब नेताजी को ऐसे सुनती रहीं जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। और नेताजी ने पुकारा कि कौन-कौन आज़ाद हिंद फौज़ में शामिल होने को तैयार हैं, तो वे सभी महिलाएं, किसी-किसी की गोद में तो छोटे बच्चे भी थे और उसी वक़्त पानी भी बरसने लगा था, लेकिन अपने भीगने की परवाह किए बगैर चुपचाप नेताजी को सुनती रहीं ओर जब नेताजी ने पुकार लगाई तो सारी महिलाएं मंच की तरफ बढ़ आईं। कई तो मंच पर चढ़ आईं। आप आज अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस वक़्त क्या जादू हो गया था। नेताजी के भाषण ने जैसे बिजली का सा असर किया था।

इस मीटिंग के दूसरे दिन ही रानी झांसी रेजीमेंट का गठन किया गया। इसके बाद मैंने सिंगापुर, मलाया और क्वालालंपुर का दौरा किया और महिलाओं को इसमें शामिल किया। हमारी रेजीमेंट में हमें सबसे ज्यादा सहयोग स्टेट्स बार्न इंडियंस से मिला। उत्तर पूर्वी एशिया और सिंगापुर में दो-तीन पीढ़ियों से रहने वाले इन देशों में गए थे। इन देशों में खासतौर पर सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी में अंग्रेज़ों ने इनका जबरदस्त शोषण किया और इन्हें कभी बराबरी का दर्ज़ा नहीं दिया। इसके अलावा वहां की दूसरी कौमें जैसे कि मलाया, यमन, चीनी वगैरह सभी हिंदुस्तानियों को नीची नज़र से देखती थीं। वे लोग कहते थे इन दब्बू लोगों का अपना देश तो गुलाम है और ये हमको भी गुलाम बनाने के लिये इधर चले आए हैं। हिंदुस्तानी मज़दूर, खासतौर पर रबर के बगीचों में काम करने वाले, बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो जाते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उन्हें कितनी मज़दूरी मिलनी चाहिए। जबकि मलाया के लोग कभी मज़दूरी नहीं करते थे, वे मछलियां पकड़ते थे और हमेशा ठेके पर काम करते थे। वे दिहाड़ी पर कभी काम नहीं करते थे। इसलिये वे सभी हिंदुस्तानियों से दुगुना-तिगुना कमा लेते थे, जबकि हिंदुस्तानी कम पैसों में चुपचाप जुल्म सहते हुए काम किया करते थे।

हमारे रेजीमेंट की ट्रेनिंग सिंगापुर में शुरू हुई। तीन महीनों की ट्रेनिंग के बाद हमारी रेजीमेंट बर्मा आई। उस वक़्त आज़ाद हिंद फ़ौज इंफाल की तरफ बढ़ रही थी। हमें उसकी मदद करने और साथ लड़ने का आदेश मिला था। लेकिन तब जो बरसात हमेशा मई के आखिर से या जून से शुरू हुआ करती थी, वह अप्रैल के आखिर में ही शुरू हो गई। इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि फौज़ का आगे बढ़ना रुक गया। चर्चिल ने ब्रिटिश फौज़ को हुक्म दिया था किसी भी क़ीमत पर इंफाल हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंफाल जीतने का सीधा-सा मतलब था ब्रह्मपुत्र तक का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाना। चर्चिल ने अपनी ताक़त वहां झोंक दी और एक हफ़्ते के भीतर ही 1,00,000 लोगों की पूरी एक डिवीजन तैनात कर दी गई। इंफाल की लड़ाई यादगार लड़ाई थी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आज़ाद हिंद फौज़ के जांबाज़ों ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश फौज़ को शुरू में पीछे हटना पड़ा। हम लोगों ने मणिपुर आज़ाद करा लिया। फौज़ ने जोरहाट तक घुसकर वहां अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन बारिश शुरू हो गई, जिसके लिये हमारे सैनिक तैयार नहीं थे। फौज़ का बढ़ना रुक गया, लेकिन लड़ाई जारी रही। हमारे पास रसद खत्म हो गई, गोली-बारूद घटने लगा, जहरीले कीड़े व सांप, ब्रिटिश फौजों की गोलियां और ऊपर से तूफानी बारिश। ब्रिटिश फौज़ हमारी कमज़ोरी भांप गई और इस जबरदस्त लड़ाई में बाद में हमें पीछे हटना पड़ा।

हमारी मुठभेड़ ज्यादातर ब्रिटिश फौज़ों द्वारा तैयार किए गए गुरिल्ला गिरोहों से हुई। ब्रिटिश फौज़ों ने अपनी रणनीति के तहत बहुत से गोरिल्ला

(शेषांश आवरण पृष्ठ III पर)

# टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना

## एक ऐसा सपना जो आज पूरा हो चुका है...

## ...एशिया के सबसे ऊँचे टिहरी बांध का निर्माण पूर्ण !

### टिहरी पावर स्टेशन ने 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर ली है.

कल तक एक स्वप्न के रूप में देखा जाने वाला टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) में भागीरथी नदी पर पूरा बन गया है. यह एशिया में सबसे ऊंचा (260.5 मीटर) तथा पूरे विश्व में चौथा सबसे ऊंचा मिट्टी–पत्थर का बांध है. **10वीं पंचवर्षीय योजना में कारपोरेशन ने टिहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 1000 मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली है.**

टिहरी परियोजना का उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास तथा उत्तरी भारत के सभी राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान।

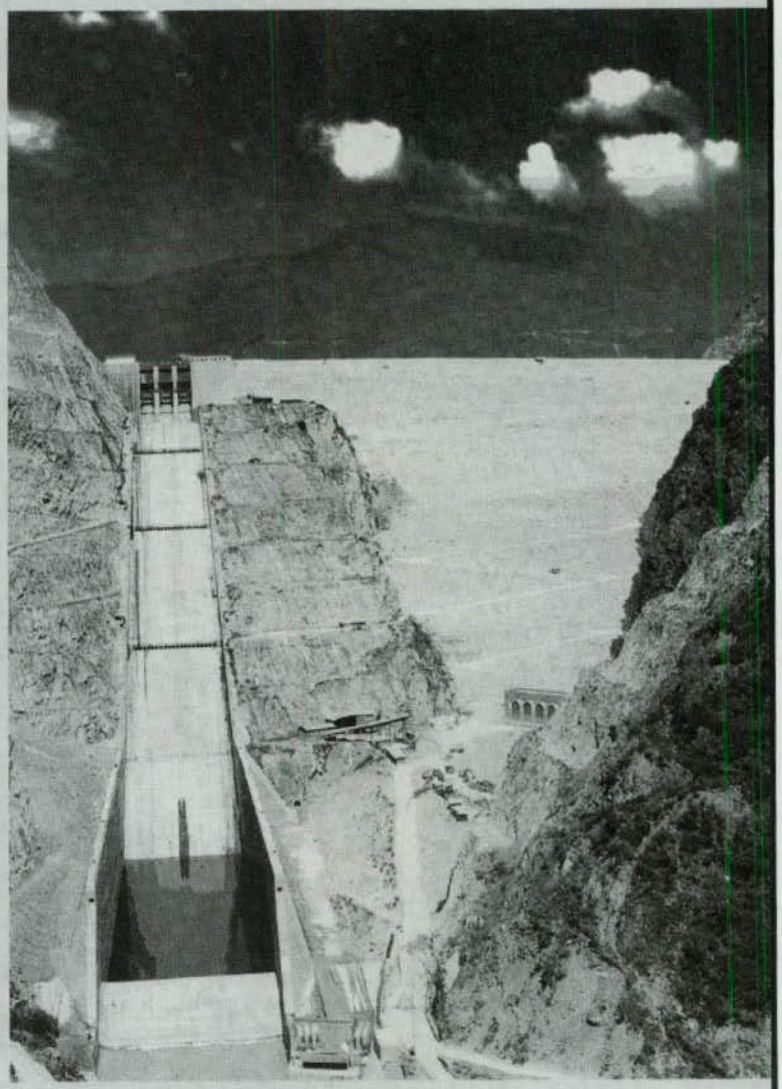

### परियोजना की विशेषताएं

- टिहरी परियोजना के प्रथम चरण पूर्ण होने के साथ ही 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ.
- 2.7 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं 6.04 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में स्थाई एवं बेहतर सिंचाई की सुविधा.
- दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के 70 लाख निवासियों के लिए पेयजल.
- सुखद पर्यावरण हेतु लगभग 48,697 हैक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ 40 लाख वृक्षों द्वारा वनीकरण.
- विस्थापितों के लिए सुनियोजित एवं उदार पुनर्वास नीति.
- मत्स्य पालन, लघु उद्योग एवं रोजगार के अवसर.
- आधुनिक सुख–सुविधाओं से युक्त नया टिहरी शहर.
- 42 वर्ग किलोमीटर जलाशय का निर्माण–पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण.

## टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

**गंगा भवन, प्रगतिपुरम्, बाईपास रोड, ऋषिकेश-249201 (उत्तराखंड)**

**फोनः (0135) 2435842, 2431517-23 फैक्सः (0135) 2439311 वेबसाइटः http://thdc.nic.in**

NIDHI ADS

स्वहित और राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं

YH-9/07/6

# नियंत्रण रेखा बने शांति रेखा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक बार फिर यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ सरहद में कोई रद्दो- बदल नहीं हो सकती और न ही जम्मू-कश्मीर का कोई और विभाजन हो सकता है। इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तथापि उन्होंने राय व्यक्त की है कि नियंत्रण रेखा के आर-पार कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच विचारों, सामानों, सेवाओं और लोगों के बीच आदान-प्रदान से सीमाओं को अप्रासंगिक बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के अब और किसी बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आतंकवाद से ग्रस्त यह राज्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सौहार्द्र का प्रतीक बन कर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने गोलमेज़ सम्मेलनों के प्रति अलगाववादी समूहों की बेरुखी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि 'मुझे आशा है कि वे गोलमेज़ प्रक्रिया के ऐतिहासिक महत्व और पारदर्शी ईमानदारी को समझेंगे और निकट भविष्य में इसमें शामिल होंगे।'

डॉ. सिंह जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर के और किसी विभाजन के प्रश्न की अप्रासंगिकता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह राज्य भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का प्रतीक बनेगा और नियंत्रण रेखा, शांति रेखा। उन्होंने कहा कि 'पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत पिछले 60 वर्षों की कडुआहटभरी विरासत को समाप्त करने और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का प्रयास है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर एक दिन भारत-पाक के बीच सहयोग न कि संघर्ष का प्रतीक बनेगा।'

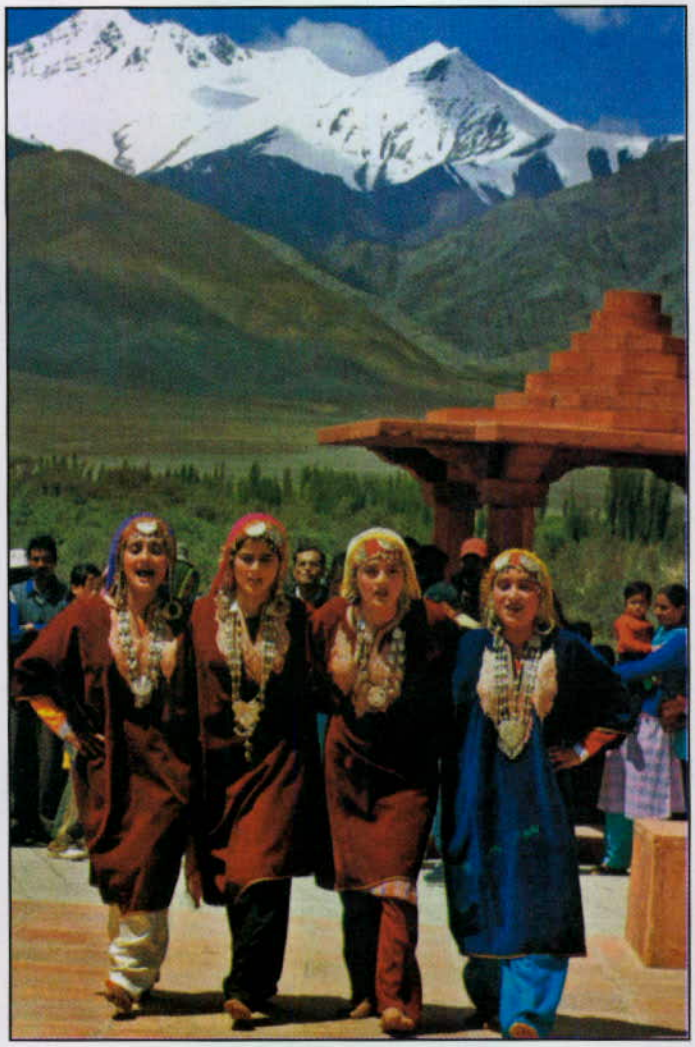

*लोक नृत्य प्रस्तुत करती कश्मीरी लड़कियां*

'जैसा मैंने पहले कहा, सीमाएं तो नहीं बदली जा सकतीं, परंतु उन्हें अप्रासंगिक बनाया जा सकता है। विभाजन या बंटवारे का तो कोई सवाल नहीं उठता, परंतु नियंत्रण रेखा के आर-पार लोगों के आवागमन और विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से इसे शांति रेखा में ज़रूर बदला जा सकता है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'परंतु, यह तभी हो सकेगा जब आतंकवाद और हिंसा स्थायी रूप से समाप्त हो जाए।'

उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र से असली राजनीतिक शक्ति मतपेटियों से प्राप्त होती है, बंदूक की नली से नहीं। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम अपने इरादे के प्रति दृढ़ हैं। हम इस शांतिप्रिय राज्य में आतंकवाद के ब्लैकमेल को खत्म कर देना चाहते हैं।'

'हम सभी लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने के प्रति कृतसंकल्प हैं। हम किसी को भी इस राज्य के शांतिप्रिय लोगों की दिल की धड़कनों को बंद करने की इज़ाज़त नहीं देंगे, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण हो।'

भारत-पाक शांति प्रक्रिया के बारे में डॉ. सिंह ने कहा, 'तमाम दुश्वारियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया हम ज़ारी रखेंगे, क्योंकि शांति के लिये काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है।'

डॉ. सिंह ने इस मौके पर गोलमेज़ सम्मेलनों के प्रति अलगाववादी नेताओं के ठंडे रवैये पर खेद जताया और कहा, 'गोलमेज़ जम्मू-कश्मीर के लोगों की सभी चिंताओं के समाधान का एक प्रभावी मंच बनकर उभर रहा है। मुझे दुख है कि कुछ समूहों ने इससे दूर रहने का रास्ता चुना है। मुझे आशा है कि वे इस गोलमेज़ प्रक्रिया के ऐतिहासिक महत्व और पारदर्शी ईमानदारी को समझेंगे और भविष्य में इसमें शामिल होंगे।'

चार कार्यदलों और उनकी सिफ़ारिशों के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम इस समय उनकी सिफ़ारिशों पर काम कर रहे हैं। हमें केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में पांचवें कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 'मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्तियों के प्रभावी वितरण की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'राज्य के तीनों क्षेत्रों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी वर्गों के लोगों की आंकाक्षाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए और इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों के बारे में आपकी समझ बननी चाहिए। डॉ. सिंह ने कहा, मुझे यकीन है राज्य के तीनों क्षेत्रों के लोगों की वैध (वास्तविक) आकांक्षाओं का सम्मान और समाधान करते हुए भी जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्मिलित विकास का प्रयास संभव है।

'नये कश्मीर' के अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग, विशेषकर यहां के युवा, राज्य के भविष्य में भागीदार हैं। उनकी ऊर्जावान सहभागिता से ही इस को सच्चाई में बदला जा सकता है।

'पिछले 60 वर्षों से हम आंतरिक तौर पर और पाकिस्तान के साथ संबंधों के चलते तनाव और हिंसा के दौर में जीते रहे हैं। दूसरों की अपेक्षा आप सबसे बेहतर तरीके से युद्ध, आतंकवाद, संघर्ष और विस्थापन के दुखद परिणामों से वाकिफ़ हैं। यही वक्त है कि हम इस क्षेत्र में शांति की स्थापना और लोगों के दिलो-दिमाग में ऐतिहासिक मेल-मिलाप की स्थितियों के निर्माण के लिये सच्चे मन से काम करें,' प्रधानमंत्री ने कहा।

उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बिना किसी कड़वी यादों के और आशा एवं ऊर्जा से भरपूर युवा लोग ही हैं जो इस बदलाव की अगुवाई कर सकते हैं'।

विशेष दीक्षांत समारोह में अपने उद्बोधन में डॉ. सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के समुचित पुनर्वास और समान अधिकारों के प्रति बड़ी गंभीरता से प्रतिबद्ध है।

'मुझे पता है कि इन वर्षों में आप लोगों ने बड़ी उदारता से हज़ारों आप्रवासियों, शरणार्थियों और विस्थापित लोगों का स्वागत किया है, उन्हें अपनाया है। इनमें तमाम कश्मीरी पंडितों के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से आए शरणार्थी भी शामिल हैं। मैं इन सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इनके समुचित पुनर्वास और समानाधिकार सुनिश्चित करने के प्रति कृतसंकल्प है। ❑

# करगिल और द्रास बनेंगे पर्यटक स्थल

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछली जंग के गवाह रहे करगिल और द्रास अब पर्यटन स्थल बनेंगे। इस परियोजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस वर्ष के पहले चार महीने में 70 करोड़ के जिन 27 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है उनमें जम्मू-कश्मीर में ही बंगश घाटी और लद्दाख के करगिल क्षेत्र में पनिखर भी है।

महीनों में केंद्र ने 27 नयी परियोजना को 70 करोड़ की वित्तीय मदद मंजूर कर चुकी थी। इन परियोजनाओं में सांची (मध्य प्रदेश), चेतीनाथ और श्रीरंगम (तमिलनाडु) को धरोहर गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करना भी शामिल है। मध्य प्रदेश में सांची के साथ-साथ सुल्कानपुर, शिवपुरी और थमिया भी महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थल बनेंगे। मंत्रालय ने डूंगरगढ़ और कोडार (छत्तीसगढ़), पथीरमनल बायो पार्क (केरल) और बंगश घाटी (जम्मू-कश्मीर) में इको-टूरिज्म परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिये भी मदद दी गई है। चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय ने जिन पर्यटक सर्किटों को वित्तीय मदद दी है उनमें कवरधा, रायपुर, नगरमार और जगदलपुर (चित्रकूट) का 46.76 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट भी है। दूसरा सर्किट बरसूर, दांतेवाड़ा, तीर्थगढ़ और कोडार (छत्तीसगढ़) है।

गौरतलब है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,160 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इनके लिये 2,011.68 करोड़ की वित्तीय मदद दी गई थी। वर्ष 2006 में विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.53 प्रतिशत था। इस हिस्से को बढ़ाने के लिये भी मंत्रालय ने ये कदम उठाए हैं। ❑

# कश्मीरी बच्चे नये मार्ग पर अग्रसर

*ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत कश्मीरी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिये राज्य के बाहर भेजा गया है। इसने उनका जीवन ही बदल दिया है, यह कहना है* कविता सूरी *का*

पंजाब के मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से दूर, कुछ कश्मीरी बच्चे कश्मीर घाटी के आतंकवाद ग्रसित दूरदराज़ के पहाड़ी इलाकों में बड़ी बेचैनी से अपनी मैट्रिक की परीक्षा के नतीज़ों का इंतजार कर रहे थे। जो लोग शहरों और उपनगरों में रह रहे थे, उनके पास अपने परिणामों का पता लगाने के लिये इंटरनेट की सुविधा थी, परंतु जो बच्चे दूरदराज़ के इलाकों में थे, उनके पास यह सुविधा नहीं थी।

यह उनका दुर्भाग्य ही था कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में बीएसएनएल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। पंजाब के व्यास स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों तक उनके नतीज़ों की सूचना देने का और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वे वहां पर गर्मी की छुट्टियां बिताने गए हुए थे। अपने स्कूल से अपनी किस्मत के बारे में फ़ैसला सुनाने वाली फोन की घंटी सुनने के लिये वे ऐसे बेताब थे जैसे उनके पेट में तितलियां फड़फड़ा रही हों।

और जब फोन आया, तो उन बच्चों के लिये एक नया सवेरा, नयी आशा और जीवन के लिये एक नयी उमंग लेकर आया। कश्मीरी बच्चों ने उत्तर भारत के सभी लोगों को हैरत में डाल दिया था। वे न केवल अच्छे नंबरों से पास हुए थे, बल्कि उनमें से एक ने तो मैट्रिक की परीक्षा में 95.4 प्रतिशत अंक लेकर 1,000 छात्रों वाले इस स्कूल में टॉप किया था, जिसमें समूचे उत्तर भारत से बच्चे पढ़ने आते थे।

अस्तिगूं (बांदीपुर) के इशफ़ाक ज़हूर के जीवन का यह नया प्रभात था, जिसने उसके उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक नयी आशा जगाई थी। एक ऐसे शर्मीले बच्चे के लिये जिसने कश्मीर के हिंसाग्रस्त माहौल में अपनी आंखें खोली थी और खून-ख़राबे के अलावा कुछ नहीं देखा था। यह उसके अब तक के छोटे से ज़िंदगी के सफ़र में सबसे सुंदर लम्हा था। उसने अपने कारनामे से कश्मीरियों का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया था।

इशफ़ाक के पिता ज़हूर अहमद जम्मू-कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। तीन वर्ष पहले उन्हें सेना के 'ऑपरेशन सद्भावना' कार्यक्रम के बारे में पता चला। 1983 में शुरू किया गया यह एक ऐसा नागरिक (असैन्य) कार्यक्रम था जिसके तहत कुछ कश्मीरी बच्चों को पढ़ने के लिये जम्मू-कश्मीर के बाहर सेना के स्कूलों में भेजा जाता है। जानकारी मिलने पर ज़हूर अहमद ने बिना कोई मौका गंवाए अपने सबसे छोटे बेटे इशफ़ाक को इस अवसर का फ़ायदा उठाने को कहा; और उसने ऐसा ही किया।

सेना ने समूची कश्मीर घाटी के बच्चों के लिये एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। सभी लोग तो परीक्षा पास नहीं कर पाए। सोपोर, बारामूला के इशफ़ाक ज़हूर और आमिर नज़ीर खां उन सौभाग्यशाली बच्चों में थे, जो परीक्षा पास कर सके थे। जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित कुल 100 बच्चों को 2003 में इस संस्था में प्रवेश दिया गया।

कश्मीरी बच्चों के लिये यह नयी शुरुआत थी। एक जैसी दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों से जन्मी उनकी एक जैसी तक़लीफों ने उनके बीच एक अपनापन-सा भर दिया। उनमें से अधिकतर बच्चों ने आतंकवाद का कुफ़्र झेला था। किसी के बाप को गोली मार दी गई थी, तो किसी की मां को। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके मां-बाप दोनों को दहशतगर्दों ने मार डाला था। वे लोग राज्य के विभिन्न इलाकों में दयनीय और दहशत के वातावरण में जी रहे थे।

इसके साथ ही, आतंकवादियों ने शिक्षा के ढांचे को ही तहस-नहस कर दिया था। ऐसा इसलिये किया गया कि शिक्षित और पढ़े-लिखे उदारवादी को आसानी से ज़ेहादी नहीं बनाया जा सकता था। यह भी हो सकता था कि वह उनसे उनके ऐसा करने के हक़ के बारे में सवाल उठाए। कश्मीर में वैसे तो बहुतेरे स्कूल हैं पर उनमें बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। इन सब कारणों से शिक्षा सेना की वरीयता सूची में सबसे ऊपर थी, क्योंकि एक बार आतंकवाद पर काबू पा लिया जाए तो बच्चों के मन में विश्वास भरने और उनके दिलोदिमाग से ज़ेहादी संगठनों की मोह-माया निकाल फेंकने के लिये अच्छी शिक्षा ही काम आ सकती थी। अन्य बच्चों की तक़लीफों से अनजान इन बच्चों का चयन सेना ने मरहमी स्पर्श देने के इरादे से किया था। इन्हें व्यास के आर्मी पब्लिक स्कूल में

# भारतीय पर्यटन के नये आयाम

❍ सुभाष सेतिया

हमारे देश में पर्यटन या सैर-सपाटे की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना संस्कृति या समाज का इतिहास। धार्मिक उद्देश्य से की जाने वाली तीर्थयात्राएं, हज़, उर्स आदि के लिये आना-जाना भी एक प्रकार का पर्यटन ही है। लेकिन आधुनिक युग में पर्यटन का दायरा लगातार बढ़ता रहा है और आज यह मन बहलाव और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के परंपरागत स्वरूप से बहुत आगे निकलकर एक विशाल व्यवसाय और उद्योग का रूप ले चुका है जिसमें लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रोज़गार मिलता है। अब सड़कें, हवाई अड्डे, सुविधाजनक रेलगाड़ियां, आरामदेह होटल, गेस्ट हाऊस, बड़े-बड़े मॉल जैसी सुविधाएं पर्यटन का अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। यहीं नहीं, यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग और विदेशी मुद्रा के अर्जन का प्रमुख साधन बन चुका है।

पिछले लगभग तीन दशकों से पर्यटन के आर्थिक और विकासमूलक महत्व और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने में योगदान को पहचानते हुए सरकार इसके विकास और उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। पंचवर्षीय योजनाओं और केंद्र तथा राज्यों के वार्षिक बजट प्रावधानों में पर्यटन के विकास पर खास ध्यान दिया जाता है। इन प्रयासों में पर्यटकों के रहने-ठहरने, घूमने-फिरने और खाने-पीने की सुविधाएं बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यटन केंद्रों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली इमारतों, दुर्गों, स्मारकों, नदियों, समुद्रतटों आदि की सुंदरता व भव्यता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इनके फलस्वरूप भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों और देश के भीतर घूमने-फिरने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी हालांकि इसके आकार और संसाधनों के हिसाब से अब भी काफी कम है लेकिन यह 2004 में बढ़कर 0.44 प्रतिशत हो गई जबकि 2001 में यह 0.37 प्रतिशत थी। देश के भीतर पर्यटन करने वालों की संख्या करीब 55 करोड़ थी। 2004 में पर्यटन उद्योग से करीब ढाई करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग दो करोड़ 80 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार मिला हुआ था।

**पर्यटन दिवस, 27 सितंबर 2007 पर विशेष**

लगभग एक दशक पहले तक हमारे देश में पर्यटन मुख्यतया स्मारकों, उद्यानों, पर्वतीय स्थलों, तीर्थ स्थानों, प्राचीन मंदिरों, वन्य और प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों तक सीमित था। किंतु अब भारतीय पर्यटन में कई नये पहलू जुड़ गए हैं जिससे हमारे पर्यटन के स्वरूप में विविधता और विस्तार आ गया है। इन नये आयामों से जहां भारत की छवि में निखार आया है वहीं देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिये नये-नये व्यवसाय खुल जाने से और अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-परोक्ष रोज़गार मिल रहा है और देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। भारतीय पर्यटन के स्वरूप में तेज़ी से आ रहे इस बदलाव का एक मुख्य पहलू यह है कि पर्यटन व्यवसाय में निजी क्षेत्र की भूमिका में काफी वृद्धि हो गई है और प्राप्त संकेतों के अनुसार निजी क्षेत्र इस दिशा में और अधिक बढ़-चढ़ कर सक्रिय होगा।

**स्वास्थ्य पर्यटन**

यों तो पर्यटन का उद्देश्य प्रारंभ से ही मानसिक तनाव और रोज़मर्रा के जीवन की बोरियत से छुटकारा पाना रहा है लेकिन बहुत से लोग शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये भी विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं। भारत में पर्यटन का यह स्वरूप बड़ी तेज़ी से फल-फूल रहा है। हमारे यहां परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों और आध्यात्मिक क्रियाओं की लंबी परंपरा रही है जिनका उपयोग अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हो रहा है। एलोपैथी में कई असाध्य रोगों के इलाज के लिये भी आसपास के देशों और अन्य विकासशील देशों के लोग भारत आने लगे हैं। परंतु पर्यटकों की नयी पसंद हैं आयुर्वेद, योग, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी उपचार प्रणालियां। इनमें मालिश, जड़ी-बूटियों से विभिन्न विकारों का इलाज और मानसिक तनाव कम करने के लिये यौगिक क्रियाएं व ध्यान जैसी क्रियाएं शामिल हैं। ये सुविधाएं कई बड़े अस्पतालों में जुटाई जा रही हैं और साथ ही इन पद्धतियों के लिये अलग से केंद्र स्थापित हो रहे हैं जहां प्राकृतिक और शुद्ध वातावरण में रहकर लोग व्यायाम, योग तथा देसी औषधियों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कई केंद्रों या आश्रमों में संगीत और रागों की सहायता से भी उपचार किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2012 तक भारत में स्वास्थ्य पर्यटन का कारोबार 2 अरब

डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में केरल अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां पर राज्य के पर्यटन विकास निगम और निजी संगठनों की ओर से कई केंद्र चलाए जा रहे हैं जिनमें वज़न घटाने, चर्बी कम करने, स्पांडिलाइटिस, पथरी, जोड़ों का दर्द जैसे सामान्य और आयुजनित विकारों का इलाज किया जाता है। कर्नाटक में भी स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की लोकप्रियता का कारण यह है कि यहां चिकित्सा कम महंगी है और इनमें प्रवेश के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के केंद्र प्राकृतिक दृष्टि से रम्य स्थानों पर ही खोले जाते हैं जिससे पर्यटक इलाज के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठा सकते हैं। सेहत और सैर दोनों एक साथ हो जाएं तो पर्यटकों को और क्या चाहिए!

**ग्रामीण पर्यटन**

भारत के संदर्भ में ग्रामीण पर्यटन अत्यंत अनूठा और अभिन्न प्रयोग है। यह एकदम नयी अवधारणा है जिसका ध्येय देश के गांवों में संस्कृति, कला, कौशल और प्रकृति के विपुल भंडार को पर्यटन के लिये खोजना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें देशभर के 32 ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां क्षेत्र विशेष के विशिष्ट तत्वों के विकास पर जोर दिया जाएगा। लगभग पौने दो करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत गांवों में सदियों पुराने हस्तशिल्प, लोक कलाओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। इस परियोजना का एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि पर्यटन के साथ-साथ इन ग्रामीण अंचलों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और देहाती युवकों को रोज़गार मिलेगा। इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन पर विराम लगाने में मदद मिलेगी। हरियाणा पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन की पहल को आगे बढ़ाते हुए क़रीब एक दर्जन फार्मों का चयन करके पर्यटकों के लिये आवश्यक सुविधाएं जुटाकर बाकी केंद्रों के लिये एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया है। इन स्थानों पर प्राकृतिक ढंग के आवास, प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक उपचार की सुविधाओं के अलावा प्राकृतिक कृषि प्रणाली की व्यवस्था के साथ-साथ परिसर में बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

ग्रामीण पर्यटन हालांकि एकदम नयी अवधारणा है लेकिन भारत में इसके फलने-फूलने के अच्छे आसार हैं क्योंकि यहां देहात में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले तत्व बहुतायत में मौजूद हैं। आवश्यकता उनके सही संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव की है। इसमें स्थानीय प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किंतु एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिये शहरी पर्यटन विकास वाला मॉडल न अपनाया जाए और प्रदूषण आदि से ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने की सावधानी बरती जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि शहरी आपाधापी और कोलाहल से उकताए लोगों के लिये ग्रामीण पर्यटन काफी आकर्षक सिद्ध हो सकता है।

**पर्यावरण पर्यटन**

पर्यावरण पर्यटन या इको टूरिज्म भी अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है जो पश्चिमी राष्ट्रों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में लोकप्रियता हासिल कर चुकी है पर भारत में अभी इस दिशा में बहुत कम प्रयास हुए हैं। इसमें समुद्रों के स्थिरजल यानी बैक वाटर के क्षेत्र, वन्य प्राणी अभयारण्य, पर्वतों की तलहटियों, राष्ट्रीय पार्क, पक्षी अभयारण्य आदि शामिल हैं। पर्यावरण पर्यटन के विकास के मामले में भी केरल अन्य राज्यों से आगे है। केरल में स्थिरजल या बैकवाटर के अनेक स्थल हैं जहां देसी-विदेशी सैलानी नौकायन करके मन-बहलाव करते हैं और समुद्री जल तथा आसपास की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाते हैं। राज्य के कोल्लम, अल्लापुजा, कुमारकोम जैसे स्थिरजल स्थल अपने मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा राज्य में रबड़ और मसालों के बाग़ान भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। राज्य में वन्य प्राणियों व पक्षियों के अनेक अभयारण्य भी हैं जहां पर्यटक वन्य प्राणियों और क्षेत्र की क़ुदरत का नज़ारा करते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र भी पर्यावरण पर्यटन का आदर्श केंद्र है। यह प्राकृतिक छटा, वन्य जंतुओं और नदियों के सौंदर्य का संगम है। सुंदरवन में गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम भी दर्शनीय है। विश्वभर से पर्यटक आकर विशालतम बाघ अभयारण्य, विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्र और विविध प्रकार के जीव-जंतुओं के दर्शन कर सकते हैं। देश के सभी भागों में प्राकृतिक छटा के दर्शन कराने वाले असंख्य स्थल हैं जो पर्यावरण पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले सैलानियों का स्वागत करने को आतुर हैं। इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने से देश में पर्यटन को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा।

**प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय**

पर्यटन की आधुनिक अवधारणाओं में एक नया नाम जुड़ा है हेरिटेज होटलों का। इसे आप प्राचीनता और आधुनिकता का संगम कह सकते हैं। हमारे देश में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक महल, दुर्ग, भवन आदि हैं जो पुराने राजघरानों के स्वामित्व में हैं। इन धरोहर इमारतों को आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होटलों और गेस्ट हाउसों में परिवर्तित करने का नया सिलसिला चल निकला है जो पर्यटन की दृष्टि से काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अतीत की भव्य, मनोरम और विशालाकार इमारतें जो कभी राजा-महाराजाओं और जमींदारों की संपन्नता और अभिमान की प्रतीक थीं, आज पर्यटकों की आरामगाह बनती जा रही हैं। मध्यकालीन संस्कृति के अनुरूप बनी ये इमारतें आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होकर संस्कृति और उपभोग का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत कर रही हैं। इस दृष्टि से राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां के अनेक महल और दुर्ग अपना स्वरूप खोकर हेरीटेज होटल का नाम अपना चुके हैं। इनमें जयपुर का रामबाग पैलेस होटल, देवीगढ़ रिसोर्ट, उदयपुर का जलमहल होटल

उल्लेखनीय है। हिमाचल प्रदेश में शिमला का सीसिल होटल, नालागढ़ का फोर्ट नालागढ़ रिसोर्ट, कांगड़ा घाटी में परागपुर का दि जज कोर्ट, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर नीमतारा फोर्ट पैलेस रिसोर्ट, कर्नाटक में मैसूर का ललिता महल पैलेस होटल, केरल में तिरुअनंतपुरम का त्रावणकोर हेरिटेज रिसोर्ट आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

हेरिटेज ट्रेन की परिकल्पना भी परंपरा और आधुनिक के संगम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है। देश में दो अत्यंत आरामदेह और भव्य रेलगाड़ियां चल रही हैं जिनमें यात्री क्षेत्र विशेष का भ्रमण करते हुए उस क्षेत्र के जनजीवन और संस्कृति का रेलगाड़ी में भी आनंद उठाते चलते हैं। 21 डिब्बों वाली 'डक्कन ओडिसी' दक्षिणी पठार की सैर कराती है तो दूसरी रेलगाड़ी 'पैलेस आन ह्विल्स' राजस्थान के राजपुतानी शाही संस्कृति का अवलोकन करने का अवसर देती है। इस भव्य रेलगाड़ी की गिनती विश्व की 10 शीर्ष लग्ज़री ट्रेनों में की जाती है।

**सम्मेलन पर्यटन**

भारतीय पर्यटन का यह नवीनतम आयाम धीरे-धीरे अपने पांव जमा रहा है। वैश्वीकरण के इस युग में सारी दुनिया एक गांव में तब्दील हो रही है। विश्व बाज़ार में भारत के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण अनेक अंतरराष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय व्यापारिक एवं राजनीतिक संगठन भारत में अपनी बैठकें, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करते हैं। हमारे देश के छोटे-बड़े सभी होटल अपने यहां सम्मेलन कक्षों का निर्माण कर रहे हैं, जहां बैठकें आयोजित करने, अतिथियों और प्रतिभागियों के रहने-ठहरने, खान-पान के साथ-साथ सम्मेलन के लिये बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे वीडियो-कांफ्रेंसिंग, क्लब, बार आदि की व्यवस्था की जाती है। कुछ होटलों की एक पूरी फ्लोर सम्मेलनों के लिये निर्धारित रहती है। भारत के होटल दक्षिण एशिया से संबंधित विचार-विमर्श और सम्मेलनों के लिये आदर्श केंद्र माने जाते हैं।

आधुनिक सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होटल के कंन्वेंशन हॉल बनाने के अलावा अलग से कंवेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जो केवल सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिये किराए पर दिए जाते हैं। सरकार ने दिल्ली, मुंबई, गोवा और जयपुर में 50,000 सीटों वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। उधर निजी क्षेत्र के प्रयासों से कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि और आगरा में कंन्वेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरकारी तथा गैरसरकारी पर्यटन प्रबंधक मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि सम्मेलन पर्यटन में भारत का हिस्सा अधिकाधिक बढ़ाया जाए।उम्मीद है कि पर्यटन के इन नये आयामों के विकास के फलस्वरूप भारत में पर्यटन के स्वरूप में आ रहे बदलाव से विश्व पर्यटन में भारत के अनुपात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और इस उद्योग में और अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। ❑

(लेखक आकाशवाणी में समाचार निदेशक रह चुके हैं)


IAS/PCS JRF/NET

संवाद

... The Achievers

हिन्दी साहित्य

कुमार "अजेय"

(B.P.S.C. Topper)

सफलता का प्रतिमान : UPSC : अभिषेक, अशोक कुमार, सुनील अग्रवाल, संजय कुमार .....

UPPCS : श्रवण कुमार यादव, राकेश कुमार, मनोज सिंह ...

BPSC : राजेश कुमार, बालमुकुन्द यादव, (B.A.S.)

रवीश कुमार (Dy. Sp.)

कामेश्वर ठाकुर (DAO)

R.P.S.C : सुरेश कु. मीणा

U.P.S.C. में औसत प्राप्त अंक
182 + 171 = 353
173 + 169 = 342
167 + 165 = 332

विशिष्ट पहलू :

अन्य विषय : सा॰ अध्ययन, निबन्ध, साक्षात्कार, सा॰ हिन्दी

1. भाषा खंड, व्याख्या एवं टिप्पणी पर विशेष बल
2. उत्तर लेखन की वैज्ञानिक प्रविधि ( चार्ट, सारणी, आदि ) : 350+अंक
3. गुणवत्ता विकास (Quality Improvement)/लेखन सुधार हेतु विशेष कक्षा
4. विगत एवं संभावित 200 प्रश्नों के उत्तर प्रारुप पर विशेष कक्षायें
5. राज्य लोक सेवा आयोगों के पाठ्यक्रम का भी अध्यापन ( निःशुल्क )
6. परिष्कृत अध्ययन सामग्री (I.A.S./PCS/JRF/NET)+मॉडल प्रश्नोत्तर प्रारुप

कक्षा समय/कार्यक्रम

व्याख्या एवं भाषा खंड की विशेष कक्षाएँ

टेस्ट सिरीज़ 272 → 353 अंक प्रत्येक शनिवार

क्रैश कोर्स IAS/PCS JRF/NET

निबंध : विशेष सत्र + मॉडल प्रारूप ⇒ (110 + अंक) प्रत्येक रविवार

पत्राचार पाठ्यक्रम : • हिन्दी साहित्य : 3000/- • सा॰ अध्ययन प्रा.+मुख्य : 4000/- • निबंध : 1000/- • सा॰ हिन्दी : 1000/-

नोट : आवेदन पत्र के साथ ड्राफ्ट AJAY KUMAR के नाम से भेजें।

सफलता हेतु अपेक्षित अंक की गारंटी एवं नैतिक प्रतिबद्धता

नया बैच प्रारंभ : प्रारंभिक परिणाम के बाद

(मात्र 30 नामांकन एक बैच में)

B-10, तृतीय तल, ( Above महाराष्ट्र बैंक ) मुखर्जी नगर, दिल्ली-9

# 9213162103, 9891360366

सफलता का मानक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही संभव है।

YH-9/07/4

# मज़बूती की डगर पर रुपया

○ रहीस सिंह

आज की दुनिया पूंजी और बाज़ार केंद्रित हो गई है। शायद यही कारण है कि अधिकतर वही वैश्विक या राष्ट्रीय घटनाएं ही प्राय: वरीयता सूची में स्थान पाती हैं जिनका संबंध पूंजी और बाज़ार से होता है, फिर वह चाहे किसी अरबपति के वैश्विक सूची (जैसे फोर्ब्स) में शामिल होने की घटना हो या मुद्रा के उतार-चढ़ाव की अथवा सेंसेक्स के गिरने व उठने की। चूंकि इन सब घटनाओं का आधार मुद्रा और मूल्य होता है अत: ज़रूरी है कि उससे संबंधित समस्त पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।

चीन के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और उसके बेहतर भविष्य को लेकर तरह-तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख वोल्फगैंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित 2006 वैलेस वुर्थ मेमोरियल लेक्चर के दौरान आने वाले भविष्य को चीन और भारत के खाते में दर्ज़ किया गया। जेम्स वोल्फगैंग ने भारत और चीन के संबंध में एक आकलन प्रस्तुत करते हुए कहा, भारत और चीन आने वाले समय में दुनिया के आर्थिक विकास का इंजन होगा और समृद्ध देश इस हक़ीक़त से जितनी जल्दी वाकिफ़ हो जाएं उनके लिये उतना ही बेहतर होगा। वोल्फगैंग के आकलन के मुताबिक अगले 25 वर्षों में भारत और चीन का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद सात अमीर देशों के समूह के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद से काफी अधिक हो जाएगा और 2030-40 तक चीन अमरीका को पीछे छोड़कर महाशक्ति बन जाएगा। 2050 तक चीन का सकल घरेलू उत्पाद आज के दो खरब अमरीकी डॉलर के मुक़ाबले 48.6 खरब डॉलर हो जाएगा और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 27 खरब अमरीकी डॉलर हो जाएगा। अगर इस प्रकार की भविष्यवाणियां अंशत: भी सही हो जाती हैं तो भारतीय मुद्रा का फलना-फूलना स्वाभाविक है।

किसी भी देश की मुद्रा के मज़बूत होने का तात्पर्य है उसकी अर्थव्यवस्था का सशक्त और विस्तृत होना है। जिसके चलते मुद्रा की साख में वृद्धि होती है। इस नाते संबंधित देश के लिये यह गौरव की बात होनी चाहिए। आज पूरा अंतरराष्ट्रीय माहौल और विदेशी मुद्रा बाज़ार साफ़ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय भारतीय रुपये का है अत: अब वह अमरीकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा से दबने वाला नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे भारतीय मुद्रा (रुपया) के मूल्य में वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे भारतीय निर्यातकों के हाथ-पैर फूलते जा रहे हैं। न केवल निर्यातक बल्कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ भी इससे काफी चिंतित नज़र आ रहे हैं। उनकी चिंता का कारण गत जुलाई के आरंभ में जारी प्रारंभिक सरकारी आंकड़ों में दिखाई भी दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार, मई 2007 में वाणिज्यिक निर्यात 11.86 अरब डॉलर के बराबर रहा जो मई 2006 के 10.04 अरब डॉलर से 18.07 प्रतिशत अधिक है। लेकिन मई 2007 में आयात पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 26.36 प्रतिशत बढ़कर 18.8 अरब डॉलर के बराबर हो गया। इस प्रकार मई माह का व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी माह के 4.26 अरब डॉलर की तुलना में 6.22 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पिछले पचास वर्षों को देखा जाए तो डॉलर के मुक़ाबले रुपया लगातार धराशायी होता गया। 2002 तक पहुंचते-पहुंचते रुपया डॉलर के मुक़ाबले 49 के स्तर से आगे निकल गया, अब कुछ समय से उसमें मज़बूती आनी शुरू हुई है तो इसे पुन: नीचे गिरने के उपाय तलाशने की बजाय इसे और मज़बूत करने की युक्ति खोजनी चाहिए। अमरीकी डॉलर के मुक़ाबले रुपये के इस परिवर्तन को तालिका-1 में दिखाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि रुपये का डॉलर के मुक़ाबले गिरना उस समय प्रारंभ हुआ जब भारत ने भूमंडलीकरण को अपनाने के लिये कथित उदारवाद का वरण किया। ऐसे में रुपये की अन्य विदेशी मुद्राओं (विशेषकर अमरीकी

तालिका-1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय रुपया (प्रति अमरीकी डॉलर) | 7.58 | 12.37 | 17.50 | 40.26 | 45.00 | 49.30 | 45.6 | 43.45 | 44.04 | 40.50 | 40.71 |
| वर्ष | 1970 | 1985 | 1990 | 1998 | 2000 | जून 02 | जन.04 | अग.05 | जन.06 | मई 07 | 22जून 07 |

डॉलर) के सापेक्ष जो गिरावट आई थी वह मौलिक नहीं बल्कि निर्देशात्मक थी। भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने जैसी आवश्यकताओं ने डॉलर के मुक़ाबले रुपये का अवमूल्यन करने को विवश कर दिया। अवमूल्यन के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि इसका घरेलू अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभाव का सही आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनेक तर्कों पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि अवमूल्यन राष्ट्रीय आय पर इस बात पर निर्भर करता है कि अवमूल्यन व्यापार शर्तों को बिगाड़ता है या सुधारता है। यदि अवमूल्यन से व्यापार शर्तें बिगड़ती हैं तो राष्ट्रीय आय कम होगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिये पर्याप्त शर्त यह है कि अवमूल्यन से व्यापार की शर्तें सुधरें या पहले जैसी बनी रहें। अवमूल्यन का प्रत्यक्ष लाभ देश के निर्यातों की वास्तविक मात्रा में वृद्धि तथा आयातों की वास्तविक मात्रा में कमी है।

वर्तमान में आ रही रुपये की मज़बूती के संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ? सामान्यतौर पर तालिका एक को देखने से पता चलता है रुपया 2002 के बाद से अपनी स्थिति सुधारने में प्रयासरत है। एक कारण तो भारत के भुगतान शेष का फायदे में पहुंचना है। दूसरा कारण भारत के उन प्रयासों का परिणाम है जिनके चलते भारतवासियों को तरजीह देना शुरू किया गया जिससे अनिवासी भारतीयों की जमाएं भारत की ओर उन्मुख हुईं। तीसरा कारण विदेशी निवेश (एफडीआई तथा एफआईआई) आगत में वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि जिस मात्रा में विदेशी निवेश के तहत डॉलर की भारत में आगत अधिक होगी उसी अनुपात में भारतीय मुद्रा बाज़ार में भारतीय रुपये की क़ीमत में वृद्धि भी आएगी (वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में भारत की ओर पूंजी प्रवाह में वृद्धि और उनकी प्रकृति को देखा जा सकता है)। चूंकि इस समय भारत 200 अरब डॉलर की सीमा पार कर चुका है इसलिये बढ़ती डॉलर आपूर्ति के कारण डॉलर के मुक़ाबले रुपये की क़ीमत में वृद्धि के लिये कुछ हद तक भारतीय रिज़र्व बैंक को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। रिज़र्व बैंक अब तक बाज़ार से अतिरिक्त डॉलर खरीदकर डॉलर को 45 रुपये के इर्दगिर्द बनाए रखने का प्रयास करता था ताकि भारतीय निर्यातकों

**तालिका -2**

**पूंजी का प्रवाह**

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

| घटक | समयावधि | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | अप्रैल-जनवरी | 5,821 | 16,444 |
| विदेशी संस्थागत निवेश (निवल) | अप्रैल-मार्च | 9,926 | 8,304 |
| एडीआर/जीडीआर | अप्रैल-जनवरी | 2,141 | 3,506 |
| विदेशी सहायता (निवल) | अप्रैल-दिसंबर | 1,153 | 949 |
| विदेशी वाणिज्यक उधार (निवल) (मध्यम और दीर्घकालिक) | अप्रैल-दिसंबर | 4,420 | 9,275 |
| सूक्ष्मकालिक विदेशी उधार | अप्रैल-दिसंबर | 1,731 | 1,329 |
| एनआरआई जमाएं (निवल) | अप्रैल-जनवरी | 1,681 | 3,686 |
| कुल | | 26,873 | 43,493 |

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक एवं विश्व बैंक

**तालिका-3**

**भारत का वाणिज्य व्यापार**

(बिलियन अमरीकी डॉलर में)

| वस्तु | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | अप्रैल - | फरवरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| निर्यात | 83.5 | 103.1 | 91.5 | 109.2 |
| आयात | 111.5 | 149.2 | 129.1 | 165.0 |
| तेल | 29.8 | 44.0 | 39.8 | 52.7 |
| गैर तेल | 81.7 | 105.2 | 89.3 | 112.3 |
| व्यापार संतुलन | 28.0 | 46.1 | 37.6 | 55.8 |
| | अंतराल (प्रतिशत में) | | | |
| निर्यात | 30.8 | 23.4 | 26.3 | 19.3 |
| आयात | 42.7 | 33.8 | 32.7 | 27.8 |
| तेल | 45.1 | 47.3 | 49.7 | 32.6 |
| गैर तेल | 41.8 | 28.8 | 26.4 | 25.7 |

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

नुकसान न हो, लेकिन पिछले एक-डेढ़ ह से उसने बाज़ार से डॉलर खरीदना बंद दिया है। इसका प्रभाव रुपये की क़ीमत वृद्धि के रूप में सामने आया। उल्लेखनीय कि गत 13 अप्रैल से 18 मई तक रिज़र्व क ने बाज़ार से केवल 6,400 लाख डॉलर ाए और रुपया छह प्रतिशत मज़बूत हो गया

डॉलर मिलेंगे उससे वे मुद्रा बाज़ार से अपेक्षाकृत कम डॉलर ही प्राप्त सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि एक डॉलर का मूल्य 45 रुपये है तो निर्यात से 100,000 डॉलर कमाने वाले निर्यातक को इसके बदले बाज़ार से 45 लाख रुपये प्राप्त हो जाएंगे लेकिन यदि रुपये का मूल्य 40 हो जाता है

क्षमता रखने वाले उद्योग अधिक प्रतियोगी और लाभप्रद होते हैं, तो उस देश की मुद्रा मज़बूत होती है। अमरीकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड आदि की मज़बूत स्थिति उन देशों के तत्कालीन औद्योगिक क्षमता के कारण भी रही। ऐसे में विशेषज्ञ यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मज़बूत होते रुपये का

**विनिमय दर और उसका परिचालन**

विदेशी विनिमय बाज़ार में दो प्रकार की विनिमय दरें होती हैं- तत्काल विनिमय दर और अग्रिम विनिमय दर जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

**तत्काल विनिमय दर (स्पॉट एक्सचेंज रेट) :** यह वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से वर्तमान अवधि में विनमय किया जाता है। स्पॉट शब्द से अभिप्राय करेंसियों की तुरंत सुपुर्दगी अथवा विनिमय है। व्यवहार में सौदा दो दिनों में हो जाता है। लेकिन अग्रिम विनिमय बाज़ार के परिचालन में निर्यातकों और आयातकर्ताओं को विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों से उत्पन्न जोखिमों से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

**अग्रिम विनिमय दर (फारवर्ड एक्सचेंज रेट):** यह वह दर है जिस पर भविष्य में विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाती है। अग्रिम सौदा दो समूहों के बीच होता है, जिसके अनुसार भविष्य में एक निश्चित तिथि तक विदेशी मुद्रा की एक निश्चित राशि को एक पार्टी दूसरी पार्टी को सुपुर्द करती है। यह भुगतान राशि घरेलू करेंसी के बदले अनुबंध में तय की गई क़ीमत पर दूसरी पार्टी द्वारा देय होती है।

**विनिमय का परिचालन (एक्सचेंज ऑपरेशन):** अग्रिम विनिमय दर अग्रिम विनिमय दर की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। जब अग्रिम विनिमय की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो अग्रिम दर का अधिमूल्य पर भाव बताया जाता है। इसके विपरीत,जब अग्रिम विनिमय की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो अग्रिम दर का बट्टे पर भाव बताया जाता है और जब अग्रिम दर की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है तो अग्रिम दर सम मूल्य पर कही जाती है।

अग्रिम विनिमय दर में व्यापारिक बैंक लेन-देन करते हैं। वे विदेशी विनिमय में अपने कोषों का समायोजन करने के लिये विनिमय परिचालन (स्वैप ऑपरेशन) करते हैं। स्वैप शब्द का अर्थ है तत्काल मुद्रा के साथ अग्रिम मुद्रा की एक ही समय में अदला-बदली करना। अग्रिम विनिमय बाज़ार के परिचालन निर्यातकों और आयातकर्ताओं को विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने में सहायक होते है।

बकि फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक ज़र्व बैंक ने बाज़ार से 14 अरब डॉलर ाए थे और रुपया केवल 2 प्रतिशत मज़बूत ा था। यहां पर रिज़र्व बैंक बड़े कठिन दौर गुजरता है अर्थात यदि यह बाज़ार से डॉलर रीदकर डॉलर को ऊपर उठाए रखने की शिश न करे तो भारतीय निर्यातकों को री नुक़सान उठाना पड़ सकता है और यदि बाज़ार से बड़े पैमाने पर डॉलर खरीदने लिये रुपया छोड़ता है तो बाज़ार में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा तरलता को बढ़ाती जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

कमज़ोर रुपया निर्यातकों के लिये क्तिवर्धक का कार्य करता है इसलिये रुपये मज़बूती से भारतीय निर्यातकों की सांस लनी स्वाभाविक है। दरअसल निर्यातकों कमाई डॉलर में होती है इसलिये रुपये महंगे हो जाने से निर्यात से उन्हें जो

तो निर्यातक इतने डॉलरों में सिर्फ़ 40 लाख रुपये ही प्राप्त कर सकेगा। यानी उन्हें बैठे बिठाए 5 लाख का नुक़सान हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव निर्यात उद्योगों पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि वे अपने उत्पादन को भी कम करें। अगर ऐसा हुआ तो रोज़गारों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शायद इसी कारण डॉलर के मुक़ाबले मज़बूत हो रहे रुपये से डरे निर्यातक यह भविष्यवाणी करने लगे हैं कि यदि यही हाल रहा तो अगले एक साल में उन्हें आठ अरब डॉलर का नुक़सान होगा और 80 लाख रोज़गार कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश के सॉफ्टवेयर के बढ़ते निर्यात और सॉफ्टवेयर उद्योग के बढ़ते लाभ इंगित कर रहे हैं कि यह उद्योग प्रतियोगी क्षमता रखता है और रुपये की मज़बूती के पीछे यही कारण है। जब किसी देश के निर्यात

असर हमारे निर्यात पर नहीं पड़ेगा। रुपये की मज़बूती से आयात पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यानी आयात सस्ते हो जाएंगे। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो भारतीय आयातकों को विदेशी आयातों के भुगतान के लिये बाज़ार से डॉलर खरीदने पड़ते हैं। रुपये के महंगे हो जाने से पहले की अपेक्षा कम रुपये देकर ही डॉलर प्राप्त किए जा सकेंगे (अर्थात 1 डॉलर का मूल्य 45 रुपये होने से 45 लाख डॉलर देकर ही 1 लाख डॉलर प्राप्त होंगे जबकि 1 डॉलर का मूल्य 40 हो जाने पर 40 लाख डॉलर देकर ही 1 लाख डॉलर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार आयातक को 5 लाख रुपये का लाभ हो जाएगा)। अगर तेल उत्पाद और तकनीकी उत्पादों तक सीमित रहें तो फिर इस सस्तेपन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक पड़ेगा लेकिन यदि आवश्यक

# SAROJ KUMAR'S IAS ERA

## IAS/PCS - 2007-08

## GEOGRAPHY & GENERAL STUDIES - (P.T.&Mains) WITH

## SAROJ KUMAR

IN हिन्दी / ENGLISH MEDIUM

| Special Classes | Duration |
|---|---|
| Geog. (Mains) | 2 Months |
| G.S. (Mains) | 2 Months |
| History (Mains) | 2 Months |
| Essay | 1 Month |
| Comp. Hindi & Eng. | 1 Month |

| TEST SERIES | DURATION |
|---|---|
| Geog. (Mains) | 1 Month |
| G.S. (Mains) | 1 Month |
| History (Mains) | 1 Month |

| FOUNDATION COURSE | DURATION |
|---|---|
| Geog. (P.T. & Mains) | 4-5 months |
| G.S. (P.T. & Mains) | 4-5 months |
| History (P.T. & Mains) | 4-5 months |

**POSTAL COURSE (HINDI & ENGLISH MEDIUM)**

*Geog. (P.T. & mains) ❖ G.S. (P.T. & Mains) ❖ Sociology (Mains)*

**P.C.S. SPECIAL**

*U.P., M.P., Bihar, Raj., Chhatis, Uttrakhand, West Bengal, H.P., Jhard.*

| P.C.S. Special Course | Duration |
|---|---|
| Rajesthan | 2 Months |

### HIGHEST MARKS

| G.S. Marks | | Geog. Marks | Interview Marks | Essay Marks | History Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| K.K. Nirala 360 | M.K. Sharma 358 | R. Kumari (Eng. Med.) 426 | A. Kumar 240 | A. Kumar 153 | S. Yadav 365 |
| P. Singh 338 | D. Rawat 323 | H.Meena (Hindi Med.) 362 | S. Aggarwal 226 | | |

**Free workshop with SAROJ KUMAR (Hindi & Eng. Medium)**

| | | |
|---|---|---|
| 29 OCT. 2007 | Geog. (P.T.) | 10.30 AM |
| 30 OCT. 2007 | Geog. (Mains) | 10.30 AM |
| 31 OCT. 2007 | G.S. (P.T.) | 10.30 AM |
| 1 NOV. 2007 | G.S. (Mains) | 10.30 AM |
| 2 NOV. 2007 | History | 10.30 AM |
| 3 NOV. 2007 | Essay | 10.30 AM |

***Batch Starts :-5th, 10th, 20th Sept., 5th, 20th Oct. & 5th Nov.***

Contact

DR. VEENA SHARMA

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light, Above P.N.B.

Shakti Nagar Branch, Delhi-110007 Ph.: 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305

सामग्री की आवक बढ़ती है तो भारतीय कृषि और आधारभूत उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आधारभूत उद्योग और कृषि क्षेत्र प्रभावित होने से रोज़गार तो घटेगा ही साथ ही विकास प्रभावित होगा। ऐसे में सरकार की कवायद बढ़ जाएगी। अर्थात सरकार को करों में आवश्यक कमी कर समायोजन करना होगा। रुपये की मज़बूती के पक्ष में यह एक सामान्य अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण भर है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। उदाहरण के तौर पर 1964 से रुपये के अवमूल्यन की कवायद प्रारंभ हुई और रुपया घटते-घटते 2002 में 49 रुपये पर पहुंच गया। यह कवायद निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटा पाटने के उद्देश्य से की गई थी लेकिन वास्तविकता तो यह है कि निर्यात बढ़ने की दर हमेशा ही आयातों के बढ़ने की दर से कम रही। पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति तालिका तीन में स्पष्ट की गई है ।

रुपये की साख लगातार बढ़ती है तो वैश्विक मुद्रा बाज़ार में रुपये के प्रति आकर्षण बढ़ेगा यानी लोग डॉलर की बजाय रुपया रखना अधिक पसंद करेंगे। इसे देखते हुए भारत सरकार आने वाले समय में रुपये पर आधारित अंतरराष्ट्रीय बांड जारी कर सकती है। भारत सरकार पर जो अंतरराष्ट्रीय उधारी या देनदारियां हैं, जिनका भुगतान उसे डॉलर में करना है अब वे पहले की अपेक्षा कम रुपये के भुगतान पर ही पूरी हो सकती हैं। पहले विदेशों से जो बाज़ारी ऋण लिया जाता था अथवा प्रशासनिक तौर पर ऋण प्राप्त होता था वह डॉलरों में देय होता था। रुपयों में ऋण जारी करके न केवल सरकार को सस्ती दर पर ऋण प्राप्त हो सकता है बल्कि भारतीय कंपनियां भी कम ब्याज दर पर विदेशी ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

इस प्रकार रुपये की मज़बूती बहुत-सी सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। लेकिन सकारात्मक स्थितियों के बावजूद यह देखना ज़रूरी है कि भारत में जिस विदेशी पूंजी आगत के कारण रुपया मज़बूत हो रहा है उसका चरित्र कैसा है। आगत पूंजी में गर्म मुद्रा की मात्रा अधिक रहती है जिसके उड़ने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इसके अतिरिक्त भारत के शेयर बाज़ार के यदि पिछले लगभग 18 महीनों के इतिहास को ही देखा जाए तो पता चलेगा कि वह अतिसंवदेनशील है। इतना संवेदनशील कि अक्सर आम निवेशक को चपत लगा देता है, यह अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने की पहचान नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय मुद्रा कितने दिनों तक मज़बूती की स्थिति में रहेगी, यह कहना कठिन हो जाता है। इसलिये भारत के लिये अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि वह संवेदनशीलता के दौर को यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करे। ❑

**(लेखक विदेश एवं आर्थिक मामलों के जानकार हैं)**

# रूपये की उड़ान रोकने के लिये सख़्त हुए ईसीबी नियम

वित्त मंत्रालय ने बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के लिये संशोधित दिशानिर्देश ज़ारी करने की घोषणा की। ऐसा रुपये की मज़बूती पर अंकुश लगाने के लिये किया गया है। नये दिशानिर्देशों के मुताबिक सरकार ने ईसीबी के जरिये दो करोड़ डॉलर से अधिक की उधारी जुटाने की अनुमति दी है, हालांकि इस राशि को विदेशों में ही ख़र्च करना होगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी एक बयान में कहा गया है कि दो करोड़ डॉलर से अधिक की उधारी जुटाने वाली कंपनी इस धन को यदि भारत में लगाना चाहती है तो इसके लिये उसे भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। यह दिशानिर्देश ऑटोमेटिक रूट और एप्रूवल रूट दोनों पर लागू होंगे।

उच्च विकास दर और निगमित कंपनियों के ज़ोरदार वित्तीय परिणामों के चलते भारत में विदेशों से पूंजी की आवक बढ़ी है। इसके चलते अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से जुड़े दबाव बढ़ गए हैं। निवेशकों ने रुपये की मज़बूती पर लगाम लगाने के लिये इस फैसले को काफी मददगार बताया है। एचडीएफसी के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा कि इस कदम से रुपये के मूल्य पर दीर्घकालिक असर होगा।

मंत्रालय द्वारा ज़ारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एप्रूवल रूट के तहत दो करोड़ डॉलर से कम उधारी हासिल करने के प्रस्ताव के लिये रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति हासिल करनी होगी। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि ऑटोमेटिक रूट के जरिये प्रति कंपनी प्रतिवर्ष 50 करोड़ डॉलर जुटाने की सीमा, योग्य उधारी प्राप्तकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारीदाता, औसत परिपक्वता अवधि, कास्ट सीलिंग, प्री पेमेंट और मौजूदा ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण सहित ईसीबी के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नये दिशानिर्देश उन उधारी प्राप्तकर्ताओं पर नहीं लागू होंगे जो पहले ही ईसीबी के लिये आवेदन कर चुके हैं। ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। चालू वित्तवर्ष के दौरान भारत में निधियों की आवक तेज़ी से बढ़ी है। जनवरी से जून 2007 के दौरान भारत के कुल विदेशी संस्थागत निवेश 10.16 अरब डॉलर हो गया जबकि बीते वित्तवर्ष के दौरान एफआइआई की कुल मात्रा 8 अरब डॉलर थी।

एफआईआई की ही तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़े भी काफी उत्साहजनक हैं। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान एफडीआई अंतर्प्रवाह 19.53 अरब डॉलर था। बीते वर्ष के मुक़ाबले इसमें 153 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है जबकि 27 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 225.3 अरब डॉलर हो गया है। ❑

YH-9/07/3

# खाद्य सब्सिडी विधेयक में क्या है

सच्चाई को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल गेहूं और चावल पर ही सब्सिडी देने को सहमति दी है। इसके जरिये चीनी पर भी सब्सिडी देने की संभावना प्रतीत होती है। जबकि कई राज्य इस प्रणाली से कई उन वस्तुओं को भी बेचने का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिन पर केंद्र सरकार सब्सिडी भी नहीं देती। केंद्र का खाद्य सब्सिडी विधेयक भारतीय खाद्य निगम के मूल्य से अलग है। यह अनाजों, गेहूं और चावल का भंडारण और परिवहन भी करता है। भारतीय खाद्य निगम राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खुले बाज़ार से मिल मालिकों को बेचने में सक्षम है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या तात्पर्य है ?**

इस समय किसी को भी खुले रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर नहीं रखा गया है। हालांकि इस आधार पर संपन्न वर्ग के लोगों को बाहर करने के कई प्रस्ताव लाए गए हैं। इन लोगों को सब्सिडी वाले खाद्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अभी तक ग़रीबों और अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक-दूसरे से अलग करने की केवल एक ही कोशिश हुई है। वह यह कि लाभार्थियों की दो श्रेणियां बनाई गई।

ग़रीबी रेखा से नीचे वाले लोग और वह लोग जो ग़रीबी रेखा से ऊपर हैं। जून 1997 से एक ही तरह के अनाज के लिये दो तरह के मूल्य रखे गए हैं। वह इस तरह से कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अनाज मोटे तौर पर ग़रीबी रेखा से ऊपर वाले वर्गों को दिए जाने वाले मूल्य से आधा है। हालांकि बाद में ग़रीबी रेखा से ऊपर जीवन निर्वहन करने वाले वर्ग के लोगों के लिये मूल्यों में दो बार बढ़ोतरी की गई, फिर भी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वहन करने वाले लोगों के लिये मूल्य उसी स्तर पर बने रहे। तथापि इस साल के बजट में वित्तमंत्री ने ऐसे उपायों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वहन करने वालों को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी पर

# उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था ज़ारी रहेगी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार उर्वरक के लिये अप्रत्यक्ष सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था बनाए रखेगी। भविष्य में इसकी समीक्षा की जा सकती है।

सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिये चालू वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर सब्सिडी के भुगतान के लिये धन उपलब्धता की समीक्षा के लिये बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक संसद के 10 अगस्त शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश की की जाने वाली चालू वर्ष की अनुपूरक अनुदान मांगों में उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिये 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। इसमें से 6,000 करोड़ रुपये उर्वरक बांड के रूप में होंगे।

सूत्रों के मुताबिक उर्वरक विभाग ने 17,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मांग की थी। चालू वर्ष के बजट में इस सब्सिड़ी के भुगतान के लिये 22,451 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बैठक में कृषिमंत्री शरद पवार, वित्तमंत्री पी चिदंबरम, उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टीकेए नायर उपस्थित थे। ❑

## क्यों चाहिए अतिरिक्त सब्सिडी

- रासायनिक उर्वरक में प्रयुक्त कच्चे माल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, इसी वजह से पादन लागत में काफी इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा तैयार माल को उत्पादन इकाइयों से विभिन्न जिलों तक पहुंचाने में भी काफी राशि परिवहन व्यय के रूप में ख़र्च हो जाती है।
- लागत के हिसाब से उर्वरकों का मूल्य नहीं बढ़ा है इसलिए सब्सिडी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और सरकार हर साल घटाने के लिये दबाव बनाती है।
- आर्थिक सुधार के इस दौर में यह क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित रह गया। अभी तक इस पर नियंत्रण की पुरानी पद्धति चल रही है और आमदनी दिनोदिन घटती जा रही है। ❑

ही ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से ग़रीबी रेखा से ऊपर जीवन निर्वहन करने वाली श्रेणी के लिये सब्सिडी समाप्त कर देना है। अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को ग़रीबी रेखा से ऊपर जीवन निर्वहन करने वाले लोगों को जो अनाज दिया जाता है, वह इसके आर्थिक मूल्य पर ही दिया जाएगा। जबकि ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के लिये अनाज आर्थिक मूल्य से 50 प्रतिशत कम होगा। इसके साथ ही साथ ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वालों के लिये अनाज की अर्हता भी 10 किग्रा प्रति परिवार प्रति महीना से बढ़ाकर 20 किग्रा प्रतिमाह प्रति परिवार कर दी गई है।

**भारतीय खाद्य निगम के आर्थिक मूल्य क्या हैं और इसे सुनिश्चित करने वाले मापदंड क्या है ?**

यह भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है कि प्रतिवर्ष (रबी और खरीफ़ सहित) प्रत्येक फ़सल के लिये सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो भी अनाज मुहैया कराया जाता है, उसकी खरीद करे। इसकी आर्थिक लागत में न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल है, बल्कि खरीद के संबंध में आने वाली लागतें, जैसे- मंडी शुल्क इत्यादि भी शामिल होती हैं। साथ ही, अनाज के भंडारण की लागत और जिन मंडियों से खरीदा जाता है (मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ.प्र. में), वहां से इसे देश के अन्य राज्यों में पहुंचाने वाली लागतें शामिल हैं। विशेषतौर पर देखा जाए तो यह आर्थिक लागत भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिस मूल्य पर अनाज खरीदा जाता है, उससे लगभग डेढ़ गुनी हो सकती है। जबकि अन्य कारक जैसे कि माल ढुलाई पर आने वाला ख़र्च भी भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत पर अपना प्रभाव डाल सकता है। फिर भी सबसे बड़ा कारक है, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखा जाए तो वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक रखने की प्रवृत्ति रही है। जिसका अर्थ सीधे-सीधे यही निकलता है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत तो बढ़ती रही है और दूसरी ओर जो बिक्री मूल्य है, वह इसकी बढ़ोतरी के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है, जिससे कि सब्सिडी का बोझ अधिक हो गया है।

**भारतीय खाद्य निगम को इतना अधिक भारी-भरकम सुरक्षित भंडारों की ज़रूरत क्या है ?**

गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार, जो इस वर्ष फरवरी में 3 करोड़ 20 लाख से कुछ ही कम थे, सामान्य आवश्यकताओं से लगभग दोगुने थे। इसका कारण है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि का इस पर सीधा-सीधा प्रभाव।

अधिक समर्थन मूल्य के कारण किसानों का रुझान अपने अनाज को निजी व्यापारियों की बजाय भारतीय खाद्य निगम को बेचने पर रहता है और भारतीय खाद्य निगम केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होने वाली आपूर्ति के लिये ही सुरक्षित भंडार नहीं रखता, बल्कि कमी हो ने की अवस्था में खाद्य सुरक्षा के तौर पर भी भंडार रखता है। इस भारी-भरकम भंडारण से खुले बाज़ार में आने वाली आपूर्ति पर प्रभावी तौर से कमी आ जाती है और क़ीमतें बढ़ जाती हैं। इसमें अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के भंडारण और उसे लाने-ले जाने की लागत भी बढ़ जाती है और सब्सिडी पर होने वाले बोझ में भी इज़ाफा हो जाता है।

**क्या भारतीय खाद्य निगम इस भंडारण का उपयोग खुले बाज़ार में क़ीमतें पाने के लिये नहीं कर सकता ?**

कर सकता है और करता भी है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खुले बाज़ार का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है। क्योंकि सरकार को खुले बाज़ार में सहायता मूल्य प्रदान कर बिक्री को जायज़ ठहराने में मुश्किल उठानी पड़ेगी।

दूसरे ओर, यदि बिक्री में सब्सिडी नहीं दी जाती है तो कीमतें खुले बाज़ार की क़ीमतों के बराबर हो जाएंगी (और कुछ की क़ीमतें ज्यादा हो भी जाएगी) जिसका बुरा असर पड़ेगा। ❑


योजना

अक्तूबर 2007 अंक

मुद्रास्फीति और विकास

पर केंद्रित होगा

# ख़बरों में

- **श्याम बेनेगल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार**

हिंदी सिनेमा में नयी इबारत लिखने वाले मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल को भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। श्री बेनेगल को 2005 के लिये यह पुरस्कार दिया गया है। वह इस समय राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। वर्ष 1973 से हिंदी फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले श्री बेनेगल ने समाज के ज्वलंत विषयों पर फिल्में और वृत्तचित्र बनाकर हिंदी सिनेमा में नयी ज़मीन बनाई। जब हिंदी सिनेमा में मुख्यधारा की फिल्में उफान पर थीं, उस समय उन्होंने *अंकुर* जैसी फिल्म बनाकर कला फिल्मों को नयी ऊंचाई दी। श्री बेनेगल की फिल्मों की विषयवस्तु भिन्न-भिन्न रही है, लेकिन उनके केंद्र में हमेशा समकालीन भारतीय अनुभव रहा है। उन्होंने विकास की समस्याएं और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव को अपनी फिल्मों का कथानक बनाया। आम भारतीय महिला की वेदना उनकी फिल्मों में कई बार उजागर हुई है। विज्ञापन कंपनी की नौकरी छोड़ सिनेमा को अपनाने वाले श्री बेनेगल का शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओमपुरी जैसे कलाकारों को ख्याति दिलाने में बड़ा योगदान रहा है।

प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिये चुने जाने के बाद श्याम बेनेगल ने कहा कि यह उनकी अब तक की कृति का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पुरस्कार 'परंपरा के विपरीत भले ही काफी जल्दी' मिल गया हो लेकिन उनका फिल्मी सफ़र जारी रहेगा।

**सम्मान**

- पद्मश्री - 1976
- पद्म भूषण - 1991
- इंदिरा गांधी सम्मान - 2004
- दादा साहेब फाल्के - 2005 (8 अगस्त, 2007 को घोषित)

**राष्ट्रीय पुरस्कार**

- दूसरी सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म - *अंकुर* (1975)
- सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म - *निशांत* (1976)
- सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म - *मंथन* (1977)
- सर्वोत्तम पटकथा - *भूमिका* (1978)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *जुनून* (1979)
- सर्वोत्तम फ़ीचर - *आरोहण* (1982)
- सर्वोत्तम ऐतिहासिक पुनर्निर्मित फिल्म - *नेहरू* (1984)
- सर्वोत्तम जीवनी फिल्म - *सत्यजित राय* (1985)
- सर्वोत्तम निर्देशक - *त्रिकाल* (1986)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *सूरज का सातवां घोड़ा* (1993)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *मम्मो* (1995)
- सर्वोत्तम फीचर फिल्म (अंग्रेज़ी) - *द मेकिंग ऑफ महात्मा* (1996)
- परिवारिक फ़ीचर फिल्म (उर्दू) - *सरदारी बेगम* (1997)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *समर* (1999)
- परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म - *हरी-भरी* (1999)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *जुबैदा* (2001)
- राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म - *नेताजी सुभाष चंद्र बोस : द फॉरगोटन हीरो* (2005)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *जुबैदा* (2001)

**फिल्म फेयर पुरस्कार**

- सर्वोत्तम निर्देशक - *जुनून* (1980)
- सर्वोत्तम निर्देशक - *कलियुग* (1982)
- सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म - *जुबैदा* (2001)

**कॉन्स फिल्म महोत्सव**

- पाम डी ओर (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक) - *निशांत* (1976)

**बर्लिन फिल्म महोत्सव**

- गोल्डन बीयर (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक) *अंकुर*- (1974)

**मास्को फिल्म महोत्सव**

- स्वर्ण पदक - *कलियुग* (1981)
- स्वर्ण पदक - *सरदारी बेगम* (1997)

- **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 'कालपुरुष' सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म**

तिरपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता की बांग्ला फिल्म *कालपुरुष* को 2005 की सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म घोषित किया गया है। पुरस्कार स्वरूप निर्माता और निर्देशक दोनों को स्वर्ण कमल और 50 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सारिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब के लिये चुना गया है। राहुल ढोलकिया को *परजानिया* फिल्म के लिये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा।

अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म *ब्लैक* में बेहतरीन अभिनय के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सारिका को *परजानिया* में मां का दमदार किरदार निभाने के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। हिंदी फिल्म *रंग दे बसंती* को संपूर्ण मनोरंजन के लिये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार के लिये चुना गया है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिये दिया जाने वाला नर्गिस दत्त पुरस्कार मलयाली फिल्म *दायवनामाथिल* को दिया जाएगा। हिंदी फिल्म *परिणीता* को किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक विषयों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ख़िताब के लिये हिंदी फिल्म *इक़बाल* को चुना गया है। तेलुगू फिल्म *बोम्मालता* में बेहतरीन अदाकारी के लिये पी. साई कुमार को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार आंका गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का खिताब *रंग दे बसंती* के लिये नरेश अय्यर की झोली में जबकि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का खिताब *पहेली* के गाने के लिये श्रेया घोषाल की झोली में गया है। गौरव ए जानी की फिल्म

*राइडिंग सोलो टु द टॉप ऑफ द वर्ल्ड* को गैर फ़ीचर फिल्म घोषित किया गया है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म संजय लीला भंसाली की *ब्लैक* को आंका गया है।

- **उच्चतम न्यायालय की दूसरी महिला वरिष्ठ अधिवक्ता**

इंदु मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदोन्नति दी गई है। इसके पहले लीला सेठ को 1977 में यह पद दिया गया था जो आगे चलकर भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। 55 वर्षीया इंदु मलहोत्रा के पास दिल्ली में वकालत करने का 24 वर्षों का अनुभव है जिसमें से अधिकांश सेवा उन्होंने उच्चतम न्यायालय में ही दी है। यह पद काफी विचार-विमर्श के बाद ही दिया जाता है। आखिरी बार 2004 में उदय ललित को इस पद पर बैठाया गया था। उच्चतम न्यायालय के 26 न्यायाधीशों की बैठक में इस बात का निर्णय किया जाता है। इसमें संबंधित वकील को पदोन्नति देने के पूर्व उसका पिछला कार्य रिकार्ड और साथ में उसके व्यवहार पर भी नज़र रखी जाती है।

- **मानवजीत संधू को खेल रत्न पुरस्कार**

निशानेबाज मानवजीत सिंह संधू को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिये चुना गया है। तीस वर्षीय संधू ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान राहुल द्रविड़, टेनिस स्टार महेश भूपति और गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ा।

लगातार तीसरे वर्ष कोई भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर पुरस्कारों की सूची में शामिल नहीं हो पाया। स्पिनर हरभजन सिंह ने 2003 में अर्जुन पुरस्कार हासिल किया था, उसके बाद से किसी पुरुष क्रिकेटर को पुरस्कार नहीं मिला है।

वर्ष 2006 के अर्जुन पुरस्कार के लिये जिन 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उनमें तीरंदाज जयंत तालुकदार, एथलीट के. एम. बीनू, शतरंज खिलाड़ी पी. हरिकृष्णा, बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद, महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, महिला हॉकी खिलाड़ी ज्योति और सुनीता कुल्लू शामिल हैं। संधू ने क्रोएशिया के जगरेब में विश्व चैंपियनशिप में ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया था। वह अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अंजलि भागवत के बाद खेल रत्न पाने वाले चौथे निशानेबाज हैं।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के तहत तीन लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि भी तीन लाख रुपये है। पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल प्रदान करेंगी। पुरस्कारों का चयन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय समिति ने किया। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी, पी.टी. ऊषा और अंजलि भागवत भी शामिल थीं।

- **पी. साईंनाथ को मैगसेसे पुरस्कार**

पत्रकार पालागुंनी साईंनाथ को पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला में विशेष योगदान के लिये एशिया का नोबल पुरस्कार कहे जानेवाले रैमन मैगसेसे पुरस्कार-2007 से नवाजा गया है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए रैमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन के बोर्ड और ट्रस्टीज ने कहा, 'आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं जैसे सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टें लिखने वाले साईंनाथ के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदानों के लिये सात लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है।' मनीला में आगामी 31 अगस्त को एक समारोह में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करते हुए बोर्ड ने साईंनाथ को भारत के राष्ट्रीय जागरूकता में ग्रामीण ग़रीबों को स्थापित करनेवाली पत्रकारिता के प्रति उनके गहरे लगाव और प्रतिबद्धता के लिये याद किया। 1957 में चेन्नई में जन्में साईंनाथ ने पत्रकारिता से जुड़ने से पूर्व इतिहास में एम.ए. किया।

- **अब डाकघरों से मिलेंगे रेलवे के आरक्षित टिकट**

रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश के दूरदराज इलाकों के निवासियों को अब अपने नजदीकी डाकघर से रेलवे का आरक्षित टिकट मिलना संभव होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल और डाक विभाग मिलकर इस योजना को साकार करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के तीस स्थानों से यह सुविधा शुरू की गई और सफलता को देखते हुए दूसरे फेज में इसका विस्तार किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के टिकट आरक्षण के लिये यात्रियों से सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। डाकघरों के कंप्यूटराइज्ड आरक्षण काउंटर डाक विभाग संचालित करेगा जबकि हार्डवेयर और संचार उपकरण आदि रेल विभाग मुहैया कराएगा। बुनियादी सुविधाएं और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी। यह समझौता पांच वर्ष के लिये किया गया है। कार्यक्रम में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा, राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद, रेल राज्यमंत्री राठवा सहित डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

- **रिज़र्व बैंक ने सीआरआर 0.5 फीसद बढ़ाया, अन्य दरों से छेड़छाड़ नहीं**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धन आपूर्ति पर नियंत्रण के लिये नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में गत 31 जुलाई को 0.5 फीसद की बढ़ोतरी की। अन्य मानक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

मुद्रास्फीति को दर में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने मुख्य ब्याज दरों से छेड़छाड़ से परहेज किया है। त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में सीआरआर को 0.5 फीसद बढ़ाकर सात फीसद किया गया है। सीआरआर वह अनुपात होता है कि जिसके अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों को राशि केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है। रिज़र्व बैंक ने 2007-08 में आर्थिक विकास दर 8.5 फीसद रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। मुद्रास्फीति परिदृश्य में भी कोई बदलाव नहीं किया है।

सीआरआर में इस साल दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। यह आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। मुद्रास्फीति दर 14 जुलाई को 4.41 फीसद रही जो रिज़र्व बैंक के मध्यावधि लक्ष्य के अनुरूप ही है। मौद्रिक नीति की त्रैमासिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने दैनिक रिवर्स रेपो (ओवरनाइट बोरोइंग) सौदे पर तीन हज़ार करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को भी ख़त्म कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने बैंक दर को छह फीसद रेपो या लघु अवधि की उधारी दर को 7.75 फीसद और रेपो दर को छह फीसद पर अपरिवर्तित रखा है। ❑

# जल ही जीवन है

○ सुनील कुमार खण्डेलवाल

जल को विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। लैटिन में इसे एक्वा, अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में जल या पानी, संस्कृत में पानीय या सलिल या अम्बु, मराठी व गुजराती में पाणी, बंगाली में जल, कन्नड़ में नीरू, तेलुगू में नीलू तथा फ़ारसी में आब कहते हैं।

जल हमारे आहार का एक अनिवार्य पोषक तत्व है। जल केवल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि यह शरीर का सबसे बड़ा घटक है। हमारे शरीर के कुल वज़न का लगभग 60 से 70 प्रतिशत जल है। नरम उत्तकों में जल की मात्रा 70 से 80 प्रतिशत और अस्थियों में 20 प्रतिशत होती है। भोजन के बिना तो शायद हम कुछ दिन तक जीवित रह जाएं पर जल के अभाव में अधिक दिन रहने की कल्पना भी करना कठिन है क्योंकि यह स्वयं तो आवश्यक पोषक तत्व है ही, अन्य पोषक तत्वों, जो इसमें घुलनशील हैं का भी वाहक बनकर उन पोषक तत्वों को शरीर के लिये उपलब्ध बनाने में इसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। अत: जल हमारे जीवन के लिये नितांत आवश्यक है। इसलिये कहा जाता है कि जल ही जीवन है।

### शुद्ध जल के गुण

शुद्ध जल एक सरल यौगिक है जो कि दो भाग हाइड्रोजन व एक भाग ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। जल एक अति उत्तम विलायक है। अधिकांश पदार्थ, लवण, वस्तुएं जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं इसलिये पूर्ण शुद्ध जल की उपलब्धता प्राय: मुश्किल से ही हो पाती है। जल जिस स्रोत से प्राप्त होता है वहां स्थित मिट्टी के तत्वों को अपने में घोल लेता है, यही कारण है कि समुद्री जल नमकयुक्त, पहाड़ी झरनों से प्राप्त खनिज लवणों से युक्त होता है। पदार्थों के सुगमता से घुलने के कारण जल में कोई न कोई अशुद्धि बनी रहती है इसलिये जल की शुद्धता की पहचान होना अति आवश्यक है। वही पानी शुद्ध कहलाता है, जिसमें कीटाणु और गंदगी ना हो। हमें सदैव शुद्ध जल ही पीना चाहिए। शुद्ध जल स्वादरहित, रंगहीन व गंधहीन तरल पदार्थ है जो पूर्णत: पारदर्शी व एक विशेष चमक से युक्त होता है।

पीने का जो पानी हम रोज़ाना उपयोग में लेते हैं उसमें लगभग 1 से 2 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) खनिज, लवण फ्लोरीन पाया जाता है। खनिज लवण एवं मिनरल युक्त पानी पीने से शरीर की दैनिक आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन यदि पानी में फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा यानी 10 पीपीएम है और इस पानी का उपयोग भोजन बनाने और पीने में करते हैं तो फ्लोरोसिस नामक रोग होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। पानी में फ्लोरीन की अधिकता से विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे जी मिचलाना, उल्टी होना, मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है। शरीर में कंपन होने लगती है। शरीर ऐंठ जाता है तथा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। दांतों की सतह एनामेल के गिर जाने से खुरदरी हो जाती है। दांतों की चमक खत्म हो जाती है। दांतों पर फ्लोरीन का जमाव होने के कारण दांत मटमैले से दिखाई पड़ते हैं। दांतों पर पीले और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। दांतों का एनामेल कहीं-कहीं से उखड़ जाता है जिससे दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। अस्थियों में कैल्शियम तथा फ्लोरिन की सघनता के कारण रीढ़ की हड्डी में विद्यमान संयोजक तंतु कड़े हो जाते हैं जिसके कारण पीठ बिल्कुल झुक जाती है। रोगी को उठने-बैठने में तकलीफ होती है तथा नाड़ी संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं।

### जल के दूषित होने के कारण

यदि शुद्ध जल अमृत है तो दूषित पानी हानिकारक हो सकता है। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, कुओं एवं नदियों के आसपास कपड़े धोने, बर्तन मांजने तथा मनुष्यों के नहाने की प्रवृत्ति विद्यमान है जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। पीने योग्य जल स्रोत के आसपास कचरा एवं किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेस्टिसाइड, कीटनाशकों एवं उर्वरकों को नदियों एवं तालाबों में छोड़ने से तथा हैंडपंप के टूटे प्लेटफार्म एवं जल के अव्यवस्थित निकास व्यवस्था के कारण गंदा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है जो जल के भूमिगत स्रोत को दूषित करता है। घर में पानी का असुरक्षित भंडारण एवं रखरखाव भी पानी को प्रदूषित करता है।

### जल को शुद्ध रखने के उपाय

पीने तथा खाना पकाने के लिये काम में लिया जाने वाला जल शुद्ध होना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिये संग्रहित करने से लेकर उपभोग तक सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा मटके को अच्छी तरह धोकर जल को साफ कपड़े से छानकर भरना चाहिए। जल को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे पानी के अंदर धूल के कण, कीटाणु तथा कीड़े-मकोड़े आदि प्रवेश न कर सकें। जल निकालते समय गिलास में उंगलियां नहीं डुबानी चाहिए। अगर पानी भरने की जगह साफ़ नहीं हो तो पानी को उबालकर इस्तेमाल में लेना चाहिए। अगर पानी साफ़ नहीं हो तो उसमें फिटकरी या क्लोरीन की

गोलियां डालकर, एक घंटे बाद इस पानी को छानकर काम में लेना चाहिए। पानी को फ्लोरीन मुक्त करने के लिये गुलाबी फिटकरी या फ्लोराइड किट का उपयोग करना चाहिए।

**जल के कार्य**

जल हमारे शरीर में पोषण एवं दिनचर्या संबंधी सभी क्रियाओं के संपादन के लिये ज़रूरी होता है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- प्यास शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता है जिसकी तृप्ति का अनुभव जल के द्वारा ही होता है।
- जल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं व अंगों के निर्माण का कार्य करता है। शरीर के सभी तरल पदार्थों का निर्माण जल के ही द्वारा होता है, जैसे – रक्त, पाचक रस, पित्त रस, पसीना, मल-मूत्र आदि।
- जल शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है।
- जल भोजन के पाचन, अवशोषण तथा चयापचय की सभी रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
- रक्त का 80 प्रतिशत भाग पानी होता है। अत: यह रक्त परिसंचरण में सहायक होता है। इस माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने तथा चयापचय की क्रियाओं के पश्चात उत्पन्न हुए विकारयुक्त एवं अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिये यह अति आवश्यक है। जलीय माध्यम से उपयोगी पदार्थों को सोखने व अनुपयोगी पदार्थों के उत्सर्जन की प्रक्रिया अत्यंत सुगम हो जाती है।
- यह संधियों के चारों ओर चिकनाहट का कार्य करता है।
- जल बाहरी आघातों से शरीर की सुरक्षा करता है। रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क के कोमल तंतुओं में पाया जाने वाला जल इनमें एक गद्दी के रूप में काम करता है।
- जल शरीर में उत्पन्न बेकार पदार्थों को मल-मूत्र तथा पसीने के रूप में उत्सर्जन संस्थान द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है।
- जल के द्वारा अनेक खनिज पदार्थ जैसे- सोडियम,पोटेशियम, फ्लोरिन, आयोडीन, कैल्शियम आदि की कुछ मात्रा शरीर को स्वत: ही प्राप्त हो जाती है।

तालिका 1

**विभिन्न भोज्य पदार्थों में जल की उपस्थित मात्रा (प्रतिशत में)**

| भोज्य पदार्थ | जल की मात्रा | भोज्य पदार्थ | जल की मात्रा |
|---|---|---|---|
| बाजरा | 12.4 | आलू | 74.7 |
| जौ | 12.5 | मूली | 94.9 |
| मक्का | 14.9 | शकरकंद | 68.5 |
| चावल | 13.3 | शलजम | 91.6 |
| गेहूं साबुत | 12.8 | आंवला | 81.8 |
| गेहूं का आटा | 12.2 | अंजीर | 88.1 |
| मैदा | 13.3 | सेव | 84.6 |
| हरा चना | 10.4 | केला | 70.1 |
| हरा मटर | 72.9 | अंगूर | 82.2 |
| सूखे मटर | 16.0 | अमरूद | 81.7 |
| राजमा | 12.0 | कटहल | 76.2 |
| सोयाबीन | 8.1 | नींबू | 85.0 |
| चौलाई का साग | 90.1 | मौसमी | 88.4 |
| बथुआ | 89.6 | खरबूजा | 95.2 |
| पालक | 92.1 | तरबूज | 95.8 |
| पत्ता गोभी | 91.9 | संतरा | 87.6 |
| फूल गोभी | 80.0 | संतरा रस | 97.7 |
| धनिया | 86.3 | पपीता | 90.8 |
| पुदीना | 84.9 | नाशपाती | 86.0 |
| चुकंदर | 87.7 | अनानास | 87.8 |
| गाजर | 86.0 | अनार | 78.0 |

**जल की दैनिक आवश्यकता**

सामान्य स्थिति में प्यास लगना जल की आवश्यकता दर्शाता है, इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण कर लेता है। सामान्य रूप से एक वयस्क व्यक्ति को 6 से 9 गिलास पानी पीना चाहिए। किसी व्यक्ति को जल की प्रतिदिन की आवश्यकता व्यक्ति के कार्य के स्वरूप तथा मौसम पर निर्भर करती है। कठिन शारीरिक श्रम तथा उच्च तापमान के वातावरण (गर्मी के मौसम) में जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अनुसार एक मिली. प्रति कैलोरी के अनुसार व्यक्ति को जल ग्रहण करना चाहिए अर्थात यदि कैलोरी की मांग 3,800 किलो कैलोरी होती है तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन 3,800 मिली. जल ग्रहण करना चाहिए। जल की यह आवश्यकता कुछ विशेष शारीरिक अवस्था में बढ़ जाती है, जैसे – बच्चों को दुग्धपान कराने की अवस्था में तथा दस्त या उल्टी होने के समय। भोजन की प्रकृति भी जल की मांग को प्रभावित करती है, जैसे – अधिक प्रोटीनयुक्त भोज्य पदार्थों को पचाने के लिये अधिक जल की आवश्यकता होती है।

**प्राप्ति के साधन**

जल शरीर को पेय एवं भोज्य पदार्थों के सेवन से तथा शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में जल की उपस्थिति की मात्रा को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

**जल की कमी का प्रभाव**

शरीर में जल की कमी हो जाने से कुछ शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे – अशांति, चिड़चिड़ापन वृद्धि में कमी, पाचन रसों के निर्माण में असंतुलन आदि। पतले दस्त या उल्टी दस्त, अतिसार, रक्तस्राव एवं तीव्र ज्वर की अवस्था में शरीर में अधिक मात्रा में जल निकल जाता है। यानी शरीर में जल की कमी हो जाती है। खासतौर से पतले दस्त या उल्टी अधिक होने से पानी का उत्सर्जन बढ़ जाता है। पानी के साथ-साथ इनमें घुलनशील खनिज लवण, जैसे – सोडियम, पोटेशियम आदि भी शरीर से बाहर निकलने लगते हैं तब जी घबराना, चक्कर आना,सुस्ती जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यह स्थिति निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) कहलाती है। जब शरीर में उपर्युक्त

लक्षणों के साथ त्वचा ढीली पड़ना, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होना, मुंह व जीभ का शुष्क होना, आंखों के अंदर की नमी समाप्त होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय यदि निर्जलीकरण का इलाज नहीं किया जाए तो हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। चयापचय के बाद उत्सर्जित पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं जिससे अपच, कब्ज, रक्तविकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंत्र तथा गुर्दे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते जिससे गठिया, वात रोग एवं पथरी रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

**जल की अधिकता का प्रभाव**

यदि अधिक मात्रा में जल ग्रहण किया जाए तो वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। परंतु कुछ बीमारियों में शरीर में सूजन आ जाती है। सीरम प्रोटीन का रसाकर्षण दबाव नियंत्रित न होने के कारण उतकों में जल जमाव हो जाता है। अत: ऐसी अवस्था में कम मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए।

**जल का औषधीय महत्व**

जल बहुत से रोगों में दवा का काम करता है। ठंडे और गर्म जल में अलग-अलग औषधीय गुण होते हैं। कई रोगों में ठंडा पानी और कई रोगों में गर्म पानी दवा का काम करता है। गर्म पानी का लाभ वात रोगों, जैसे- जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, गठिया, कंधे की जकड़न में होता है। इसमें गर्म पानी या भाप का सेंक दिया जाता है।

**जल जाने पर**

जब कोई आग से जल जाए या झुलस जाए तो तुरंत उसके जले, झुलसे अंग को ठंडे पानी में कम से कम एक घंटा डुबोकर रखें, उसे आराम मिलेगा, जलन दूर होगी और घाव या फफोला नहीं होगा।

**आंखों की रोशनी**

नियमित रूप से हाथ-मुंह धोते समय मुंह में एक घूंट पानी रखकर आंखों में पानी के छींटे देने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है।

**बाल झड़ना**

दो मुंहे बाल और बाल झड़ने की समस्या आजकल आम हो गई है। इसके लिये तीन बड़ा चम्मच समुद्री नमक एक लीटर पानी में उबालकर, ठंडा करके बोतल में रख लें। जिस दिन बालों में शैम्पू करना हो, उस दिन इस पानी को बालों की जड़ में लगाकर अच्छी तरह मालिश करें फिर बालों में शैम्पू कर लें। ऐसा करने से बाल स्वस्थ व मज़बूत होते हैं।

**क्रोध**

क्रोध की स्थिति में पैरों को ठंडे पानी से धोकर एक गिलास ठंडा पानी पीने से मानसिक तनाव दूर होता है तथा मस्तिष्क को शांति मिलती है।

**कब्ज़**

त्वचा की कांति और चेहरे की चमक के लिये बेहद आवश्यक है कि कब्ज़ न रहे। इसके लिये प्रात: काल खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना चाहिए।

**चोट**

मोच आ जाने या चोट लग जाने पर उस स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ लगानी चाहिए। इससे न तो सूजन आएगी न ही दर्द बढ़ेगा। यदि चोट लगने या कटने से खून आ जाए तो वहां बर्फ़ या खूब ठंडे पानी की पट्टी चढ़ा दें, इससे आराम मिलेगा। इंजेक्शन लगाने के बाद यदि उस स्थान पर सूजन आ जाए या दर्द बढ़े तो ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ लगानी चाहिए। कभी वहां गर्म पानी का सेंक नहीं करना चाहिए।

**अनिद्रा**

यदि रात में नींद न आती हो तो सोने से पूर्व दोनों पैरों को घुटनों तक सहने योग्य गर्म पानी से भरी बाल्टी या टब में 15 मिनट तक डुबोए रखें, इसके बाद पैरों को बाहर निकालकर पोंछ लें और सो जाएं। नींद अच्छी आएगी। यह ध्यान रखें कि जब गर्म पानी में पैर डुबोएं तब सिर पर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ तौलिया अवश्य रखें।

**दस्त और उल्टी**

अस्पतालों में पतले दस्त या उल्टी दस्त हो जाने पर चिकित्सक द्वारा रोगियों को सेलाइन (नमकीन) पानी चढ़ाते हैं। इससे रोगी ठीक हो जाता है। पतले दस्त (डायरिया) की स्थिति में जीवनरक्षक घोल (ओआरएस) जो कि पानी, नमक, शक्कर व अन्य लवणों का जलीय विलयन होता है, पिलाया जाता है। शरीर में पानी की कमी न होने पाए इसीलिये यह घोल थोड़े-थोड़े अंतराल पर दिया जाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि रोगी के शरीर में पानी पहुंचाया जाता है। हमारे देश में अस्वास्थ्यकर वातावरण और आदतों के कारण बच्चों को पतले दस्त लगने पर प्राय: देखा जाता है कि इसका सर्वोत्तम प्राथमिक उपचार नमक, शक्कर का घोल घर में बनाकर देना है। बच्चे को चिकित्सक तक ले जाने से पूर्व जीवनरक्षक घोल बनाकर देते रहने से, उसके शरीर को निर्जलीकरण की स्थिति से बचाकर मृत्यु के ख़तरे को टाला जा सकता है।

**थकान**

अत्यधिक थकान हो जाने पर एक टब में गुनगुना पानी भरकर उसमें दो नींबू का रस निचोड़कर व थोड़ा-सा नमक मिलाकर, दस मिनट तक दोनों पैरों को डालकर बेफ़िक्र होकर बैठे रहें। इससे आप हल्का, तरोताज़ा व थकानमुक्त महसूस करने लगेंगे।

**गले में ख़राश**

गले में दर्द होने या ख़राश होने पर एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से बहुत लाभ होता है। साथ ही गुनगुना पानी पीना भी फायदेमंद होता है। गले में सूजन आ जाए तो ताज़े ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर गरारे करने से लाभ होता है।

**जुकाम**

अदरक के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक कप पानी में उबालने के बाद एक चम्मच चीनी मिलाकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है।

**मोटापा**

नियमित रूप से सुबह-शाम भोजन के तुरंत बाद एक गिलास गुनगुना पानी चाय की भांति धीरे-धीरे पीने से मोटापा घटकर शरीर संतुलित हो जाता है। आंखों के नीचे स्याह घेरे दूर होते हैं। फूले हुए चेहरे की चर्बी घटकर चेहरा सुंदर बनता है, रंग निखरता है तथा कब्ज़ की शिकायत दूर होती है।

**रक्तसंचार**

दो बाल्टियों में अलग-अलग ठंडा व गर्म पानी भर लें। पहले गुनगुने पानी में तथा फिर ठंडे पानी में पैर डुबोकर पांच मिनट तक रखें। इस प्रक्रिया को कम से कम पांच बार करें। शुरुआत और अंत गुनगुने पानी से ही होना ज़रूरी है। यह उपचार पैर संबंधी तमाम समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्तसंचार ठीक रहता है और पैरों के दर्द से भी मुक्ति मिलती है। ❑

(लेखक राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर से संबद्ध हैं)

# अभ्यास से असंभव को बनाएं संभव

○ शोभ नाथ

अभ्यास उन्नति की वह तकनीक है जिसके जरिये असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विद्या, व्यापार, राजनीति, नौकरी हो या तप-साधना, अभ्यास के बिना पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती। विश्व में सभी सफल व्यक्तियों ने अपनी सफलता का राज अभ्यास करना बताया है। कहा भी गया है- *करत-करत अभ्यास तें जड़मति होत सुजान।* अभ्यास के बिना न तो दक्षता हासिल की जा सकती है और न ही बड़ा लक्ष्य ही पाया जा सकता है। स्मरण-शक्ति का मामला हो या चित्त की एकाग्रता का, या आत्मविश्वास बढ़ाना हो, अपनी समीक्षा करनी हो या कोई विचारगत दोष दूर करना हो, हर कार्य के लिये अभ्यास बहुत ज़रूरी है।

अभ्यास का मतलब अपने उन शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को अनायास बार-बार दोहराना है जो भूतकाल में हम कर चुके होते हैं। इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति के लिये तो अभ्यास ही एक रास्ता है। लेकिन यह अभ्यास प्रतिदिन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो गणित, विज्ञान, दर्शनशास्त्र और वाणिज्य विषय पर अधिकार करना चाहते हैं और स्मरण शक्ति साथ नहीं दे रही है, उन्हें प्रतिदिन कठोर अभ्यास अवश्य करना चाहिए। गंदे संस्कारों के प्रभाव को कम करने के लिये अभ्यास ही एकमात्र रास्ता होता है। बहुत से व्यक्तियों को झूठ बोलने की आदत होती है, अचानक इसे छोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन अभ्यास का सहारा लेकर इस गलत आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। छात्र जीवन में तमाम ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जब अत्यंत प्रतिभाशाली लोग असफल हो जाते हैं और लगातार अभ्यास करने वाले सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं।

ज़िंदगी में तनाव से मुक्त रहना है तो सतत अभ्यास करते रहना ज़रूरी है। जीवनमूल्यों को जीवन का अंग बनाने के लिये अभ्यास को अपनाना ज़रूरी है। जीवनीशक्ति का उद्भव भी इसी के माध्यम से धीरे-धीरे होता है। जिस तरह से गंदा पानी फिल्टर करके पीने योग्य बना लिया जाता है। उसी तरह अपने दोषों को अभ्यास रूपी

फिल्टर से साफ़ करके अच्छा, सबके स्वीकारने योग्य बना जा सकता है।

भगवान बुद्ध और दयानंद ने अभ्यास को आत्म उन्नति के लिये आवश्यक माना है। *धर्मं शरणं गच्छामि* और *धर्म रक्षति रक्षतः* - ये लोक-परलोक दोनों सुधारने के मंत्र हैं। जो इन दोनों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है वह तमाम अनर्थों से बच जाता है। धर्म की भाषा में यह तप कहलाता है। ज्ञान की भाषा में इसे अभ्यास-विद्या कहा जाता है। मन, आत्मा, बुद्धि, चित्त और वाणी को प्रखर बनाने के लिये अभ्यास से बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिससे संपूर्णता प्राप्त की जा सके।

संस्कृत का एक नीति श्लोक है जिसका अर्थ है कि बिना अभ्यास के विद्वान भी गंवार हो जाता है और अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी प्रखर होकर विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। वही विद्या समय पर काम में आती है जिसका निरंतर अभ्यास किया जाता है। कहा गया है - अभ्यास ऋषियों की तपस्या, विद्वानों की विद्या, बलवानों का दांव-पेंच, संगीतकारों की आत्मा, साहित्यकारों का ज्ञान, धनवानों का धन और समाजसेवियों की आधारभूमि है। यही वह शक्ति है जिसे प्राप्त करके साधारण सैनिक भी योद्धा बन जाते हैं। जिजीविषा की शक्ति अंतर के अभ्यास के जरिये ही प्राप्त होती है। जो इसे अमल में लाते हैं वे लंबी उम्र तक सुखपूर्वक जीवित रहते हैं और जो केवल खाने के लिये जिंदा रहते हैं वे असमय इस संसार से विदा ले लेते हैं।

ऊंचा लक्ष्य, पक्का इरादा, दृढ़ इच्छाशक्ति, नियम का पालन और पुरुषार्थ - ये सभी अभ्यास के साथ पालन करने से पूरा परिणाम देते हैं। महर्षि अरविंद मनुष्य को ऊंची स्थिति हासिल करने के लिये सतत अभ्यास को अनिवार्य मानते थे। अभ्यास के माध्यम से मनुष्य चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां मनुष्यजनित दुख बिल्कुल नहीं सताते। *उपनिषद* में कहा गया है - जो साधना के माध्यम से अंधकार के पार देख लेता है उसे स्कंद कहा जाता है। कहने का मतलब यह है बिना सतत अभ्यास के हमारी कोई कामना, साधना, तप, लक्ष्य, कार्य, धर्म, व्यवसाय और विधान पूरा नहीं हो सकता है।

वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार मनुष्य जीवन को सौ वर्षों में विभाजित किया गया है। फिर इन सौ वर्षों को चार आश्रमों में विभाजित किया गया है। ये चार आश्रम हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संयास। इन चारों की पूर्णता सतत अभ्यास के बिना संभव नहीं है। पच्चीस-पच्चीस वर्षों में विभाजित ये आश्रम जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिये बनाए गए थे। लेकिन इनमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य सबसे कठोर साधना पर आधारित है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सतत कठोर श्रम, नियमों का पालन और मूल्यों को सतत जीवन का अंग बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया केवल अभ्यास पर ही आधारित है। आज हमारे जीवन से निरंतर सत्य, शिव और सुंदरता गायब होती जा रही है। आवश्यकताएं और संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मूल्यों का निरंतर क्षरण हो रहा है। इसका मतलब हम मूल्यों के व्यवहार के प्रति संवेदनशील नहीं है। मानव का जो सतत अभ्यासी स्वभाव था वह विलग हो रहा है। इससे हमारे अंदर से शांति, सुचिता, सुख, प्रेम, परोपकार और विचार शक्ति का लगातार विलोपन हो रहा है। मानव संस्कृति, धर्म, भाषा, देश प्रेम, समाज उन्नति और अपना जीवनादर्श लगातार भूलता जा रहा है। इसीलिये कि हम उन अभ्यास प्रक्रियाओं से गुज़रना नहीं चाहते जो हमें अपने जीवन आदर्शों से सतत जोड़े रहते हैं। हमारा चिंतन केवल संसाधनों को इकट्ठा करने की चिंता में तब्दील हो गया है। यदि हमें सर्व समादृत सम्मान हासिल करना है तो लगातार धैर्यपूर्वक साधना करनी होगी। एक व्यक्ति की सतत साधना उसे आदर दिलाती है, पूरे समाज की साधना देश को समादृत करती है। ❑

# PATANJALI IAS/PCS

दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान

"दर्शनशास्त्र के साथ तैयारी के प्रारम्भिक वर्षों में ही सफलता पाई जा सकती है, यदि अध्ययन की नींव ठीक रखी गई हो एवं मार्गदर्शन सटीक हो।"

## गजब का है गोविन्द

*"दर्शनशास्त्र की कोई पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद धर्मेन्द्र सर के मार्गदर्शन ने मुझे इस विषय में विश्वास जगाया। मेरी सफलता में उनका सतत् प्रोत्साहित करने वाला मार्गदर्शन निःसंदेह उपयोगी सिद्ध हुआ।"*

**Govind Jaiswal (Rank 48)**

| | |
|---|---|
| प्रथम प्रयास | देश भर में हिन्दी माध्यम में दर्शनशास्त्र के साथ सर्वोच्च स्थान |

शैक्षणिक पृष्ठभूमि - B.Sc (उम्र - 22½ वर्ष)

*"मुझे दर्शनशास्त्र की अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में 'पतंजलि' संस्थान के श्री धर्मेन्द्र सर का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध हुआ।"*

**Deepak Anand (Rank 55)**

| | |
|---|---|
| प्रथम प्रयास | भारत का युवा सफल प्रतियोगी |

## निबन्ध

**A Complete Study Programme**

*... जानिये उनके द्वारा जिन्होंने निबन्ध में बेहतरीन अंक प्राप्त किये हैं।*

*(अगस्त, प्रथम सप्ताह-2007)*

## पत्राचार कार्यक्रम (दर्शनशास्त्र मुख्य परीक्षा)

दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा) से संबंधित सम्पूर्ण सामग्री अब अपने परिष्कृत रूप में उपलब्ध है। इसमें वैसे सभी अध्यायों की भी समुचित एवं क्रमवार विवेचना की गई है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है, जैसे-ईश्वर की धारणाएँ, ईश्वरविहीन धर्म, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, लिंग समानता, पारिस्थितिकी दर्शन आदि। पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट "PATANJALI IAS CLASSES" के नाम भेजें। **- पत्राचार कार्यक्रम का शुल्क : 4100/-**

**सर्वाधिक लोकप्रिय, अंकदायी एवं सशक्त विषय**

*उनके लिए – जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।*

# दर्शनशास्त्र

द्वारा- **धर्मेन्द्र कुमार**

## तृतीय स्वतंत्र बैच

## कक्षा प्रारम्भ

(परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ)

**Anchal Khandelwal (201 Rank)**

**Shailesh K. Chourasia (44 Rank)**

**R.P. Maurya (251 Rank)**

**Aslam Khan (282 Rank)**

**Ajeet Kumar (302 Rank)**
प्रथम प्रयास
भारत का युवा सफल प्रतियोगी

**Shradha Joshi (297 Rank)**

**Saroj Kumar (356 Rank)**

**Inder Solanki (369 Rank)**

**Pankaj Kr. Singh (374 Rank)**

**Satyapal S. Meena (447 Rank)**

**नामांकन प्रारम्भ**

# PATANJALI

2580, Hudson Line,
Kingsway Camp, Delhi-9
Phone : 011-32966281
Mob. : 9810172345

YH-9/07/5

# लोक जीवन से उद्भूत शब्दावली

○ शक्ति द्विवेदी

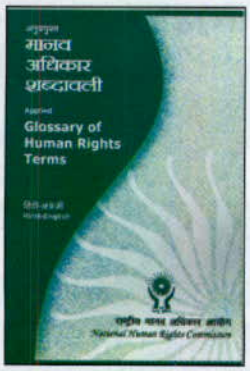


**पुस्तक का नाम :** अनुप्रयुक्त मानव अधिकार शब्दावली; **प्रकाशक :** राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, नयी दिल्ली -110 001; **प्रथम संस्करण :** 2007; **मूल्य :** 250 रुपये

शब्दों की दुनिया निराली है। प्रतिदिन-प्रतिक्षण विभिन्न संचार माध्यमों से नित नूतन शब्द भाषा में आते रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से इस दिशा में विशेष गति आई है। वहीं मानव से संबंधित सरोकारों की व्याप्ति अनंत है जिसके अंतर्गत समस्त संसार समा जाता है। जब हम मानव के साथ अधिकार शब्द भी जोड़ देते हैं तो उस विशाल शब्द संसार में एक विशेष सीमा बनती है लेकिन यह सीमा भी कोई छोटी सीमा नहीं है। भले ही इसमें धर्म, दर्शन, साहित्य आदि अनेक विषयों को छोड़ दें तब भी विधि एवं न्याय, नीति, राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, पुलिस आदि अनेक क्षेत्रों से इसका सीधा संबंध है और चिकित्सा विज्ञान, विशेष शिक्षा आदि अनेक विषय इसकी परिधि में आते हैं। परिणामस्वरूप आयोग के विशेष अनुरोध पर आए विशेषज्ञों के दल को संग्रह और त्याग के ऊहापोह से गुज़रना पड़ा। फिर शब्द संग्रह के किन-किन अर्थों को छोड़ दिया जाए और किन्हें स्वीकार किया जाए, इसमें माथापच्ची करनी पड़ी, अर्थात क्षेत्र-विशेष में प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों के अंग्रेज़ी अर्थों का निर्धारण करना पड़ा। इस शब्दावली में 14,000 से अधिक शब्द हैं, जिनका हिंदी भाषी प्रदेशों में इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों के दल ने अनेक पर्यायवाची शब्द देकर न तो भ्रांति बढ़ाई है और न ही किसी सटीक शब्द की अनदेखी की है। इस प्रकार आयोग द्वारा प्रकाशित *अनुप्रयुक्त मानव अधिकार शब्दावली* पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों का एक संग्रहणीय ग्रंथ ही नहीं अपितु एक दस्तावेज़ है।

ऐसे सटीक और मानक शब्द कभी-कभी लोकप्रचलित और बहुप्रयुक्त होते हैं, लेकिन कभी-कभी पुस्तकों या कोशों तक ही सीमित होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द से हर किसी का पूर्ण रूप से परिचय हो। ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं और अपनी राय दे देते हैं कि ये शब्द तो मैंने सुना ही नहीं। आप किस कंदरा से ढूंढ़ कर ले आए हैं। आज विडंबना यह है कि जो लोग अंग्रेज़ी सीखने में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि हिंदी का प्रत्येक शब्द उनका सुपरिचित और सुना-सुनाया होना चाहिए। सच्चाई यह है कि जब भी कोई विषय विवेचना की गहराई में प्रवेश करेगा तो उसमें अनेक पारिभाषिक या तकनीकी शब्द आएंगे जिनका आमतौर पर सामान्य व्यवहार में उपयोग नहीं होता। हर विषय क्षेत्र के कुछ अपने शब्द होंगे, अपनी शब्दावली होगी और उस विषय के अध्येताओं के लिये उसकी एक निश्चित धारणा होगी। शास्त्र और विज्ञान की बात जाने दें, लोक व्यवहार में भी अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार होता रहता है।

उस प्रदेश में प्रयोग में आने वाले शब्द संकलन, अर्थ निर्धारण, अर्थस्थिरीकरण पर गहन चर्चा-परिचर्चा हुई, विचार-विमर्श हुआ और कभी-कभी तर्क़-वितर्क़ भी हुआ। इस आलोड़ और विलोड़ के परिणामस्वरूप अथाह शब्द राशि में से जो नवनीत निकला, उसे सहेजने और परोसने का प्रयत्न इस शब्दावली के माध्यम से किया गया है।

शब्द में अपार शक्ति और अपरिमित संभावना होती है। भाषा का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं लेकिन सबकी भाषा वैसी प्रभावशाली नहीं होती। जिनकी भाषा प्रभावशाली होती है उनके पीछे एक बड़ा रहस्य शब्दों का सटीक प्रयोग होता है। भाषा के बल पर कोई अलभ्य या दुर्लभ उपलब्धि भी हासिल कर लेता है और शब्द विवेक के अभाव में कोई अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेता है। इसलिये पतंजलि ने *महाभाष्य* में लिखा है - प्रत्येक शब्द का अपना इतिहास होता है। एक शब्द का ठीक व उचित प्रयोग व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

हिंदी की आंचलिक बोलियों - भोजपुरी, मराठी, असमिया, राजस्थानी, मालवी तथा हरियाणवी में प्रयुक्त शब्दरूपों का उनके सही अंग्रेज़ी पर्याय के साथ संकलन शब्दावली

को एक विशिष्टता प्रदान करता है। शब्द-प्रविष्टि चयन संबंधी इस विशिष्टता और तद्गत प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए संपादक की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है :

"यह अनुभव किया गया कि केवल मानक या तकनीकी शब्दों को आधार बनाकर शब्दावली निर्माण करने से उसकी उपादेयता सीमित हो जाएगी और वांछनीय ही नहीं, आवश्यक भी है कि शब्दावली में उन शब्दों, पदों आदि को भी शामिल किया जाए, जिन्हें सामान्यजन प्रयोग में लाते हैं। ऐसा होने पर ही शब्दावली का विशेषण 'अनुप्रयुक्त' सार्थक हो सकेगा। इसके लिये एक अत्यंत श्रमसाध्य प्रक्रिया अपनाई गई। आयोग को देश के कोने-कोने से आम जनता मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भेजती रहती है। इन शिकायतों और विशेष रूप से हिंदी भाषी अंचलों से प्राप्त हिंदी में लिखित लगभग दस हज़ार याचिकाओं का अध्ययन एक विशेषज्ञ दल द्वारा किया गया और उनसें शब्दावली संकलित की गई। इस विपुल शब्दावली में आंचलिक बोलियों का पुट है, जो उन्हें नयी अर्थवत्ता देता है।"

बोलियों और मानक हिंदी के मध्य सेतु के रूप में व्यवहृत की जा सकने वाली यह शब्दावली निस्संदेह मानव अधिकारों से जुड़े प्रशासनिक कर्मियों और अधिकारीगणों के साथ-साथ मानवाधिकार साहित्य के अध्येता, विद्वानों और अनुवादकों के लिये तो अत्यंत उपयोगी है ही, जनसामान्य को भी भावगत और वैचारिक अभिव्यक्ति प्रदान कर उसके द्वारा शब्दावरण की प्राप्ति में सहायक होगी। इस प्रकार मानवीय गरिमा की रक्षा कर व्यष्टि और समष्टि दोनों के विकास में सहभागी होगी।

विषयवस्तु के साथ-साथ प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शब्दावली का महत्व अनन्य है। समस्त प्रविष्टियां सही और उपादेय हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही वर्तनीगत शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है और अशुद्धि का शोधन करने वालों को पर्याप्त श्रम करना पड़ सकता है। शब्दों के अर्थ चयन की विशिष्टता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि सभी शब्द सही और तथ्यपरक होने के साथ-साथ गूढ़ता से मुक्त होकर सरल भी हैं और भद्रलोक के साथ-साथ आमजन की भी सहज पहुंच में हैं।

अच्छा रहता कि शब्दार्थों को प्रयोग के द्वारा भी पुष्ट किया जाता। आशा है, आगामी संस्करण में इस ओर ध्यान देकर शब्दावली को अधिक व्यापक और लोकोपयोगी आधार प्रदान किया जाएगा। आशा यह भी है कि आयोग के आगामी प्रकाशनों में हिंदी से इतर अन्य भाषाओं से भी मानवाधिकार विषयक सामग्रियों का संकलन कर व्यापक भारतीय आधार पर 'आम' और 'खास' सभी 'जनों' को तृप्त करने का कार्य संभव हो सकेगा।

देशज सामग्री और जनभाषा के आधार पर रची गई इस शब्दावली से मानव अधिकार विषयक शब्द भंडार तो समृद्ध होगा ही, आयोग सहित सभी सरकारी कार्यक्षेत्र आंचलिक शब्दावलियों से भलीभांति परिचित एवं लाभान्वित हो सकेंगे। मूलत: जन आवेदनों और शिकायतों को आधार के रूप में प्रयोग करने से शब्दावली की प्रासंगिकता में और वृद्धि होकर यह विभिन्न जनसमूहों का व्यापक प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकी है। कुल मिलाकर वर्तमान शब्दावली में मानव अधिकारों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का संग्रह किया गया है, जो आयोग के उद्देश्य को विस्तृत फलक पर पूरित करने का उत्कृष्ट प्रयास है। ❑


उत्कर्ष I.A.S.
हिन्दी माध्यम का अप्रतिम संस्थान
हिन्दी साहित्य
दि.वि.वि. के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर के द्वारा
संस्कृत साहित्य
दि.वि.वि. के प्राध्यापक के द्वारा
विगत वर्षीय पद्धति में पूर्ण नूतन, परिवर्तन एवं नोट्स विषयक सारी सामग्री सर्वथा नूतन
इतिहास
फाउंडेशन 2008-2009
दि.वि.वि. के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर जिन्होंने अनेक प्रमाणिक पुस्तकों की रचना की है एवं अन्य
भूगोल FOUNDATION
द्वारा एस. कृष्णा
ऐसे छात्रों के लिए अत्यन्त लाभदायक, जिनका भूगोल विषय नहीं रहा है।
G.S. फाउंडेशन
S. कृष्णा, आर. कृष्णा, S. Kumar एवं अन्य विशेषज्ञ
कक्षा प्रत्येक माह के 10 तारीख से प्रारंभ
2157, औट्रम लाइन, सुभिक्षा के पास किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-9, 27605100, 27603060, 9891666549, 9868448606
YH-9/07/8

(पृ. 27 का शेषांश)

गिरोह बना रखे थे। उनमें से कइयों को हवाई जहाज़ों से मोर्चों के आसपास उतार दिया गया था। इन गुरिल्ला फौज़ों में ज्यादातर वहीं के लोग थे। रात का वक़्त था और मेरे मोर्चे पर हमला हुआ। हमारी रेजीमेंट की तीन-चार सैनिक मारी गईं। सुबह हमने देखा कि दुश्मनों की भी भारी तबाही हुई है और उनके भी कई लोग मारे गए हैं। इस तरह के कई एक्शन हुए और हम पर बमबारी तो भयंकर हुई।

हमने पत्ते खाकर गुजारा किया है। 1944 में जब अंग्रेज़ आगे बढ़ने लगे और हमें पीछे हटना पड़ा तब हमारी राशन सप्लाई लाइन कट गई। बर्मा में कटहल के जंगल बहुत हैं, उनसे काफी मदद मिली। कई दिनों तक उन पर गुजारा चलता रहा, लेकिन जल्दी ही पत्तों की नौबत आ गई। दक्षिण भारतीय और बंगाल से आने वाले लोगों को तो फिर भी मालूम था कि कौन से पत्ते खाने हैं और कौन से नहीं। लेकिन पंजाब के लोगों के लिये समस्या उत्पन्न हो गई। इन्होंने हमेशा गेहूं खाया था और पेड़-पौधों के बारे में उनकी जानकारी न के बराबर थी। कई जवानों ने जहरीले फल और पत्ते खा लिये और उनकी हालत गंभीर हो गई। कइयों को उल्टी और दस्त लग गए, कइयों को हैजा हो गया। कई जवानों को भयंकर मलेरिया हो गया। इस स्थिति में मेरा डाक्टर होना बहुत काम आया और मैंने लड़ाई के बीच में मोर्चों पर जवानों का इलाज भी किया।

आप लड़ाई की उस परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। दरअसल जापानियों को तो पहले हम पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मैदाने-जंग में हमारी बहादुरी देखी तब जापानी हमारी बेहद इज्ज़त करने लगे थे। ग्राउंड लेबल पर तो हमारे रिश्ते इस क़दर मज़बूत हो गए थे कि जापानी फौज़ के कई अफसर और सैनिक हमारे अच्छे दोस्त बन गए थे।

ब्रिटिश आगे बढ़ रहे थे और जापानियों को पीछे हटना पड़ रहा था। ऐसे में आज़ाद हिंद फौज को मलाया पहुंचने को कहा गया। नेताजी ने रानी झांसी रेजीमेंट को भी वापस मलाया भेजने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि हम इस रेजीमेंट को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोगों ने जवाब भेज दिया कि हम मोर्चे से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद फिर उधर ही बर्मा सीमा के पास शान स्टेट में आज़ाद हिंद फौज़ ने एक अस्पताल बनाया क्योंकि उस जगह कोई लड़ाई या बमबारी नहीं हुई थी। जंगल के अंदर बने इस अस्तपताल में उन फौज़ियों को जिनके हाथ-पैर कट गए थे, घायल थे, उन्हें दाखिल कर उनका इलाज शुरू किया गया। बाद में उसी शान स्टेट अस्पताल में नेताजी हमसे मिलने आए। वहीं तब हमने उन्हें आखिरी बार देखा।

लेकिन शान स्टेट में इतने जासूस थे कि जैसे ही नेताजी हम लोगों से मिलकर गए उसी दिन इतनी जबदस्त बमबारी हुई कि पूरा अस्पताल तबाह हो गया। डाक्टर लोग तो बच गए लेकिन ज्यादातर मरीज मारे गए। जितने लोग बच रहे थे उनको बैलगाड़ी में लादकर किसी तरह हम लोगों ने रंगून पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन रास्ते में ब्रिटिश गुरिल्ला फौज़ ने हमें पकड़ लिया। मार्च, 1946 तक मुझे नज़रबंद रखा गया। इसके बाद रिहा किया गया। मुझे सबसे आखिर में छोड़ा गया था। तब तक ट्रायल वगैरह सब खत्म हो चुका था और कांस्टीट्यूएंट असेंबली बनने लगी थी। रिहा होने के बाद मैं वापस भारत आ गई।

उस वक़्त तक तो बंटवारे का फैसला हो चुका था। सारा आंदोलन वगैरह खत्म हो चुका था और पाकिस्तान बनाया जा रहा था। सारे देश में घृणा और द्वेष की आग लगी हुई थी। उस हाल में आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। पागलपन का दौर था। इसलिये पहले हमने एक साल केवल उत्तरपूर्व देशों से छूट कर आए आज़ाद हिंद फौज़ के सैनिकों की मदद में लगाई।

फौज़ के जो सिपाही पहले ब्रिटिश फौज़ में थे, उन्हें तो पेंशन वगैरह मिलने लगी और वे अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन जो प्रवासी भारतीय सिविलियन आज़ाद हिंद फौज़ में शामिल हुए थे उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। उन्हें युद्धबंदी शिविरों से ऐसे ही रिहा कर जहाज़ों में भरकर हिंदुस्तान भेज दिया गया था। उनमें से ज्यादातर लोगों को न तो अपने घर का पता था और न ही अपने रिश्तेदारों का कुछ पता था। यहां उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। फिर हम मद्रास गए और वहां कुछ साथियों की मदद से हमने रिलीफ कमेटी बनाई। उस वक़्त मद्रास में कामराज, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोगों की बड़ी मदद की। एक बड़ा-सा राहत कैंप लगाया गया जहां से हम लोगों ने कोशिश करके सैनिकों को अपने-अपने घरों को भेजा। कुछ सैनिकों की नौकरियां भी लगवाई गईं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वहां 30 हज़ार से ज्यादा सिविलियन फौज़ी थे।

1947 में मैंने कैप्टेन सहगल से शादी की। हम लोगों की जान-पहचान एक्शन के दिनों से ही थी और तब तक उनका ट्रायल वगैरह सब खत्म हो चुका था। कर्नल सहगल नेताजी के सैन्य सचिव रहे। फिर वह रेजीमेंटल कमांडर बने और बर्मा में ही एक्शन के दौरान उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था।

हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है आज़ादी के लिये, पूर्ण स्वराज के लिये और एक माहौल के लिये। मैं जानती हूं कि परिस्थितियां निराशाजनक और हताशा पैदा करने वाली हैं। लेकिन आजकल की स्थितियों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि जो लड़ाई लड़ी गई वह बेकार चली गई। अभी भी उसका पूरा असर बरकरार है। लेकिन क्रांतिकारियों ने एक बड़ी ग़लती की है। अधिकतर क्रांतिकारी, महिलाओं के मामले में तो मैंने खुद ही देखा है, बंगाल की शांति, सुनीति वगैरह साधारण घरेलू औरतों से भी बदतर होकर सब छिप कर बैठी हैं। यह कितनी बड़ी ग़लती उन लोगों ने की है। क्योंकि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि उसकी एक नयी शुरुआत सामने आई थी। आखिर मैं भी तो घर में आराम से बैठ सकती थी। हम लोगों ने देश को शुरू से ही देखा है। हमने देखा है कि गड़बड़ियां कहां से शुरू हुई हैं। उसी वक़्त हम सबको खड़े होकर उसे रोकना चाहिए था। लेकिन नहीं, सब चुप होकर बैठे रहे कि हमें इन सबसे क्या लेना-देना? जिस काम को आपने शुरू किया है, जब तक वह अपने अंजाम तक न पहुंचे तब तक आप चुप होकर कैसे बैठ सकते हैं? मैं चुप होकर नहीं बैठ पाई। देश के बच्चों को जवाब भी तो देना था फिर? वो चैन कहां से आता आराम से बैठने के लिये? ❑

**(प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक यादों के झरोखे से के संपादित अंश)**

**प्रकाशक व मुद्रक वीणा जैन, निदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। कार्यकारी संपादक : राकेशरेणु**

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/57


# क्या आप

# बैंक प्रोबेशनरी ऑफीसर

पिछले वर्षों के हल प्रश्न-पत्रों सहित

**परीक्षा** में सम्मिलित हो रहे हैं, तो पढ़िए...

## उपकार की पुस्तकें

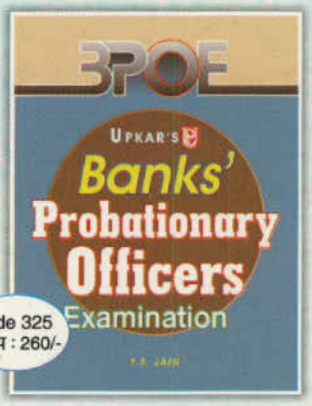


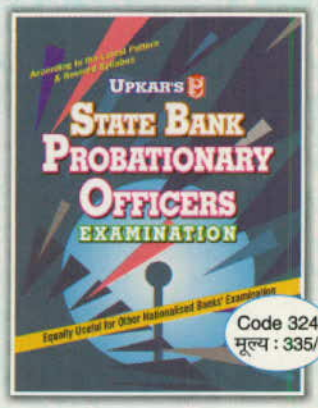


योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी.

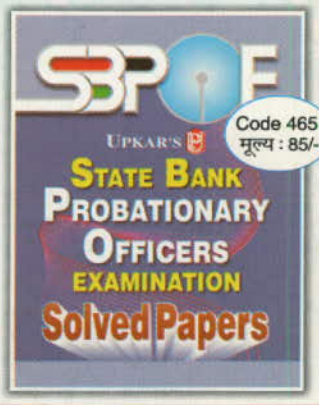


**उपकार की पुस्तकें**
*सर्वश्रेष्ठता का विकल्प नहीं*

**उपकार प्रकाशन** (An ISO 9001:2000 Company) 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, **आगरा-282 002** फोन : 2531101, 2530966, 3208693/4; फैक्स : (0562) 2531940
• E-mail : info@upkarprakashan.com • Website : www.upkarprakashan.com
ब्रांच ऑफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, फोन : 23251844/66

YH-9/07/1